खण्ड-310, अंक-6
बुधवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1896
(31 जुलाई, 1974 ई0)

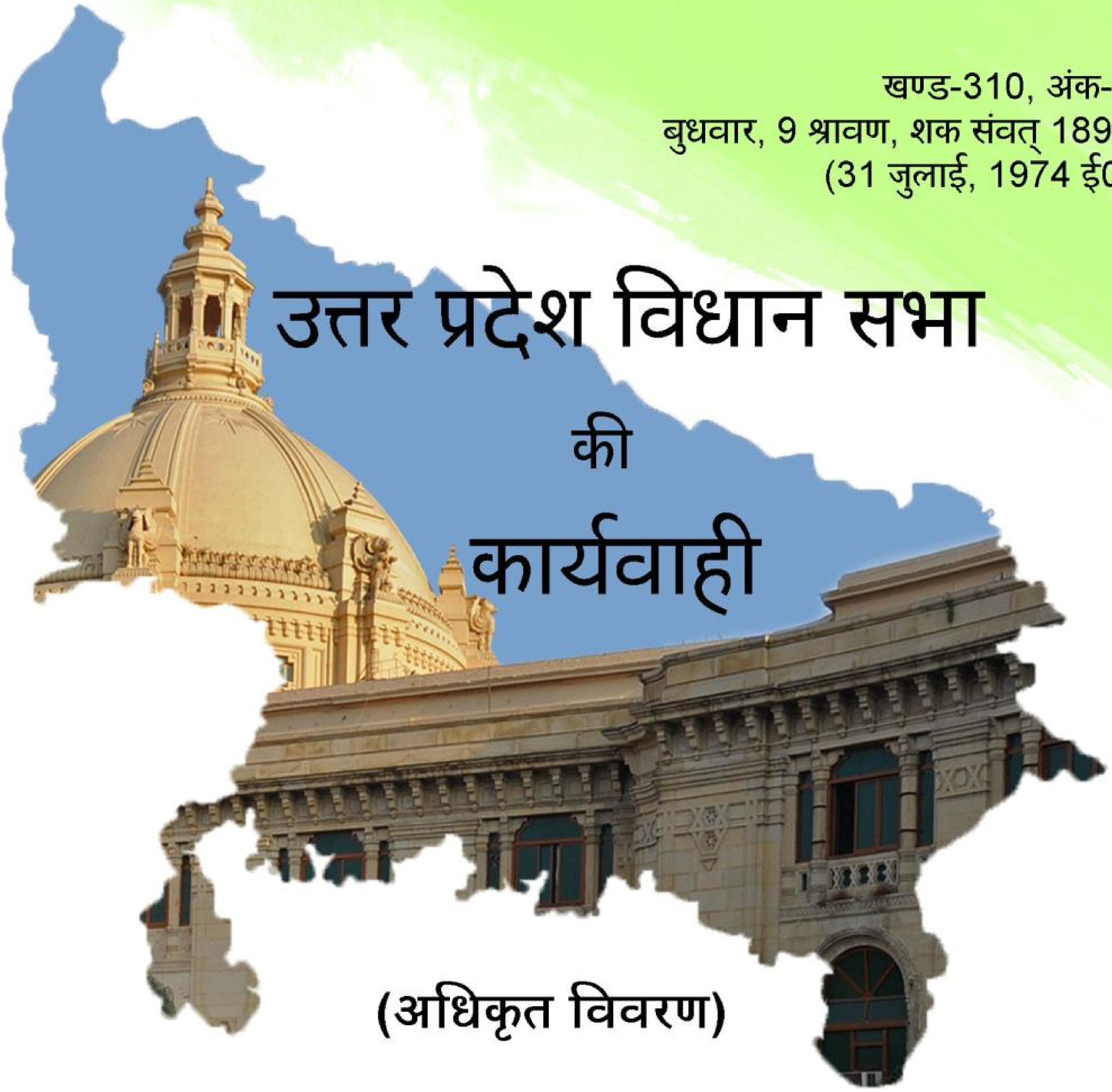

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार ३१ जुलाई १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३८८

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मिया) (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए दल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकार, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतारसिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोर लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी, गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरन्जन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेंद्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मबीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
धुवनारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)

पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनोराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेंद्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
मता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)

रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव" श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्लाह, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकांत द्विवेदी, श्री
रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेंद्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेंद्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेंद्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेंद्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श, सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द (एडवोकेट), श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री

शफीकुल रहमान, बर्क, श्री
शांति देवी यादव, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
संत सिंह युसुफ, श्री
संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खनसिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरेंद्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेंद्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लेठ (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३१, जुलाई १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ में आर्थिक अनियमितताओं तथा हरिजन छात्रवृत्ति के कथित गबन की जांच

**१—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

द्वितीय सत्र १९७४ के दिनांक १८ जुलाई, १९७४ के नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या ४–५ के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जय नारायण इंटर कालेज, लखनऊ

के भूतपूर्व लिपिक (शिवराम शुक्ला) ने जो ज्ञापन ९ सितम्बर, १९७३ को विद्यालय में व्याप्त आर्थिक अनियमितताओं एवं हरिजन छात्र वृत्ति के गबन आदि के संबंध में शासन को प्रेषित किया था क्या उस पर शासन ने कोई जांच मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा कराई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

जी हां । मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा जांच कराई गई तथा अभिलेखों का स्पेशल आडिट भी कराया गया । जांच में गम्भीर आर्थिक अनियमिततायें तथा धन के दुरुपयोग होना पाई गई । जांच में पाई गई आर्थिक अनियमितताओं के कारण साधिकार नियंत्रण को नियुक्त करने के पूर्व नियमानुसार प्रबन्धक को शिक्षा निदेशक द्वारा कारण बताओं नोटिस दे दी गई है। गबन के संबंध में मामला विद्यालय के अधिकारियों ने पुलिस और सी०आई०डी० को सुपुर्द कर दिया है।

श्री कल्याण सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे आर्थिक अनियमिततायें क्या-क्या पाई गई हैं तथा कितने धन के दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आये और उनकी जांच किस स्तर पर हो रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

ये निम्नलिखित प्रकार से हैं, पहला हरिजन एवम् सेवा समाज सुधार के धन से संबंधित कई बिल बैंक से भुनाकर धन का दुरुपयोग किया गया, दूसरा बंगला देश सहायता कोष का हिसाब-किताब ठीक नहीं पाया गया, तीसरा, मेरठ विश्वविद्यालय से इस विद्यालय को वर्ष १९७२ में (Combined Pre Medical Test) कम्बाईन प्रि-मेडिकल टेस्ट हेतु ५६०० रुपया प्राप्त हुआ था, जिनका गोलमाल हिसाब-किताब में दिखाया गया है, फिर चौथा है वर्ष १९७२ की बोर्ड परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से ३ रुपये ५० पैसे के स्थान पर जो ४ रुपये वसूल किये गये थे, उसका दुरुपयोग किया गया । इसके अतिरिक्त अन्य मदों के धन का दुरुपयोग किया गया तथा हिसाब किताब नहीं दिखाया गया । अध्यापकों के प्राविडेंट फंड में भी गोलमाल मिला है, और क्षति पूर्ति के अनुदान में भी गड़बड़ी है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

इतनी अनियमितायें होते हुए और राष्ट्र रक्षा का जो पैसा लिया गया, उसको भी खा गए, तो क्या मंत्री जी ऐसे स्कूल की मान्यता छीन कर उचित कार्यवाई करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, मान्यता छीनने से निदान नहीं हो पायेगा । मामला पुलिस में है । कोर्ट में भी चला गया है। ए०डी०एम० (जे०) के यहां केस है और पुलिस और सी०आई० डी० भी अलग-अलग जांच कर रही हैं । साधिकार नियंत्रक बैठ सकता है, उसके हेतु नोटिस भी चली गई और भी जाने वाली है तथा उसके कुछ दिन बाद आप लोग सुनेंगे कि साधिकार नियंत्रक बैठ गया है।

श्री कल्याण सिंह--

मेरी सूचना है पिछला नोटिस जो मैनेजमेंट को दिया गया, उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिये दूसरा नोटिस देना है, तो कबतक दूसरा नोटिस दे दिया जायेगा और साधिकार नियंत्रक के बैठने में अभी कितना समय और लगेगा?

श्री रामजी लाल सहायक--

पहला नोटिस मई में गया था उसका उत्तर नीचे से कई स्तर पर रहता हुआ सरकार में आता है, इसमें कुछ समय लग जाता है। दूसरा नोटिस उम्मीद है बहुत जल्दी चला जाएगा और उसके बाद महीने भर के भीतर साधिकार नियंत्रक बैठ जाना चाहिये।

अमेरिका से खरीदे गये जहाज पर कम्पनी द्वारा कमीशन

**२--श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकार ने अमेरिका से अभी हाल में एक जहाज की खरीद की है, उस जहाज के खरीद के समय कम्पनी कुछ कमीशन देती है? क्या सरकार को वह कमीशन मिल रहा है। उस जहाज को अमेरिका से उड़ा कर कौन लाया?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

जी हां। कम्पनी द्वारा २,००० डालर का कमीशन दिया गया, जिसे वायुयान के मूल्य के बिल में समायोजित किया गया। वायुयान को कम्पनी के फेरी पायलेट अमेरिका से बम्बई लाये।

श्री सत्यपाल मलिक--

जो दो हजार डालर कमीशन है, वह जहाज की कुल लागत का कितने प्रतिशत है? और मेरी जानकारी है कि बम्बई में एक इन्ड भार एविएशन कम्पनी नाम की फर्म है जो १० प्रतिशत कमीशन देती है, तो यह कमीशन उस हिसाब से ज्यादा है या कम है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह जो कमीशन है, उस कमीशन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, जो बाम्बे की कम्पनी ने कमीशन लिया, वह अलग है।

श्री सत्यपाल मलिक--

जहाज की लागत का कमीशन कितने परसेंट बैठता है?

श्री अध्यक्ष--

जहाज का दाम कितना दिया गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

कुल मूल्य १ लाख ३ हजार ९५१ डालर है। इसमें डिस्काउंट २ हजार डालर है।

श्री सत्यपाल मलिक--

एक लाख डालर में सिर्फ दो हजार डालर कमीशन है, मेरी जानकारी में है कि बम्बई में कोई दूसरी फर्म है जो ज्यादा कमीशन देती है। क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि खरीदने वाले अफसरों ने उस फर्म के जरिये हवाई जहाज क्यों नहीं खरीदा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इंडिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन में है। लिखा पढ़ी के बाद इंडिया सप्लाई शिमन वाशिंगटन ने टेंडर मांगे। यह जो कम्पनी है, बिचिटा, कंसस, अमेरिका की उसका टेंडर स्वीकार कर लिया गया। वहां से खरीदा गया।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

यह जहाज उड़ने के लिये है या उड़ाने के लिये है? उसमें साफ-साफ इस का स्पष्टीकरण दिलवा दें कि किस परपज के लिए जहाज खरीदा गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, अपने प्रदेश में कभी कभी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, महामारी तथा उस मौके पर तुरन्त जनता को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह जहाज खरीदा गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेग (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि कभी कभी प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, बाढ़ का प्रकोप हो जाता है, सूखे का प्रकोप हो जाता है, कभी चुनाव का प्रकोप हो जाता होगा । क्या यह सही है कि ऐसी इमर्जेंसी के समय पर उत्तर प्रदेश सरकार, जो प्रतिरक्षा विभाग है उसके जहाज या हेलीकाप्टर को इस्तेमाल कर सकती है, यदि ऐसी सुविधा है, तो क्या जरूरत पड़ी थी जो करोड़ों रुपये जहाज खरीदने में फूंक दिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्याण सिंह ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

बजट भाषण में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा था कि पेट्रोल बिल और टेलीफोन बिल में कमी की जायगी.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्याण सिंह को समय दिया है ।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय मन्त्री ने कहा है कि कभी-कभी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, उस समय जनता को तुरन्त सहायता पहुंचाना आवश्यक है, ऐसी इमर्जेंसी के लिये जहाज खरीदा है । कल परसों आपने सुना होगा कि सरकार बड़ी भारी मितव्ययिता की ओर जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जिस दिन इस जहाज को खरीदा गया, उस दिन इस स्टेट में गवर्नमेन्ट के ही ६ या ७ जहाज पहले से मौजूद थे ? यदि हां, तो सातवां जहाज क्यों खरीदा गया और क्या यह मितव्ययिता कही जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, कुछ हवाई जहाज मरम्मत तलब हैं और तुरन्त उनसे काम लेना थोड़ा दिक्कत तलब है । हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है इसलिये कई और जहाजों की आवश्यकता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

सरकार के पास कितने पायलेट्स हैं?

श्री अध्यक्ष--

आप बिना इजाजत के बोलते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

जो जहाज पहले से खराब थे उनको बेंच क्यों नहीं दिया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर यह प्रश्न सीमित था। (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि कम्पनी का पायलट वायुयान चलाकर लाया। लेकिन मेरी जानकारी है कि टिक्कू साहब गये थे और ५ हजार डालर उनके ऊपर खर्च आया। यह कम्पनी की जिम्मेदारी होती है कि वह खुद पहुंचाये तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह किस लिये गये और उनके ऊपर इतना रुपया क्यों खर्च किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, हिन्द फ्लाइंग क्लब के कैप्टेन टिक्कू ट्रेनिंग के लिये गये थे और क्लब के खर्चे पर गये थे। सरकार को कोई खर्च नहीं देना पड़ा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह साहब ट्रेनिंग के लिये कब गये और कब हवाई जहाज आया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह जहाज मार्च के अंतिम सप्ताह में बम्बई आया और वहां से अप्रैल में टिक्कू साहब अमरीका से लौटे। वह ट्रेनिंग के लिये गये थे और ट्रेनिंग पूरी करके ३२ दिन रह कर लौटे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बम्बई में यह जहाज २५ दिन तक कस्टम में क्यों रुका रहा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह जहाज बम्बई कुछ समय तक रहा और जब कस्टम ड्यूटी अदा की गयी, उसके बाद यह रवाना हुआ।

श्री सत्यपाल मलिक—

मेरी यह जानकारी है कि किसी किस्म का जहाज बम्बई की एक फर्म दे रही थी और वह इससे ज्यादा कमीशन पर दे रही थी तो उस से क्यों नहीं खरीदा गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चका हूं कि भारत सरकार के जो वाशिंगटन में इंडिया सप्लाई मिशन है उसके माध्यम से टेन्डर लिया और उसी ने इसको तय किया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश बिधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में रजबहों क नाजायज तरीके से काटा जाना

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों के प्रायः सभी रजबहों को नाजायज तरीके से कृषक काटते हैं, उनमें ब लगाते हैं और रबड़ के पाइप डालकर

अनचित सिंचाई करते हैं? फलस्वरूप रजबहों के आधे से आगे अन्त तक पानी ही नहीं पहुंच पाता, इससे टेल के कृषक बर्बाद हो रहे हैं और कृषि उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फौजदारियां हो रही है। इस बढ़ती दुर्व्यवस्था एवं महामारी को रोकने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है?

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

प्रथम भाग—

जी हां।

द्वितीय भाग—

ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। इण्डियन कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर कार्यवाही की जाती है। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अब से एक महीना पेश्तर मेरठ और आगरा मंडल के विधायकों ने इस प्रकार की शिकायत उनसे की थी और जब ऐसी शिकायत थी तो उन्होंने क्या विशेष कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने तो अर्ज कर दिया कि इस ऐक्ट के मातहत हम देखते हैं कि क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है। मैंने तो इस सिलसिले में बजट के दौरान अर्ज किया था कि पश्चिमी जिलों में इस तरह की स्थिति है और लोग पटरियां काट लेते हैं। इस सम्बन्ध में कई तजबीजें हमारे विचाराधीन हैं। आप भी जो सुझाव देंगे उस पर विचार करूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि रजबहों में बन्ध ही नहीं रबड़ पाईप डाल कर सिंचाई करने की महामारी हो गयी है और आप की तरफ से कोई पेट्रोलिंग नहीं है। किसी के पास जीप नहीं है तो आप इस बुराई को दूर करने में क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह बात सही है कि डिपार्टमेन्ट के पास जीपों की कमी है और उसकी बिना पर हम बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जीपें ले ले ताकि हम उनको पेट्रोलिंग के लिये दे सकें इसके अतिरिक्त और भी दूसरी तजवीजें हमारे विचाराधीन है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार पुलिस फोर्स की स्थापना करेगी जो पेट्रोलिंग करे और जो ऐसे अपराध करें उनको सजा दे सके?

श्री मोहम्मद अली खां—

बहुत सी तजवीजें हैं उन पर गौर किया जा रहा है यह एक समस्या भी है। एक आदमी ने पानी काट लिया अपने खेत की सिंचाई के लिये परन्तु बहुत सा पानी खराब हो जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दूर हो। मैंने अर्ज किया था कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। एक दो पतरौल इसकी रोकथाम कर नहीं पाते हैं। आप भी मदद करें कि जो यह गलत बात हो रही वह न हो।

सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इसमें आपके विभाग के अधिकारी भी शामिल रहते हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जहां हमें मालूम होता है वहां कार्यवाही की जाती है और ऐक्शन लिया जाता है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

जो गड़बड़ियां होती हैं और मन्त्री जी को पता चलती हैं उनको रोकने के लिये क्या मन्त्री जी हवाई जहाज खरीदेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

आपके लिये हवाई जहाज मंगाने की जरूर कोशिश करूंगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

माननीय मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की अव्यवस्था आमतौर से नहरों में पानी की कमी की वजह से होती है, तो यह सारी अव्यवस्था दूर हो और पानी का इंतजाम हो जाय तथा पानी की कमी न हो, कोई ऐसा इन्तजाम करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

उसके लिये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित । माननीय मन्त्री जी यह समझते हैं कि पानी टेल पर बिलकुल नहीं पहुंचाता, सिंचाई विभाग और कृषकों को भी नुकसान है, तो इस बुराई को दूर करने के लिये, पानी की व्यवस्था करने पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

एक तजवीज तो विचाराधीन है, जहां पानी नहीं पहुंचता है और उस सिलसिले में हमने कुछ ट्यूबवेल्स मंजूर भी किये हैं और कैनाल ऐक्ट में तरमीम जेरे गौर है। मैं पुलिस का भी कुछ इन्तजाम करने की कोशिश कर रहा हूं और पतरौलों वगैरह की भी शिकायत है । मैं जीपों के लिये भी कोशिश कर रहा हूं और जैसा पहले एक बात की थी कि हमारे विभाग में आमतौर से घोड़े रखे जाते थे, तो उस पर भी विचार कर रहा हूं और घोड़े हों ताकि उसमें आसानी से वह हर जगह पहुंच पावें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, घोड़े नहीं, खच्चर ज्यादा उपयोगी होता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, इस विभाग की इस महामारी को ध्यान में रखते हुए अगले महीने में ऐसी कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे जो तजवीज उनके दिमाग में है ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मान्यवर, हम तो एक महीना भी नहीं लेना चाहते ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, पूर्वी जमुना नहर से निकलने वाली जो नहरें हैं, जो मन्त्री जी का जिला सहारनपुर पड़ता है और माननीय वीरेन्द्र वर्मा के जिले से मेरठ और उसके आगे जाती हैं जो किसान टेल पर पड़ते हैं, उन लोगों को शिकायत है कि यह बात बिलकुल मन्त्री जी की जानकारी में है कि वहां पर पानी छोड़ते हैं ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह बिलकुल गलत है । वहां पर दिन मोकर्रर है । जमुना नहर के लिये दिन मोकर्रर हैं कि इतने दिन इस डिवीजन में चलेगा और इतने दिन इस डिवीजन में चलेगा । उसके खिलाफ कोई कभी नहीं होता ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, अभी आपने उत्तर में बताया है कि जिन स्थानों पर टेल पर पानी नहीं पहुंचता है उस स्थान पर टेलेंट लगाने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, उस इलाके को नहरी इलाके से अलग कर देंगे । जहां पर ट्यूबवेल्स लगने हैं, नहर कमांड के अन्तर्गत हैं, उनको नहर कमांड से अलग कर दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, उसके लिये तो हम पहले से कोशिश कर रहे हैं । जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उस पर यकीनन कोशिश की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

जिला जालौन के ग्रामों में प्राइमरी स्कूलों की इमारतों का कथित निर्माण

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में ग्राम बहचूरा कुवरपुरा (कोंच) ऊमरी खुर्द कुठौन्दा खुर्द कैलिया उंचा गांव जुगराजपुरा हीरापुरा (जालौन) नैनपुरा नदीगांव आदि के प्राइमरी स्कूलों की इमारतें बनवाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो यह इमारतें कब तक तैयार हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां । निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि कब तक तैयार हो जायेंगे ।

श्रीमन्, मैं जब यहां आ रहा था तो विशेष वाहक आया और उसने उत्तर मुझे दिया । उस समय ११ बजने में ७ मिनट था । तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस उत्तर को पढ़ दूं ।

जी हां, निश्चित रूप से अभी नहीं बताया जा सकता कि कब तक ये तैयार हो जायेंगी ।

डाक्टर मलखान सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में सौ से अधिक प्राइमरी स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए स्वीकृत धन पड़ा हुआ है लेकिन केवल बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से उन विद्यालयों की सूची बननी है, जिनकी इमारत बननी है और भवनों के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ होगा ।१ वर्ष हो गया है लेकिन

बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने सूची नहीं बनायी कि इन इन विद्यालयों की इमारत प्राथमिकता के आधार पर बननी है, मैं जानना चाहता हूं कि सूची बनाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

यह बात सही है कि पहले यह तय किया गया था कि १०५ विद्यालय बनाये जाने हैं और प्रति विद्यालय ९,३०० रुपया निर्धारित किया गया था। सूची बनी लेकिन जिलाधिकारी ने एतराज किया कि यह सूची विकास खंडों और ब्लाक प्रमुखों और वहां के प्रतिनिधियों द्वारा बनायी जायगी। इसकी कोशिश की गयी लेकिन उन्होंने केवल ७५ विद्यालयों की सूची दी और चूंकि १०५ विद्यालयों का प्राविधान था इसलिये वह कार्य यों ही रुका पड़ा है। इस बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इनकार कर दिया कि हम इन विद्यालयों को नहीं बनायेंगे क्योंकि सब चीजों की आज कीमतें बढ़ गयी हैं, और श्रम करने वालों के दाम भी इसलिए, ९,३०० रुपये में नहीं बन पायेंगे। इसीलिए अभी नहीं बन पाये हैं।

(प्रश्न ४ के पुकारे जाने पर)

डाक्टर मलखान सिंह--

श्रीमन्, मेरा एक ही प्रश्न हुआ है मुझे दूसरा प्रश्न करने दें ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये इमारतें जो बन रही हैं, वे सी० बी० आर० आई० की सिफारिशों के अनुसार बन रही है, जिसके अनुसार भवनों के अलग-अलग भाग खड़े हो जाते हैं, या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव द्वारा इन्टरमीडिएट ऐक्ट के विपरीत अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति

*२--श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने इन्टरमीडिएट ऐक्ट की धारा १६-एफ का उल्लंघन करते हुए बिना विज्ञापन जारी किये तथा बिना चयन समिति की संस्तुतियों के बी० डी० टी० इन्टर कालेज, मियांगंज, जिला उन्नाव में जुलाई, १९७३ में अस्थाई अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया है? यदि हां तो कितने ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां। ऐसे ६ अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

*3--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने बी० डी० टी० इन्टर कालेज, मियांगंज, जिला उन्नाव के वर्ष १९७३ में कुछ ऐसे अध्यापकों के वेतन का भुगतान किया है जिन्हें कार्यरत न कराने के आदेश उन्होंने जारी किये थे और जिन्हें अनुमोदन के उपरान्त प्रबन्ध समिति द्वारा विधिवत् नियुक्ति-पत्र भी नहीं दिये गये थे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिला परिषद् कोष से विकास खण्ड के स्कूल भवनों की मरम्मत

*४—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् कानपुर के कोष में जो शासन का ११ लाख रुपया था उस ११ लाख रुपये से जिले की प्राइमरी पाठशालाओं की मरम्मत का निश्चय गत वर्ष जिला परिषद् ने किया था ? यदि हां, तो उक्त निश्चय कब हुआ और जिले के प्रत्येक विकास खंड में कौन-कौन सी प्राइमरी स्कूल की मरम्मत की जायेंगी और प्रत्येकस्कूल पर कितना धन खर्च किया जायेग और प्रत्येक विकास खंड में अलग-अलग कितना रुपया कब भेजा गया । प्रत्येक विकास खंड में अब तक कौन-कौन स्कूलों की मरम्मत हो चुकी है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां । माह नवम्बर, १९७३ में कानपुर जिला परिषद् द्वारा प्रत्येक विकास खंड क बीस-बीस स्कूल भवनों की ११ लाख रुपये नहीं बल्कि १२ लाख रुपये से मरम्मत कराये जाने का निश्चय किया गया था । जिले में बीस विकास खंड हैं । ४०० प्राइमरी स्कूलों की (सूची †संलग्न है) मरम्मत पर लगभग तीन-तीन हजार रुपये व्यय किये जाने को निश्चय किया गया था ।

जिला परिषद् द्वारा जिले के सभी विकास खंड अधिकारियों को साठ साठ हजार (५५००० रुपये की एक चेक मास फरवरी, ७४ तथा ५००० रुपये की दूसरी चेक मास मार्च, ७४ में) की धनराशि चेक द्वारा दी गयी है । स्कूलों की मरम्मत किये जाने के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

यह जो १२ लाख रुपया चेक द्वारा कानपुर जिले के २० ब्लाकों को फरवरी, १९७४ में दिया गया लेकिन अभी तक डुरापुर और जिले के अन्य ब्लाकों में एक भी स्कूल की मरम्मत नहीं हुई । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे जांच कराकर क्षेत्रीय विकास खंड अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

यदि माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे और मेरी मदद करें, तो मैं अवश्य जांच कराऊंगा और जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जायगा, अवश्य दंडित किया जायगा ।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रुपया विकास खंडों के लिये था यह किस के माध्यम से खर्च होता था और किस के माध्यम से इन स्कूलों को बनाना था ?

श्री राम जी लाल सहायक—

विकास खंड अधिकारियों के और उनके ही माध्यम से उनको बनाना था ।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

यह धन कब जिला प्रशासन को दिया गया और अगर यह धन पर्याप्त है तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी और विचार करेंगे क्योंकि बरसात आ गयी है और स्कूलों की मरम्मत की बहुत आवश्यकता है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मैंने निवेदन किया कि पहला चेक फरवरी, १९७४ में, दूसरा मार्च, १९७४ में विकास खंड अधिकारियों को दिया गया । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि बरसात आ गयी

†छापी नहीं गयी ।

है, तो यह तो छान-बीन करनी पड़ेगी कि वहां कई विद्यालय बनाये हैं, कई नहीं बनाये हैं और काफी विद्यालय हैं, समय की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मेरी मदद करें और लिखकर दे दें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह लाखों रुपयों का मामला है। प्रत्येक विकास खंड को, बी० डी० ओ० को पैसा दे दिया गया था। उन्होंने हिसाब-किताब नहीं रखा, सब जेब में रख लिया या अपने चहेतों को दे दिया कहीं कोई स्कूल बनाया ही नहीं। स्कूल की मरम्मत के माध्यम से सीमेंट अलग से ले लिया, उसकी चोरी कर ली तो मैं निवेदन करूंगा कि इस रुपये का कोई सदुपयोग नहीं हुआ इसकी खुले तरीके पर शासकीय तरीके से जांच करावे और जो भ्रष्टाचार और गबन हुआ उस पर सीधी कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक--

इससे पूर्व दो बार निवेदन कर चुका हूं कि यह बात जो कही जा रही है, अगर मेहरबानी करके लिखकर दे दें तो जांच करवाऊंगा और सब उसका इन्तजाम किया जायगा और जो दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। आप लिख कर तो दीजिये।

तहसील, घोसी एवं सगड़ी (आजमगढ़ जनपद) में घाघरा नदी से कटाव

*५--श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी एवं घोसी तहसील की हजारों एकड़ खेती की उपजाऊ भूमि नदी घाघरा के भीषण कटाव से कट कर नदी के पेट में चली गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रकार के भीषण कटाव को रोकने के लिये "पक्के ठोकर" बनाने की योजना उनके विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

विगत वर्षों में आजमगढ़ जनपद के घोसी एवं सगड़ी तहसील में क्रमशः ९ ग्रामों की ९२० एकड़ तथा ५८ ग्रामों की ९५८२ एकड़ जमीन घाघरा नदी द्वारा कट गई है।

ठोकर बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि इतने व्यापक क्षेत्र को पक्के ठोकरों द्वारा सुरक्षा प्रदान करना वर्तमान धनाभाव के कारण संभव नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नदी के कटाव को रोकने के लिये संप्रति उनकी ओर से कौन सा कार्य किया जा रहा है और उस पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इस वक्त कई बन्धों पर काम हो रहा है। न्योली में एक पुल बनाने जा रहे हैं, रामपुर-कनौली और परसिया में बनाया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आधा जवाब मिला, हमने पूछा था कि कितना सरकार का रुपया व्यय हुआ, उसका उत्तर नहीं मिला है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

। सकी अलग-अलग तो मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री कल्याण सिंह—

आपके कथनानुसार पक्की ठोकरें बनाने का कोई प्राविधान नहीं हो रहा है। इन गांवों की हजारों एकड़ जमीन कट चुकी है। नदी एक ओर कटती जाती है, दूसरी ओर जमीन छोड़ती चली जाती है। तो जिन लोगों की जमीन इस ओर कट गयी है और दूसरी ओर जो छोड़ती जा रही है, नदी, तो उसके बदले में वह छूटी हुई जमीन किसानों को देंगे जिनकी जमीन कट रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जहां तक इनके प्रश्न का सवाल है उसमें ठोकरों से तो काम होना नहीं है, इसलिये वहां और कोई बड़ा बांध बनाया जाय जो ५० मील की लम्बाई का हो, उसी के जरिये से इसकी सुरक्षा हो सकती है, इस क्षेत्र में।

श्री कल्याण सिंह—

मैंने पूछा था कि दूसरी तरफ जो जमीन निकल आयी है...

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न है, सिंचाई मंत्री जी से संबंधित नहीं है।

नगरपालिकाओं तथा नगरमहापालिकाओं के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेन्शन, प्राविडेन्ट फण्ड तथा ग्रचुइटी

*६—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के अवकाश प्राप्त अध्यापकों, जिनकी सेवायें शिक्षा परिषद् (बेसिक), उत्तर प्रदेश को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं, को पेन्शन ग्रेच्युएटी तथा प्रावीडेंट फंड आदि की व्यवस्था अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? और अब इसकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

नगरपालिकाओं के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेन्शन, प्राविडेंड फंड एवं ग्रेचुइटी की सुविधा उपलब्ध थी। अब इन अध्यापकों को केवल पेंशन और प्राविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध है। ग्रेचुइटी की सुविधा १-२-७३ से सामूहिक बीमा योजना लागू हो जाने के कारण समाप्त कर दी गई है।

नगर महापालिकाओं में लाभत्रयी योजना लागू नहीं है। वहां के अध्यापकों को वेतन की आधी पेंशन तथा रिटायरमेंट ग्रेचुइटी दी जाती है। इन अध्यापकों को प्रश्नगत सुविधा देने के लिये सूचना एकत्र की जा रही है, जिसे प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन, प्राविडेंट फंड या ग्रेचुइटी और दूसरी सुविधायें प्रदान करने के आदेश कब दिये गये और क्या वह आदेश पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इस संबंध में कोई आदेश भेजे गये इसकी सूचना मुझे नहीं है। यह भी मैंने निवेदन किया इसके उत्तर में कि नगरपालिकाओं में यह सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। जो ३० वर्ष

की सेवा कर चुके हैं उनको तीन वर्ष के औसत वेतन का १५ गुना ग्रेच्युइटी दी जाती रही है इलाहाबाद नगरमहापालिका में उनको प्राविडेंट फंड दिया जाता रहा है। अन्य नगर पालिकायें केवल ग्रेचुइटी ही देती हैं। सामूहिक बीमा योजना लागू होने पर यह बातें समाप्त कर दी गयी हैं और अब उनको उन नियमों के अनुसार धन देने की व्यवस्था की गयी है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मैंने यह जानने का प्रयत्न किया था कि इन लोगों को जो सुविधायें प्राप्त हैं इसके आदेश कब दिये गये ? नगरपालिकायें और महानगरपालिकायें यह कहती हैं कि जब यह सारा मामला बेसिक शिक्षा परिषद् को स्थानान्तरित कर दिया गया है इसलिये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद् कहता है कि चूंकि ये नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं से संबंधित हैं। इसलिये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि कोई आदेश नहीं दिये गये। तो आदेश नहीं दिये जायेंगे तो उनको सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकतीं। मैं फिर माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में कोई आदेश दिये हैं या नहीं ? यदि नहीं दिये हैं, तो कब दिये जायेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इनमें जो विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् में आ गये हैं उन विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधायें मिल रहीं हैं। लेकिन मैंने निवेदन किया कि १-२-७३ से सामूहिक बीमा योजना लागू हो जाने पर प्राविधान यह कर दिया गया है कि जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल जो नगरपालिकाओं के हैं उनके प्रधानाध्यापकों को पूरी सेवा अवधि खत्म हो जाने पर ढाई हजार रुपये एकमुश्त दिये जाते हैं और अध्यापकों को दो हजार रुपये दिये जाने का प्राविधान है।

श्री राम सेवक यादव—

क्या इस संबंध में कोई ज्ञापन शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त उनकी कुछ और मांगें हैं ? साथ ही मंत्री महोदय, ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो किस बात की सूचना एकत्र की जा रही है ? जब वह सब बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत आ गये हैं तो समस्त सुविधायें जो उनको मिलनी चाहिये वह दी जायेंगी और अगर दी जायंगी तो सूचना किस बात की एकत्रित की जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने इससे पूर्व कहा था कि बहुत सी नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं में जिनके विद्यालय अलग से उनके हाई स्कूलों के साथ चल रहे हैं, बहुत से विद्यालय हैं जो उसमें नहीं आये हैं उनसे पेन्शन आदि की नियमावली मांगी जा रही है। यह सूचना एकत्र की जा रही है। माननीय सदस्य ने पूछा कि कोई प्रतिनिधि मंडल मिला, तो इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि बराबर लोग मिलते रहते हैं और अपनी मांगें रखते रहते हैं। उन पर विचार किया जा रहा है और करने की बात भी है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इन अध्यापकों के लिये सरकार की ओर से एक राजाज्ञा निकाली गयी थी, उसका पालन अभी तक नहीं हो रहा है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस राजाज्ञा को देखते हुये इन अध्यापकों को वही सारी सुविधायें देने के लिये तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या उसके लिये वे स्पष्ट आदेश देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक---

श्रीमन्, यह नीति विषयक मामला है। यह सारा मसला सरकार के विचाराधीन अभी चल रहा है। ऐसे स्कूल काफी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत यह आते हैं। इसमें संसाधनों आदि का भी सवाल है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

बदायूं कुंवरगांव-आंवला सड़क का टस्ट वर्क के अन्तर्गत निर्माण

*७---श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद), श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं से कुंवर गांव होकर आंवला जाने वाली सड़क का हिस्सा बदायूं कुंवर-गांव पी० डब्लू० डी० द्वारा जो बनाया जा रहा था वह अब रोक दिया गया? यदि हां, तो क्यों, क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता ने कोई इस्टीमेट स्वीकृत हेतु भेजा है? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब दी गयी और यह सड़क कब तक बन जायेगी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)---

टेस्ट वर्क तथा बेकारी दूर करने हेतु कच्ची सड़कों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत इस मार्ग पर ११.४५ कि० मी० की लम्बाई में मिट्टी का कार्य तथा कुछ पुलियों के निर्माण का कार्य किया गया है। चूंकि उक्त योजना मार्च, १९७४ में समाप्त हो गई, इस मार्ग पर कार्य बन्द कर दिया गया।

इस मार्ग के सुधार एवं निर्माण का आगणन अधिशासी अभियन्ता द्वारा भेजा गया है। धनाभाव के कारण अभी इस कार्य की स्वीकृत नहीं दी गई है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मिट्टी डालने के कार्य में कितना खर्च हुआ है और कितनी मील यह सड़क ऐसी है जिस पर मिट्टी पड़ी है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

१,२९,५८४ रुपया खर्च हुआ, ११.४५ किलोमीटर में मिट्टी पड़ी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मेरी सूचना यह है कि ७ किलोमीटर पर एक इंच भी मिट्टी नहीं पड़ी है। केवल २ या ३ किलोमीटर पर यह मिट्टी पड़ी है। यह सड़क पक्की है पहले से। मंत्री जी जब बरेली गये थे तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था। तो मंत्री जी क्या इसकी जांच करवायेंगे कि यह जो रुपया इतना खर्च हुआ है यह सही हुआ है या गलत हुआ है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

यह सही है कि ६.३ किलोमीटर सड़क पक्की है। उसकी पटरी पर मिट्टी डालने का काम हुआ है। उसके आगे तक मिट्टी डालने का काम हुआ है और यह ११.४५ किलोमीटर में हुआ है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कितने रुपये का इस्टीमेट भेजा है और यह सड़क पी० डब्लू० डी० की है या जिला परिषद् की?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

७.३५ लाख का इस्टीमेट है। अभी यह पी० डब्ल० डी० की सड़क नहीं है, टेस्ट वर्क के द्वारा मिट्टी का काम हुआ है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मंत्री जी ने जो बजट पास कराया है वह उन सड़कों के लिये है जो सड़कें बन गयी हैं या बनी हुई हैं, उनको चलाने के लिये। यह सड़क पहले की बनी हुई है। क्षेत्र के सभी कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सदस्यों ने इस सड़क को ठीक कराने की मांग की है। तो क्या मंत्री जी इस सड़क को टाप प्रायरिटी देंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदन को मालूम है, इस बजट में नयी सड़क के लिये कोई प्राविधान नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह सबसे पुरानी पक्की सड़क है और इस सड़क के चारों तरफ बहुत पुराने पेड़ हैं जो लगभग १०–१५ लाख रुपये में नीलाम हो सकते हैं। जिला परिषद् ने एक बार उनको नीलाम करन की कोशिश की थी। तो क्या माननीय मंत्री जी उन पेड़ों को नीलाम करने के बाद उस पैसे से सड़क बनाने को तैयार हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जिला परिषद् की सड़क है और पेड़ भी जिला परिषद् के हैं, तो हम उनको कैसे नीलाम कर सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि १०–१५ हजार में सड़क कैसे बन सकती है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जिला परिषद् ने पी० डब्लू० डी० को लिख दिया है कि वह उस सड़क को ले लें और वह उन पेड़ों को भी नीलाम करने के लिये तैयार है जिससे १०–१५ लाख रुपया मिल सकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी तैयार हैं जिला परिषद् से लेकर उन पेड़ों को नीलाम करने के लिये और अपने हिसाब से सड़क बनाने के लिये ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इन्हीं को पेड़ दे दें और सड़क भी।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो उस पर विचार करेंगे। क्या सम्भव होगा भविष्य में, यह अभी नहीं कहा जा सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

सब पार्टी के लोगों ने कितने पत्र लिख कर भेजे हैं सरकार को, उस पर आपने क्या कार्य किया है और किस चीज पर विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

पदमपुरी मनाघेर (नैनीताल) मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम घानाचुली की अर्जित भूमि का मुआवजा

*८—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सा० नि० मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में पदमपुरी -घाना चुली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय कृषकों की जिस भूमि को लिया गया था उसका मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

पदमपुरी-घानाचुली कोई मोटर मार्ग नहीं है । पदमपुरी-मनाघेर मोटर मार्ग पर ग्राम घानाचुली स्थित है । इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिये अर्जित की जाने वाली सभी ग्रामों की भूमि का प्रतिशत वर्ष १९७३ में ही सम्बन्धित व्यक्तियों को दिया जा चुका है । केवल घानाचुली ग्राम की अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने से भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन आवश्यक विज्ञप्तियां जारी न होने के कारण प्रतिकर नहीं दिया जा सका । अब ये विज्ञप्तियां २२ जुलाई, १९७४ को जारी कर दी गयी हैं ।

जीवनाथ पुर (कंचनपुर चुनार) मिर्जापुर सड़क पर मिट्टी का कार्य

*९—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके द्वारा द्वितीय सत्र के प्रथम बुधवार के प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में कही गयी जीवनाथपुर तक कंचनपुर सड़क (१५ किलोमीटर) के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत है और अब तक कितनी सड़क पक्की बन चुकी है और कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग के लिये ९,७५,००० रु० स्वीकृत है । इस मार्ग पर अभी तक ७ कि० मी० पर मिट्टी का कार्य हो चुका है । यदि वांछित अनुदान उपलब्ध होता रहा तो कार्य के जून १९७६ तक पूर्ण होने की आशा है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस सम्बन्ध में कई पत्राचार हुए । उसमें और आपके उत्तर में बड़ा अन्तर है इसलिये पूछना पड़ता है । अगर मिट्टी का कार्य ७ किलोमीटर हो चुका है तो मुझे यह कहना है कि अभी तक कितना अनुदान प्राप्त हो चुका जो कि ७ किलोमीटर पर खर्च हुआ और कितना अनुदान कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

अब तक २,८०,००० रुपया खर्च हो चुका । और कितना अनुदान मिल सकेगा, यह तो अभी हम नहीं बतला सकते, लेकिन जैसे-जैसे रुपया मिलता जायेगा उसके हिसाब से हम उसको करते जायेंगे ।

श्री ऊदल—

उस सड़क पर कब काम शुरू किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जनवरी, १९७३ में कार्य शुरू हुआ है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जनवरी, १९७३ से कार्य शुरू हुआ और अभी तक केवल ७ किलोमीटर पर २,८०,००० रुपया खर्च हो चुका, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कार्य कब से स्थगित हुआ और उसको पक्का बनाने का कार्य शुरू हुआ या नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

कार्य स्थगित तो कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति के शासन काल में पैसे की कमी की वजह से जनवरी से अप्रैल तक काम कुछ धीमा हो गया था, रुका नहीं था।

हमीरपुर जनपद में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य तथा व्यय

*१०--श्री काशी प्रसाद (जिला हमीरपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जनपद में टेस्ट वर्क द्वारा बनाई जा रही सड़कें पूरी हो गयी हैं या नहीं ? अब तक के कार्य में कुल कितना रुपया व्यय हुआ है और क्या सरकार उन अधूरी सड़कों को पूरा कराने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं। टेस्ट वर्क कार्य पर कुल ७.३६३ लाख रुपये व्यय हुये हैं। जिन सड़कों का निर्माण अभी तक किसी योजना में स्वीकृत नहीं किया गया है उन अधूरी सड़कों को इस समय धनाभाव के कारण पूरा कराना सम्भव नहीं है।

श्री काशी प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह सड़कें जो इतना रुपया लगा कर हमीरपुर जनपद में बनायी गयी थीं और जो इतना रुपया खर्च किया गया है तो अगर इनको पक्का नहीं कराया गया तो इस पैसे का जो लगाया गया है नुकसान होगा। तो क्या इनको पक्की कराने के लिये, इनको किसी योजना के अन्दर लिया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले निवेदन कर दिया कि इसके लिये प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही धन उपलब्ध होगा इनको पक्की करने की कोशिश की जायेगी। यह बात जरूर है कि इनके पक्के न किये जाने पर नुकसान तो होगा ही।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क द्वारा जो सड़कें बनायी गयी हैं या अधबनी पड़ी हैं उनकी मरम्मत के लिये जैसे कि बारामासी गैंग होते हैं, क्या वैसे ही गैंग मुकर्रर किये जायेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, इसके लिये इस समय तो कोई प्राविधान नहीं है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)--

मान्यवर, वैसे सारे प्रदेश में टेस्ट वर्क द्वारा सड़कें बनी हैं, और जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि धन का प्राविधान नहीं है, और यह भी कहा है कि प्रयास कर रहे हैं तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसी तरह से जो प्रदेश के अन्य जिले हैं वहां पर भी सड़कें पूरी नहीं हुई हैं तो क्या उन सड़कों को आगे बढ़ाने के लिये फिर से रुपया देंगे और उनको आगे बढ़ाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

इसको आप व्यापक बना रहे हैं।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सड़कों की मरम्मत के लिये अगर कोई बारामासी गैंग नियुक्त नहीं किया जायगा तो जो सड़कें बनायी गयी हैं वह थोड़े दिनों में बरबाद हो जायेंगी और अपनी पुरानी स्थिति में हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप से सहमत हैं, वह कह रहे हैं पैसा नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, तमाम-बहुत सारी सड़कें चौथी पंचवर्षीय योजना में पी० डब्लू० डी० द्वारा ले ली गयी हैं। यह सड़कें चौथी पंचवर्षीय योजना में पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत बननी थीं। इन्हीं सड़कों पर बजाय इसके कि पी० डब्लू० डी० द्वारा काम होता, टेस्ट वर्क के जरिये काम हुआ है। मान्यवर, अगर सड़कों पर काम होना था तो जो सड़कें पी० डब्लू० डी० द्वारा ली गयी थीं उनके अलावा अन्य सड़कों को क्यों नहीं लिया गया? उन्हीं सड़कों की मरम्मत क्यों की गयी?

श्री अध्यक्ष--

इसका सवाल नहीं उठता है।

इंटर कालेज बेबरु (बांदा) में अनुमोदित अध्यापकों की प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति

*११--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत इन्टर कालेज, बेबरु में दिनांक ६-८-७१ को अध्यापकों के पदों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज्ञा दी थी, चुनाव के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक ने १६-१२-७१ को अध्यापकों का अनुमोदन भेजा? यदि हां, तो प्रबन्धक ने अनुमोदन के बाद कितने अध्यापकों की नियुक्ति की और कितनों की नहीं?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां। १० अनुमोदित अध्यापकों में से प्रबन्धक द्वारा ९ की नियुक्ति की गई। एक की नहीं।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिये अनुमोदन किया गया था पर ९ आदमियों की नियुक्ति की गयी, तो एक आदमी की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी और इसका क्या नाम है?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, नाम तो मेरे पास है। लेकिन नियुक्ति क्यों नहीं की गयी इसके लिये जांच करानी पड़ेगी। इसके लिये समय चाहिये, नाम है, इम्तियाज हुसेन।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, बात यह है कि बेबरु इंटर कालेज, बांदा में १० अध्यापकों की नियुक्ति के लिये दिनांक ६-८-७१ को जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज्ञा दी थी। इसके बाद अखबारों में

एडवरटाइजमेंट हुआ, चुनाव हुआ। बाद में वहां के जो प्रबन्धक हैं उन्होंने ९ आदमियों की नियुक्ति की, यह प्रबन्धक वहां के रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं और उन्होंने एक आदमी की नियुक्ति नहीं की। कारण यह है कि वह मुसलमान है, इसलिये उसकी नियुक्ति नहीं की गयी है। मैंने ३१-१-७२ को जिला विद्यालय निरीक्षक को रिमाइण्डर दिया कि इसकी जांच करा ली जाय। दिनांक १७-६-७२ को जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को रिमाइण्डर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी प्रबन्धक ने उस अध्यापक को चार्ज नहीं दिया। क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि उस अध्यापक को तत्काल चार्ज दिलाया जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, अफसोस है जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जाति बिरादरी के ऊपर नियुक्ति नहीं की गई। तो मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच की जायेगी और उस अध्यापक की नियुक्ति की भी कोशिश करूंगा।

चुनार तहसील (मिर्जापुर) में बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के भवन

*१२---श्री ओम प्रकाश सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनार तहसील मिर्जापुर में कितने और कौन-कौन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिये भवन नहीं है व अर्ध निर्मित हैं ? इन भवनों के तत्काल निर्माण हतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, क्या मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे कि इसका उत्तर इसी सत्र में दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न २५ को गया और १७ को स्थगित हुआ, तो शायद वहां से नहीं आया होगा। इसमें आवश्यकता से अधिक विलम्ब हुआ है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

इस मामले में आवश्यकता से अधिक विलम्ब हुआ है और यह ठीक नहीं है। क्योंकि एक बार १७-७-७४ को स्थगित हुआ था।

श्री त्रिवेणी सहाय---

कई प्रश्नों की सूचना एकत्र की जा रही है। तो मंत्री जी क्या आगे चल कर उनका जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

[कई प्रश्नों का मामला है जिनमें अकारण विलम्ब हुआ है, कारण नहीं है। शिक्षा मंत्री इस पर ध्यान देंगे क्योंकि कई जगह सूचना एकत्र करना आया है।

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, मुझे खेद है कि कई प्रश्नों पर सूचना मांगी गई है। मैं सोच रहा हूं कि संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दूं और स्पष्टीकरण मांगें कि इतने समय के अन्दर सूचना क्यों नहीं दी।

रामजानकी दिनकर इंटर कालेज, जमालपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बडेरी (जौनपुर) की विज्ञान परीक्षा में सम्मिलित उत्तीर्ण छात्र

*१३--श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत राम जानकी दिनकर इन्टर कालेज, जमालपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बडेरी में सन् १९७२, १९७३ व १९७४ ई० में विज्ञान में कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे और कितने उत्तीर्ण हुए? और जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने उक्त कालेजों में विज्ञान के कितने प्रवक्ताओं का अनुमोदन किया तथा उसका आधार क्या था?

श्री रामजी लाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

श्री प्यारे लाल जी आपका भी वही है कि सूचना एकत्र की जा रही है। शिक्षा मंत्री जी ने प्रश्न १२ तथा १३ पर कह दिया है।

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, श्री प्यारे लाल वर्मा ने जो प्रश्न किया है इस संबंध में मैं मंत्री जी को जानकारी करा देना चाहता हूं जो कि उनकी जांच से सम्बन्धित है। मान्यवर, जौनपुर जनपद में यह किन्तु दो विद्यालय की बात नहीं है अनेकों विद्यालय हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं है किन्तु अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है। इसमें २ लाख रु० प्रतिमाह सरकार का व्यय बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

कई स्कूलों का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं। इसमें नहीं।

जनपद मथुरा की तहसीलों में राजकीय नलकूप

*१४--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में किन-किन तहसीलों में किन-किन गांवों में राजकीय नलकूप हैं, और क्या सादाबाद तहसील में राजकीय नलकूप लगाने की उपेक्षा की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मथुरा जनपद में १६ राजकीय नलकूप हैं। जिन तहसीलों तथा गांव में यह नलकूप स्थित हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया है। तहसील सादाबाद में राजकीय नलकूप लगाने की कोई उपेक्षा नहीं की गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७५ पर)

नोट--[नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

श्री राम प्रकाश यादव---

अध्यक्ष महोदय, मथुरा जनपद में १६ राजकीय नलकूप हैं और सादाबाद तहसील में ७ राजकीय नलकूप हैं जो कि बहुत कम हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र और जनपद का बहुत बड़ा भाग असिंचित रह जाता है, इसलिये उसको सिंचित करने के लिये और राजकीय नलकूप लगाने की क्या कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद अली खां---

सादाबाद के कुछ हिस्से में खारी पानी आता है, इसके कारण मजबूरी है, वर्ना जहां-जहां ऐसा होगा वहां विचार किया जायगा कि नलकूप लगाये जायं।

श्री राम प्रकाश यादव---

यह तो बहुत थोड़े हिस्से में है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

हम तो जिले को नलकूप अलाट करते हैं, उससे आप बात कर लें।

श्री राम प्रकाश यादव---

इस वर्ष मथुरा जनपद को कितने दिये गये हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

*१५---श्री राम प्रकाश यादव---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों के प्राविडेन्ट फण्ड का लेखा-जोखा एवं मध्यावधि चुनाव-भत्ते का भुगतान

*१६---श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

क्या यह सच है कि जनपद, सुल्तानपुर में प्रारम्भिक शिक्षकों के प्राविडेंट फण्ड का कोई लेखा-जोखा जिला परिषद्, सुल्तानपुर में अभी तक नहीं रखा गया है और न शिक्षकों को प्राविडेंट फंड के लेखे-जोखे का विवरण-पत्र ही दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और कब तक उन शिक्षकों को उनके प्राविडेंट फंड का लेखा-जोखा पत्र दे दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१७---श्री शिव कुमार पाण्डेय---

क्या यह सच है कि सन् १९६९ में हुए विधान सभा के मध्यावधि चुनाव म काय करने वाले जनपद, सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों को चुनाव भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो भुगतान न करने का कारण क्या है ? और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री राम जी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधान सभा

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी

*१८—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ? इनमें कितने कर्मचारी नियमित, अस्थायी और स्थायी हैं और कितने वर्कचार्ज और मस्टर रोल कर्मचारी हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। वांछित सूचना मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदेश के समस्त अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा उनके उप-खंडों से एकत्र की जा रही है जिसमें लगभग ३ माह का समय लगेगा।

माइनर खुशकरी, सोयम, नहरगंग, डिवीजन नरौरा की माइनर की टेल में खांदी करने वाले कृषकों के विरुद्ध कार्यवाही

*१९—श्री खूब चन्द्र (जिला एटा) तथा श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माइनर खुशकरी जिलेदारी हिस्सा सोयम नहर गंग, डिवीजन, नरौरा में कई वर्ष से खन्दा और बंधियों से माइनर की टेल पर पानी नहीं के बराबर आता रहा है और मौजूदा हालत में बिल्कुल नहीं आया ? क्या सरकार उपरोक्त माइनर की टेल पर उचित सुधार कराने की व्यवस्था करेगी ताकि पानी प्राप्त हो सके ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

माइनर की टेल पर पानी पिछले वर्षों में बराबर आता रहा है परन्तु इस वर्ष अप्रैल, १९७४ से टेल में पानी कृषकों द्वारा खादी करने के कारण बिल्कुल नहीं पहुंचा।

खांदी करने वाले कृषकों के विरुद्ध नार्दर्न इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

मुरादाबाद फर्रूखाबाद रोड पर स्थित जलालाबाद के विकास क्षेत्र, कलान में कलाम अरिल नदी का पुल

*२०—श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद–फर्रुखाबाद रोड पर जलालाबाद क्षेत्र में विकास क्षेत्र कलान में कलाम अरिल नदी का पुल बनाने हेतु लगभग ३ वर्ष पूर्व धनराशि स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो अभी तक पुल न बनने का क्या कारण है और यह पुल कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। इस कार्य को करने के लिये कोई ठेकेदार उपलब्ध नहीं हुआ। अतः जून, १९७३ में इस कार्य को उत्तर प्रदेश सेतु निगम को सौंपा गया। यदि इस कार्य हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहा तो इस कार्य को जून, १९७६ तक पूरे होने की सम्भावना है।

गोबर्द्धन नाले के बरसाना पुल, मथुरा जनपद का निर्माण

*२१—ठाकुर राधा चरण सिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन ड्रेन, जनपद मथुरा का बरसाना का पुल सन् १९६७ में वर्षा से बह गया था ? यदि हां, तो सरकार उसका पुनः निर्माण कब तक करायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां। गोवर्धन नाले का मामला अन्त प्रदेशीय है। इस पुल का निर्माण हरियाणा सरकार से धन प्राप्त होने पर हो सकेगा।

प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल जिला परिषद्, देवरिया में हरिजन अध्यापक

*२२—श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में जिला परिषद् के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में हरिजन अध्यापक १८ प्रतिशत से कम है? यदि हां, तो इस प्रतिशत को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम जी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जयहिन्द इन्टर कालेज, तेजी बाजार (जौनपुर) में विज्ञान प्रयोगशाला खोलने हेतु अनुदान

*२३—श्री राज बहादुर (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जयहिन्द इन्टर कालेज, तेजी बाजार, जौनपुर में विज्ञान प्रयोगशाला खोलने हेतु शासन ने लगभग पांच छः साल पूर्व छब्बीस हजार रुपये का अनुदान स्वीकार किया था, यदि हां, तो क्या यह उक्त धनराशि कालेज को प्राप्त हो गई और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण-कार्य पूरा हो गया, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां। धनराशि विद्यालय को प्राप्त हो गई है। परन्तु राजाज्ञा के अनुसार निर्माण-कार्य अभी तक अपूर्ण है क्योंकि विद्यालय ने निर्धारित माप के कमरे नहीं बनाये हैं।

*२४—श्री राम मूर्ति—

[१०वें बुधवार के लिये प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२५—श्री गंजी प्रसाद—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

छोटी गण्डक (जिला देवरिया) की बाढ़ रोकने हेतु नयी योजना का सर्वेक्षण

*२६—श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि छोटी गण्डक, जिला देवरिया से गत वर्ष की भीषण बाढ़ द्वारा हुई धन, जन की हानि की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

गत वर्ष की वर्षा के बाद वर्तमान कार्यों की मरम्मत की गई है। नई योजना बनाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

जिला परिषदीय अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं प्रतापगढ़ के एरियर के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को अनुदान

*२७—श्रीमती शिव कुमारी दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगड़ जनपद की जिला परिषद् की शिक्षा जब से बेसिक शिक्षा निदेशालय तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार में आई है, उसके पूर्व का अध्यापकों का एरियर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है और कहा जाता है कि यह एरियर जिलाधिकारी के समय का है और नहीं दिया जायगा ? क्या सरकार अविलम्ब निर्णय करेगी कि उक्त प्रकार का अध्यापकों का एरियर कौन देगा और कब देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अगस्त, १९७२ तक के अध्यापकों के वेतन भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का था जिसे निकायों ने पूरा नहीं किया। अब इस बकाये धनराशि को बेसिक शिक्षा परिषद को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ताकि अध्यापकों की आर्थिक कठिनाइयों का निवारण किया जा सके।

*२८—श्रीमती शिव कुमारी दुबे—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद का कितने और किन प्राइमरी और जूनियर स्कूल के अध्यापकों और अध्यापिकाओं का कितना एरियर १९७० ई० से आज तक बाकी है और क्यों ? क्या सरकार एरियर दिलाने की अविलम्ब व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

प्रतापगढ़ जनपद के १३ जिला परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों तथा २२४, प्राइमरी स्कूलों के क्रमशः १३ तथा २२४ (कुल २३७) अध्यापक/अध्यापिकाओं का ३२०४.९४ रुपये तथा ६५६६४.१७ रुपये (कुल ६८८६९.११ रुपये) अप्रैल, १९७० से जून १९७४ तक की अवधि का बकाया अवशेष है।

अगस्त १९७२ के पूर्व के एरियर के भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का था जिसे निकायों ने पूरा नहीं किया। अब इस एरियर को बेसिक शिक्षा परिषद् को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ताकि अध्यापकों की आर्थिक कठिनाइयों का निवारण हो सके।

अगस्त १९७२ के पश्चात के बकाया का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

डिवीजन माठ, ब्रांच मथुरा, नहरगंग के गांवों के कुओं तथा ट्यूबवेल में पानी

२९—श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिवीजन माठ ब्रांच, मथुरा नहर गंग के उन गांवों के कुओं तथा ट्यूबवेलों में पानी नहीं है जिनको नहर ब्रांच, मथुरा के पानी से वंचित कर दिया गया था और क्या सरकार इन ८४ गांवों के माठ ब्रांच, मथरा का बचा हुआ पानी जो जमुना में पहुंचा दिया जाता है, देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं। कुओं तथा नलकूपों में पानी उपलब्ध है। माट ब्रांच में फालतू पानी उपलब्ध नहीं है और इस ब्रांच प्रणाली से आपातकालीन स्थिति के अलावा यमुना नदी में पानी नहीं छोड़ा जाता।

तहसील घाटमपुर कानपुर में टेस्टवर्क के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य

*३०—कुंवर शविनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर में वित्तीय वर्ष १९७२–७३ व १९७३–७४ में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों को लिया गया, उनमें से किन-किन सड़कों में कितना-कितना निर्माण–कार्य कराया गया और कितना कार्य शेष है तथा जो शेष है उसे पूरा करने हेतु जनहित में कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

धनाभाव के कारण शेष कार्यों को पूरा करना अभी सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७६ पर)

प्रसार शिक्षक के पद पर विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति

*३१—श्री नारायण दास (जिला लखनऊ)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष प्रसार शिक्षक के पद पर कितने विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, उनमें कितने अनुसूचित जाति के थे तथा कितनों को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु विधिवत् विभागीय स्वीकृति प्राप्त थी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

किसी विभागीय कर्मचारी की नियुक्त नहीं की गई । प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों (मैनपुरी) के शिक्षकों का बकाया वेतन तथा पंचायत चुनाव से सम्बन्धित अध्यापकों को टी० ए०

*३२—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

क्या सिक्षा मंत्री जी को पता है कि मैनपुरी जिले के सभी प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का अगस्त १९७२ का पूरा वेतन आज तक बकाया है ? जिसके साथ ही उन्हें १९७२ के पंचायत चुनाव का टी० ए० का भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त भुगतान की व्यवस्था सरकार कब तक करने जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां । जिला परिषद् द्वारा अगस्त, १९७२ के वेतन का भुगतान धनाभाव के कारण नहीं किया गया बताया गया है । इस अवधि के वेतन भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का है, परन्तु अध्यापकों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर एतदर्थ आवश्यक अनुदान बेसिक शिक्षा परिषद् को दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । अध्यापकों के पंचायत चुनाव से संबंधित टी० ए० बिल निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्री-आडिट हेतु भेजे जा रहे हैं । प्री-आडिट के उपरान्त इनको भुगतान कर दिया जायगा ।

मुरादाबाद और सम्भल में शिक्षा विभाग की ग्रान्ट्स से बनी इमारतों को बेसिक विद्यालयों को देने की मांग

*३३—श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद और सम्भल में शिक्षा विभाग द्वारा दी गई ग्रान्ट्स से बनी हुई स्कूल की इमारतों में इस समय जिला हेल्थ अफसर और एक्जीक्यूटिव अफसर, नगरपालिक

रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इन इमारतों को तुरन्त खाली कराकर उन्हें बेसिक विद्यालयों को दिये जाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना अब भी एकत्र की जा रही है ।

जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहरोली, (लखनऊ) के अध्यापिकों की सेवा समाप्ति तथा बकाया वेतन का भुगतान

*३४—श्री महेश सिंह (जिला हरदोई)—

क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहरोली, लखनऊ के समस्त अध्यापकों की सेवायें २० मई, १९७४ में समाप्त कर दी गई हैं और इन अध्यापकों का दिसम्बर, १९७३ से अब तक वेतन भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और क्या शासन इस बरती गयी अनियमितताओं के प्रति प्रबन्धक के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां । अध्यापकों का दिसम्बर, १९७३ से पूर्ण वेतन भुगतान नहीं किया गया । सहायता प्राप्त विद्यालय न होने से वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत अध्यापकों का वेतन वितरण नहीं होता । प्रबन्धक ने सूचित किया है कि अब अध्यापकों का कुछ वेतन भुगतान हो चुका है । शेष भुगतान की वे व्यवस्था कर रहे हैं । विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कुछ आपसी झगड़े भी चल रहे हैं । विभाग द्वारा इन झगड़ों तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

तहसील सदर (गोरखपुर) में मान्यता प्राप्त विद्यालय तथा प्रसार अध्यापक

*३५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में कितने मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं तथा कितने में कृषि प्रसार शिक्षक हैं जो उसी विद्यालय में लगभग १० वर्ष से कार्यरत हैं ? इनके स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

४६ विद्यालय । इनमें से दो विद्यालयों में ऐसे प्रसार अध्यापक हैं । इन प्रसार अध्यापकों का कार्य असंतोषजनक न पाये जाने के कारण इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों (गढ़वाल) के प्रान्तीयकरण के लिये शिफारिश

*३६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले से कितने हायर सेकेन्डरी स्कूलों की १९७२ से १९७४ तक सिफ़ारिशें प्रान्तीयकरण के लिये आई हैं और कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनके विषय में पर्वतीय विकास परिषद की ओर से प्रान्तीयकरण के लिये लिखा गया है और इस वर्ष कौन-कौन ऐसे विद्यालय हैं जो प्रान्तीय करण की सूची में रखे गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

१९७२ से १९७४ तक कुल १० विद्यालयों के प्रान्तीयकरण के लिये सिफ़ारिसें प्राप्त हुई हैं । पर्वती विकास परिषद् से कोई संस्तुति नहीं प्राप्त हुई । इस वर्ष किसी विद्यालय का प्रान्तीयकरण नहीं किया गया ।

(३१ जुलाई १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

नन्दगंज (गाजीपुर) में लगने वाली चीनी मिल के क्षेत्र में सिंचाई योजना

*१—श्री काली चरन यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के नन्दगंज स्थान में लगने वाली चीनी मिल के क्षेत्र में सिंचाई की कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

*२—श्री हुकुम सिंह—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित]

ढमोला नदी (सहारनपुर) में बाढ़ के फलस्वरूप नीचे के भागों का जलमग्न होना

*३—सरदार कुलतार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सहारनपुर शहर में जो ढमोला नदी गुजरती है उसमें हर वर्ष बरसात में बाढ़ आने से शहर में काफी नुकसान होता है और इसके फलस्वरूप इस नदी के कटाव से मोहल्ला नारायणपुरी के मकानों को खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो क्या शहर से बाहर नाला खोदकर ढमोला नदी के बाढ़ के पानी को निकालने की कोई योजना विचाराधीन है और वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

अधिक बाढ़ आने पर ढमोला नदी नगर के नीचे भागों को जलमग्न करती है तथा मो० नारायणपुरी में कहीं-कहीं कटाव करती है । इस संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*४—श्री अब्दुल बाकी तथा श्री जफर आजमी—

(१०वें बधवार के लिये स्थगित)

टांडा और अकबरपुर तहसीलों (फैजाबाद) की टूंडी नदी को चौड़ा करन हतु योजना

*५—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंग कि फैजाबाद जिले की टान्डा और अकबरपुर तहसीलों की सीमा पर बहनेवाली टूंडी नदी में सैलाब के कारण प्रति वर्ष धन-जन की होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस क्षति को बचाने की दृष्टि से बांध निर्माण हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

बांध निर्माण करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । हां नदी को चौड़ा करन की योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

*६—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

टोल टैक्स हेतु राज्य सड़क निगम की स्थापना पर विचार

*७—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह एक राज्य सड़क निगम जो कि वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से राज्य के ऐसे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करा सके जहां कि लोग उन सड़कों का टोल टैक्स देने को तैयार हों, की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

*८—श्री रघुनाथ—

[१०वें बधवार के लिये स्थगित]

*९—श्री चेतराम गंगवार—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१०—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ का मांग-पत्र

*११—श्री संत सिंह यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ का प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल महोदय से दिनांक १०-९-७४ को मिलकर विभाग के मजदूरों की मांगों से सम्बन्धित मांग पत्र देकर वार्तालाप किया था ? यदि हां, तो प्रस्तुत मांग पत्र में कौन सी मांगें थी तथा उसमें से किन मांगों पर कार्यवाही की गई और कौन सी मांगें अभी विचाराधीन हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

मांगें संलग्न सूची में दर्शित हैं । सभी पर कार्यवाही की गयी और तारांकित मांगे विचाराधीन हैं । संलग्न सूची के क्रमांक ८ में संदर्भित मांगों में से कुछ मान ली गयीं और कुछ अस्वीकृत हुई और कुछ विचाराधीन हैं ।

क्रमांक ३ की मांग भ्रमात्मक है क्योंकि सब-ओवरसियर के पद के लिये ट्रेनिंग नहीं दी गयी । वर्क सुपरवाइजर के पद हेतु ट्रेनिंग दी गयी और सफल व्यक्तियों को टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति दी गयी । क्रमांक ४ की मांग पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि केन्द्रीय सरकार का निर्णय प्रान्तीय सरकार पर लागू नहीं होगा । उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (१९७१-७३) की संस्तुति के अनुसार वेतन पहले ही दिया जा चुका है । क्रमांक ६ की मांग सेतु निगम से संबंधित है जो सेवा नियमावली बना रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७७ पर)

जिला स्थल चयन समिति द्वारा नलकूपों का चयन

*१२—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां तथा सकरन ब्लाक, जिला सीतापुर में सिंचाई के लिये कितने सरकारी नलकूप हैं ? इस बात को देखते हुये कि उन्नतिशील खेती रबी

और खरीफ की बिना सिंचाई के साधन के संभव नहीं, बिसवां और सकरन ब्लाक, जिला सीतापर में कम से कम प्रत्येक ब्लाक में जो अब तक उपेक्षित रहा है १२ सरकारी ट्यूबवेल निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

कोई नहीं । किस स्थान पर नलकूप लगें यह स्थल चयन समिति द्वारा लिया जाता है ।

*१३—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्रीमती राम रती देवी, श्री राज बहादुर चन्द, श्री धर्मचन्द मिश्र, श्री रेवती रमन मौर्य, डाक्टर श्याम किशोर, श्री निसार अहमद अन्सारी, श्री भगौती प्रसाद शुक्ल तथा श्री छेदा लाल चौधरी—

(१०वें बधवार के लिये स्थगित ।)

जनपद कानपुर में इंजीनियर्स तथा जूनियर इंजीनियर्स का स्थानान्तरण

*१४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर से लगभग १७ इन्जीनियर्स का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार एवं अन्य कारणों से चालू वर्ष में अन्य जगहों के लिये किया गया था ? यदि हां, तो वह आदेश कब पारित हुए और उसके अनुसार उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

चालू वर्ष में जनपद कानपुर से केवल प्रशासनिक कारणों से २ इंक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, ८ असिस्टेट इंजीनियर तथा ४७ जूनियर इन्जीनियर्स का स्थानान्तरण अन्य जगहों में किया गया । इनके स्थानान्तरण के आदेश जनवरी, ७४ से जुलाई, ७४ के दौरान पारित हुए और २० जूनियर इन्जीनियर्स के अलावा सभी कार्य मुक्त हो चुके हैं । उक्त २० जूनियर इन्जीनियर्स को प्रशासकीय कारणों से फिलहाल कार्य मुक्त नहीं किया गया ।

*१५—श्री रघुवीर तथा श्री झिलमिट—

[१० वे बुधवार के लिए स्थगित]

*१६—श्री हर प्रताप सिंह—

[१० वे बुधवार के लिए स्थगित]

*१७—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी—

[१० वे बुधवार के लिए स्थगित]

*१८—१९—श्री रणंजय सिंह राजा—

[१० वे बुधवार के लिए स्थगित]

*२०—श्री राज किशोर तिवारी—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

हुकुम सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैसरगंज (बहराइच) में भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र आन्दोलन

*२१—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिलान्तर्गत कैसरगंज में हुकुम सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गत वर्ष वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के

विरुद्ध छात्रों ने आन्दोलन किया था और पचासों छात्र बन्दी बनाये गये थे एवं सरकार ने मामले में जांच का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, वित्तीय अनिमितताओं की जांच हेतु संस्था के सभी अभिलेखों का विशेष आडिट कराया गया । आडिट आख्या प्राप्त होने पर अवैतनिक छात्रों को वापस करा दिया गया ।

*२२—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग पर लखनऊ नाका स्थित रेलवे क्रासिंग पर ब्रिज

*२३—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर नगर के सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग पर लखनऊ नाका पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज या अन्डर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय से कोई वार्ता हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लखनऊ के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन व जालसाजी सम्बन्धी की शिकायती-पत्र

*२४—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजपाल सिंह, सदस्य, प्रबन्ध समिति, जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खडौआ, जिला लखनऊ द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध जालसाजी व गबन के शिकायती प्रार्थना पत्र मा० शिक्षा मन्त्री को दि० १६-११-७३ को सह-जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को दिनांक २५-४-७४ को तथा उप शिक्षा निदेशक षष्टम् मंडल, लखनऊ को दिनांक २४-५-७४ को दिये गए हैं? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या है, आरोपों की जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री राम जी लाल सहायक—

कथित पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय लखनऊ में प्राप्त हुए थे । मुख्य आरोप निम्न प्रकार है :

(१) चपरासी के जाली हस्ताक्षर बनाकर उसके वेतन हेतु बैंक से रुपया निकालना ।
(२) कृषि फार्म की निलामी से हुई आय को गबन करना ।
(३) अनुदान के धन का हिसाब-किताब सही न रखना तथा गोल-मोल करना ।
(४) विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए जाली बाउचर लगाकर अपहरण करना ।
(५) स्वीकृत धन में से कुछ भाग अध्यापकों को वितरित करके शेष धन का गबन करना ।
(६) हरिजन छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता ।

आरोपों की जांच सह जिला विद्यालय निरीक्षक; लखनऊ द्वारा कराई गई। जांच में आरोप संख्या १, २, ५ प्रमाणित नहीं हुए। आरोप संख्या ३, ४, ६ में वित्तीय अनियमितताये पाई गयीं।

बेसिक शिक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन

*२५—श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस जनपद में बेसिक शिक्षा परामर्श दात्री समितियों का अब तक गठन किया जा चुका है एवं उक्त समितियों में सभापति एवं सदस्यों के नामांकन किस-किस आधार पर किये गये हैं और इस प्रकार जनपद मुरादाबाद की बेसिक शिक्षा परामर्श दात्री समिति में शिक्षा विभाग के कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं तथा कितने समाज सेवियों का नामांकन किया गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अभीं किसी भी जिले में बेसिक शिक्षा परामर्श दात्री समिति के गठन का कार्य उपयुक्त रूप में सम्पन्न नहीं हुआ है।

*२६—श्री रणंजय सिंह राजा—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

*२७—श्री शिवचरन लाल—

[१० वें मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न सं० १४ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

बढ़पुर ब्लाक (फर्रुखाबाद) के प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापकों से जूनियर रेडक्रास के नाम पर रुपया लिया जाना

*२८—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बढ़पुर ब्लाक के प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापकों से फरवरी, १९७४ के वेतन वितरण के समय १० रु० प्रति स्कूल जूनियर रेड-क्रास के नाम पर लिया गया ? यदि हां, तो क्या उसकी रसीद दी गई और इस प्रकार एकत्रित धनराशि सही मद में जमा की गई ?

श्री राम जी लाल सहायक—

इससे पूर्व ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी थी। अतः इस मामले की अब जांच की जा रही है।

तहसील सादाबाद (मथुरा) में राजकीय नलकूपों का निर्माण

*२९—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की सादाबाद तहसील में अब तक कितने राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया है और १९७४-७५ में सादाबाद तहसील के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में अलग-अलग कितने नलकूपों का निर्माण होगा ? स्वीकृत नलकूपों का निर्माण किन-किन गांवों में होगा तथा यह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मथुरा जनपद की सादाबाद तहसील में अब तक ७ राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जा चुका है। इस समय वर्ष १९७४–७५ में सादाबाद तहसील में नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव नही है।

*३०—श्री कल्याण सिंह—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

*३१—श्री हरि केवल—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

*३२—श्री हरि केवल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*३३—श्री अब्दुल बाकी तथा श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

[१२ वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

बहराइच–भिनगा सड़क पर बने भाखला सेतु को नदी के कटाव से बचाने हेतु रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की आवश्यकता

*३४—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह ज्ञात है कि बहराइच से भिनगा जाने वाली सड़क पर बन भाखला सेतु को उसके उत्तर में नदी कटाव से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। एवं जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारियों ने कोई सूचना सरकार को विगत मासों में दी है? यदि हां, तो उस सेतु को कटाव से बचाने एवं नदी के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयत्न किये हैं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

जी नहीं।

राप्ती नदी जो कि भाकला नदी में मिल गई है, को अपनी धारा पुनः बदलने से रोकने के लिए सेतु के गाइड बांधों के अतिरिक्त कुछ और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की आवश्यकता हो सकती है। इस कार्य को अन्तिम रूप देने के लिए माडल स्टेडीज करानी होगी जिसके लिए सिंचाई विभाग, रुड़की अन्वेषणालय को उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा लिखा गया है।

नगरपालिका बिसवां (सीतापुर) के कृष्णा देवी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतीपत्र

*३५—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० जून, १९७४ को नगरपालिका बिसवां, जि० सीतापुर द्वारा संचालित कृष्णा देवी गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, माननीय सदस्य से कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है । मुख्य शिकायतें विद्यालय के पास अपना निजी भवन तथा फर्नीचर का न होना, गलत विवरण देकर मान्यता प्राप्त करना, बिन शासन की स्वीकृति के नगरपालिका निधि से उक्त विद्यालय पर व्यय करना प्रधानाचार्या की अनियमित ढंग से नियुक्ति करना, बिना मान्यता प्राप्त किए इन्टर कक्षायें संचालित करना आदि है । इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, सीतापुर तथा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से मामले की जांच कराई जा रही है ।

*३६—श्री बीर सिंह सेंगर —

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

*३७—श्री अनवार जमील एडवोकेट—

(१० वें बुधवार के लिए स्थगित)

रामपुर बठौआ (मिर्जापुर) पर स्थित सोन नदी पर बांध योजना

*३८—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोन नदी में रामपुर बठौआ के पास जिला मिर्जापुर में एक बांध बंधवाने की योजना चल रही थी और सर्वे भी हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं । अतः प्रगति का प्रश्न नहीं उठता ।

*३९—श्रीमती राम रति देवी—

[१० वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

*४०—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

*४१—४२—श्री श्रीनारायण—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

अस्थायी निर्माण खण्ड, डी०यू० रोड, राबर्ट्सनगर (मिर्जापुर) में फर्जी भुगतान और गुमम प पुस्तिका

*४३—श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई निर्माण खण्ड, डी० सी० यू० रोड, रावर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के अन्तर्गत फर्जी भुगतान को छिपाने के लिए माप पुस्तिकाओं का वर्ष १९७३–७४ में गोलमाल किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्न में उल्लिखित निर्माण कार्य से सम्बन्धित एक माप पुस्तिका खो गई है और मामले में छान-बीन की जा रही है । तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

*४४—श्री शिव सम्पत्ति राम तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उक्त खंड से गुम किए माप पुस्तिका में कितने रुपये का भुगतान अधिकारियों ने किया था तथा कौन-कौन निर्माण कार्य उसमें माप का रिकार्ड किया गया था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

खोई हुई माप पुस्तिका के आधार पर रु० ३,४८,४५२,५४ का भुगतान किया गया है। कथित माप पुस्तिका के आधार पर बाउचरों के अनुसार जिन निर्माण तथा अन्य कार्यों का भुगतान किया गया था, उसकी सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७८ पर)

जिला परिषद् फर्रुखाबाद के अध्यापकों का वेतन भुगतान

*४५—श्री अनवर जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के अध्यापकों का वेतन अगस्त, १९७२ से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जिला परिषद् फर्रुखाबाद के अध्यापकों के वेतन का भुगतान सितम्बर, १९७२ से अब तक निरन्तर किया जा रहा है।

उक्त अध्यापकों के अगस्त, १९७२ के वेतन का भुगतान किए जाने का दायित्व स्थानीय निकाय का है, परन्तु अध्यापकों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर एतदर्थ आवश्यक अनुदान बेसिक शिक्षा परिषद् को दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

दयानन्द इंटर कालेज (गोरखपुर) के अध्यापकों का प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*४६—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित दयानन्द इन्टर कालेज के अध्यापकों द्वारा कालेज के प्रबन्धक द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र शिक्षा सत्र १९७३–७४ में प्राप्त हुए, मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

तीन।

मुख्य शिकायतों की सूची संलग्न है।

शिकायतों की जांच की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७७९ पर)

*४७—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में फोरमैन के पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा नियमावली

*४८—श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सीधे (डाइरेक्टर) फोरमैन पद पर कार्यरत डिप्लोमा होल्डर कर्मचारियों का सर्विस रूल अभी तक नहीं बना है ? यदि हां, तो क्यों तथा उनको स्थाई करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे गये फोरमैन के पद हेतु सेवा नियम अभी नहीं बने हैं जिसका कारण यह है कि ऐसा अब तक एक ही पद स्थायी था ।

अब १९७४ में फोरमैन के ऐसे ३१ अतिरिक्त पदों को अस्थाई घोषित कर दिया गया है । इनके सेवा नियम बनाये जा रहे हैं । इन स्थायी पदों पर फोरमैन को स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

बी०टी०सी० हेतु साक्षात्कार का स्थगन

*४९—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७४ जुलाई, से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिए बी० टी० सी० का साक्षात्कार रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा पुनः साक्षात्कार अब कब होगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

शासन को समय-समय पर शिकायत प्राप्त हुयी थी कि साक्षात्कार द्वारा अनियमिततायें की जा रही हैं जिसके फलस्वरूप योग्य अभ्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया । नियमों में साक्षात्कार नहीं रखा गया ।

विकास खण्ड, उमरदा (फर्रुखाबाद) की सांडा झील के पानी की निकासी

*५०—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के विकास खंड उमरदा की सांडा झील के पानी के निकास के लिए बने नाले की सफाई नहीं कराई गई । पिछले अनेक वर्षों से झील में पानी भराव के कारण ९०० बीघा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि जलमग्न होकर बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार तत्काल सफाई कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

कथित सांडा झील एक उथली झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग २६० एकड़ है उसके आसपास लगभग २५० एकड़ क्षेत्र में कृषि होती है एवं वर्षा ऋतु में उसमें जमा पानी उक्त क्षेत्र में भर जाता है । इस झील का पानी सांडा नाम के प्राकृतिक नाले द्वारा ईसन नदी में गिरता है । चूंकि प्राकृतिक नाले का रख-रखाव सिंचाई विभाग द्वारा नहीं होता है अतः सफाई कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला गोंडा के प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण

*५१—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोंडा जिले में १ जनवरी, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक कितने प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापको का स्थानान्तरण किया गया है तथा उनके असामयिक स्थानान्तरण का कारण क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बाईस (२२) अध्यापकों का ।

स्थानान्तरण जनहित में किए गए थे ।

*५२—श्री अनवार जमील—

[१०वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानांतरित]

बानगंगा हेड बेराज शोहरतगढ़ (बस्ती) ओवरसियर का स्थानान्तरण

*५३—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ओवरसियर, बानगंगा हेड बेराज, शोहरतगढ़, जिला बस्ती करीब आठ वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

बान गंगा हेड बेराज, शोहरतगढ़ के ओवरसियर (सिविल अवर अभियन्ता) दिनांक २०–३–६७ से २५–५–७२ तक नलकूप खंड, बस्ती एवं उसके पश्चात् ड्रेनेज खंड, बस्ती में १–६–७२ से कार्यरत थे तथा उक्त तिथि (१–६–७२) से इनका खंड एवं मंडल बदल गया। पुनः उनका स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक ७–६–७४ द्वारा अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, गोरखपुर से सिंचाई निर्माण मंडल, वाराणसी को किया जा चुका है ।

*५४—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

[९वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

राजकीय प्राइमरी शिक्षक संघ समिति पिथौरागढ़ का ज्ञापन

*५५—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ के राजकीय प्राइमरी शिक्षक संघ समिति, पिथौरागढ़ ने अपनी मांग के समर्थन में जून, १९७४ को कोई ज्ञापन शासन को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां । उस पर विचार किया जा रहा है ।

डिप्लोमा इंजीनियरों की मांगें

*५६—चौधरी रामपाल सिंह यादव, श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी) तथा श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के २२,००० डिप्लोमा इन्जीनियरों ने जनवरी, १९७४ से मार्च, १९७४ तक अपनी विभिन्न मांगों के सन्दर्भ में हड़ताल कर रक्खी थी, यदि हां,

तो उनकी क्या मांगें थीं और सरकार ने उनकी मांगों पर क्या निर्णय लिया या लेने जा रही है और कब तक वह निर्णय लिया जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। यह संख्या लगभग १५,००० थी।

उनकी मांगें निम्नलिखित थी :—

१—केन्द्रीय डिप्लोमा इंजीनियरों के वेतन-क्रम के बराबर समानता जो कि सामान्य ग्रेड रु० ४२५–७०० और सलेक्शन ग्रेड रु० ५५०–९०० हैं।

२—सामान्य ग्रेड के २५ प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना।

३—सहायक अभियन्ता के संवर्ग में २५ प्रतिशत के बजाय ५० प्रतिशत पदों का जूनियर इंजीनियरों के लिये आरक्षण।

उपरोक्त मांगों पर शासन ने विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय ले लिया है और जूनियर इंजीनियरों के फेडरेशन को सूचित कर दिया है।

(१) सामान्य ग्रेड उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (१९७१–७३) की संस्तुति पर रु० १७५–३०० से बढ़ा कर रु० ३००–५०० कर दिया गया है।

(२) वेतन आयोग ने स्थायी पदों के १० प्रतिशत को वेतन-क्रम ४००–६०० रु० के सेलेक्शन ग्रेड में लाने की संस्तुति की थी। शासन ने इसके बजाय जूनियर इंजीनियरों के कुल पदों के (अस्थायी/स्थायी) २० प्रतिशत को वेतन-क्रम रु०४००–७५० का सलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया है।

(३) सहायक अभियन्ताओं के पद पर वर्तमान २५ प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाना तकनीकी दृष्टिकोण से तथा कार्यहित में उचित नहीं समझा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा संघ, बस्ती के जिला मंत्री का मांग-पत्र

*५७—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा संघ, जिला बस्ती के जिला मंत्री ने कोई मांग पत्र प्रदेश के ६,००० शारीरिक शिक्षकों के संबंध में इस वर्ष दिया है, यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है ? क्या उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम खमैला कानपुर, के सामने नहर पर पुलिया का निर्माण

*५८—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० २ के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि खमैला गांव के किसानों को खेती नहर के उत्तर की ओर है काश्तकार अपने खेतों पर २ १/२, ३ मील चल कर जाते हैं तो क्या ऐसी परिस्थिति में सिंचाई मंत्री ने २६ जून, १९७४ को खमैला के सामने एक छोटी पुलिया बनवा देने का प्रश्नकर्ता को मौखिक आश्वासन दिया है और उक्त ग्राम के सामने नहर गंग साथ, इटावा के मील ९४–९७ के बीच एक छोटी पुलिया बनाये जाने का आदेश शासन की ओर से दिया गया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, ग्राम खमैला के पास पैदल चलने के लिये एक पुलिया बनाने पर विचार किया जा रहा है ।

विकास क्षेत्र, बभन जोत, गोंडा में पी०एच०सी० के भवन का निर्माण

*५९--श्री दशरथ सिंह, श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के विकास क्षेत्र, बभनजोत में पी०एच०सी० के भवन का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो भवन कब तक बन कर पी०एच०सी० को सौंपा जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां ।

भवन का हस्तांतरण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

*६०--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

ऊन ब्लाक जूनियर हाई स्कूल मुजफ्फरनगर की अध्यापिका को वेतन न मिलना

*६१--श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर नगर के अन्तर्गत ऊन ब्लाक के जूनियर हाई स्कूल उनमें किसी अध्यापिका (श्रीमती मीना देवी गर्ग) की नियुक्ति दिनांक २४ दिसम्बर, १९७० को हुई थी ? और क्या पिछले ४१ माह से अब तक उनको वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये दोषी कौन है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां, नियुक्ति दिनांक १०-११-७० के आदेश के अन्तर्गत हुई थी। उनको नियुक्ति की तिथि से वेतन नहीं मिला है ।

उनके अवैधानिक रूप से कार्य ग्रहण करने के कारण उन्हें वेतन नहीं दिया जा सका ।इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है । जबसे वे बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत हैं तब से उनके वेतन भुगतान के संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

जिला विद्यालय, निरीक्षक, लखनऊ के कार्यालय में विद्यालयों के वेतन बिल के चेंकिंग हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

*६२--श्री चन्द्रभान आजाद (जिला बांदा) तथा श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विद्यालयों के वेतन बिलों की चेंकिंग के लिये कितने पर्यवेक्षक नियुक्त हैं ? क्या पर्यवेक्षक विद्यालयों के वेतन बिलों की चेंकिंग विद्यालयों में ही जाकर करते हैं ? यदि नहीं ,तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के कार्यालय में दस पर्यवेक्षक हैं जो अन्य कार्यों के साथ साथ वेतन बिलों की जांच का कार्य भी करते हैं विद्यालयों में जाकर वेतन बिलों की जांच करने का कोई नियम नहीं है ।

*६३--श्री हिम्मत सिंह तथा श्री मोहन लाल कपूर--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित।]

नलकूप निर्माण नियन्त्रण खण्ड (वाराणसी) में एक स्थान पर तीन साल से अधिक कार्यरत अधिशासी व सहायक अभियन्ता

*६४—श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री राम रति बिन्द एडवोकेट (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में नलकूप निर्माण प्रखंड के अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अनेकों शिकायतें होने पर भी वाराणसी से स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

नलकूप निर्माण नियन्त्रण खण्ड, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता, १४-१०-७६ से कार्यरत थे। इनका स्थानान्तरण वाराणसी से मुरादाबाद कर दिया गया है। इस खण्ड में कोई भी सहायक अभियन्ता ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नहीं है।

*६५—श्री अब्दुल वहीद—

[१२वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*६६—श्री बाबू लाल वर्मा—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*६७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६८—श्री सरदार कुलतार सिंह—

[११वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुखलिसपुर कैनाल, (बस्ती) से बड़हलगंज एवं जिगना माइनर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा

*६९—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि मुखलिसपुर कैनाल, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती से कुडहरी तथा बड़हलगंज व जिगना माइनरें निकली हैं ? उनमें से पानी केवल को ही दिया जाता है ? जिला बस्ती से कुंडहरी तथा बढहलगंज व जिगना माइनरें निकली हैं ? उनमें से पानी केवल कुड़हरी को ही दिया जाता है ? जिसके कारण बड़हल गंज व जिगना माइनरों से सींची जाने वाली फसल सूख जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोनों माइनरों को आवश्यकतानुसार पानी दिलाने के सम्बन्ध में तुरन्त आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं। कुड़हरी ग्राम के अतिरिक्त बड़हलगंज एवं जिगना माइनरों के कमाण्ड क्षेत्र में भी अन्य ग्रामों को पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है।

श्री धर्मदेव सिंह, सहायक अभियन्ता गोरखपुर का स्थानान्तरण

*७०—श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता (सिंचाई), गोरखपुर, श्री धर्म देव सिंह का स्थानान्तरण फैजाबाद के लिये हुआ और जब श्री धर्म सिंह फैजाबाद में चार्ज लेने आये तो संबद्ध अभियन्ता फैजाबाद ने चार्ज देने से इन्कार किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह सहायक अभियन्ता फैजाबाद में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

ग्राम जलालाबाद, तहसील सैदपुर गाजीपुर के गोधनी नाला का तमसा नदी में मिलना

*७१—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के अन्तर्गत तहसील सैदपुर ग्राम जलालाबाद के ताल से एक गोधनी नाला नदी के रुप में सदर तहसील व मुहम्मदाबाद तहसील ब्लाक कासिमाबाद ग्राम रेंगा सरताजपुर के समीप तम्सा नदी में मिलता है ? यदि हां, तो १९७२–७३ में अतिवृष्टि व गलत छोटी-छोटी पुलियों एवं पुलों के निर्माण के कारण इस नाले में काफी बाढ़ आ गयी थी जिसके फलस्वरुप इसके किनारे के बहुत से ग्रामों की फसल व मकान क्षतिग्रस्त हुये ? उन ग्रामों का नाम क्या है और उनकी क्या–क्या सहायता की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां। गोधनी नाला, जिसमें जलालाबाद तक का पानी आता है, ग्राम डेगा सरताजपुर के पास तमसा नदी (छोटी सरजू) में मिलता है। जहां तक उक्त नाले में बाढ़ आने का प्रश्न है, यह मुख्यतः अति वृष्टि के समय तमसा नदी में जल स्तर ऊंचा होने की वजह से होता है न कि पुल एवं पुलियों की वजह से।

वर्ष १९७२ व ७३ में हुई क्षति व दी गई सहायता का ग्रामवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७८० पर)

*७२—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित]

टिहरी गढ़वाल के व्यक्तिगत जूनियर हाई स्कूलों के लिए अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र

*७३—श्री गोविंद प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टिहरी–गढ़वाल में कितने व्यक्तिगत जूनियर हाई स्कूलों की प्रबन्ध समितियों ने अनुदान सहायता सूची में सामिल किये जाने हेतु वर्ष १९७२–७३ एवं १९७३–७४ में प्रार्थना–पत्र शासन को दिये हैं और उनमें कितने स्वीकृत हुये ? जिन्हें स्वीकृति नहीं मिली उसके क्या कारण हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष १९७२–७३ में ९ एवं १९७३–७४ में १७ विद्यालयों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। किन्तु किसी को भी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

स्वीकृत न मिलने के कारण निम्नवत हैं :—

(१) संबन्धित विद्यालय के विषय में आवश्यक सूचनायें समय से न प्राप्त होना।

(२) विद्यालयों द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करना।

(३) अर्ह होते हुये भी वरीयता के क्रम में उस भौतिक लक्ष्य के अन्दर न आना जहां तक संबन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान सूची पर विद्यालय लाये जाने का प्राविधान था।

*७४—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित]

महाराजगंज गोरखपुर के जी०-एस० बी० एस० इन्टर कालेज में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

*७५—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के महराजगंज स्थित जी० एस० बी० एस० इन्टर कालेज में व्याप्त वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना की सूचना १९६७ से ही मिल रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, प्रकरण विचाराधीन है ।

*७६—श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री बाल कृष्ण सानवाल—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

अमरोहा और कान्ट मुरादाबाद के बीच बान नदी के पुल का निर्माण

*७७—श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला मुरादाबाद में अमरोहा और कान्ट के बीच बान नदी का पुल बनाना सरकार के बिचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

*७८-७९—श्री शिव प्रसाद गुप्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

ग्राम मिहुता, तहसील अलीगंज (एटा) में बरसाती पानी निकालने हेतु नाला

*८०—श्री लटूरी सिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री ग्राम मिहुता तहसील अलीगंज जनपद एटा में करीब ५००० एकड़ कृषि योग्य भूमि में बरसाती पानी भर जाता है जिससे उक्त भूमि बेकार हो जाती है ? यदि हां, तो इसको रोकने हेतु क्या सरकार करीब ८ कि० मी० नाला की खुदाई कराके इस कठिनाई को दूर करने की कृपा करेंगी ?

श्री मोंहम्मद महमूद अली खां—

ग्राम मिहुता तहसील अलीगंज जनपद एटा में काफी क्षेत्र में बरसाती पानी भर जाता है ।

नाला बनाने हेतु अभी कोई योजना बिचाराधीन नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

तहसील करछना, ब्लाक चाका (इलाहाबाद) के गांवों की खराब सड़कें

१—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद में तहसील करछना, ब्लाक चाका में ग्राम शाह जी का पूरा चक बबुरा अलीमाबाद तथा ग्राम मुहब्बतगंज मड़ौका में जाने

का रास्ता इतना खराब है कि सुगम आवागमन संभव नहीं है ? क्या सरकार उक्त सड़कों को बनवायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग कच्चे हैं ।

धनाभाव के कारण इनका निर्माण कराना इस समय संभव नहीं है ।

अधीक्षण अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई मंडल, वाराणसी के अधिशासी, अभियन्ताओं द्वारा सामान की खरीद

२—श्री गोविंद सिंह नेगी तथा श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९७४ से ३० मार्च, १९७४ तक कितने लाख रुपये के सामान खरीदने का आर्डर एस० ई० लिफ्ट, वाराणसी ने अपने सभी अधिशासी अभियन्ताओं को दिये ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

अधीक्षण अभियन्ता लिफ्ट सिंचाई मण्डल वाराणसी ने जनवरी १९७४ से ३० मार्च, ७४ तक कुल २२.०९ लाख रुपये सामान खरीदने के आर्डर अपने सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्गत किये ।

३—श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दो वर्ष पहले नरायनपुर पंप कैनाल वाराणसी के लिये रबर के होज पाइप, फलैन्च आदि कलकत्ता की फर्म से न खरीदकर गाजियाबाद तथा मेरठ के ठेकेदारों से डुप्लीकेट खरीदा गया है और उसका दाम भी बहुत ज्यादा, दिया गया ? यदि हां, तो क्या फ्लैन्च तथा होज पाइप आदि फट गये और १३ रुपये की जगह १०३ रुपये का पेमेंट किया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

दो वर्ष पहले नरायनपुर पम्प नहर के लिये रबर के होज पाइप/फ्लैंज आदि गाजियाबाद तथा मेरठ की किसी फर्म से नहीं खरीदे गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

४—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

गंडक नदी पर छतौनी बांध की सुरक्षा हेतु योजनाओं पर अनुमानित लागत

५—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के दूसरे बुधवार, दिनांक १९ जून, १९७४ के उत्तरित तरांकित प्रश्न संख्या २५ के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोनों योजनाओं की पूरी रूप-रेखा क्या है ? काम कब प्रारम्भ हुआ, काम ठेकेदार से कराया जा रहा है या विभाग स्वयं कर रहा है और कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उत्तर प्रदेश में गन्डक नदी पर छितौनी बांध की सुरक्षा हेतु नदी प्रशिक्षण कार्य की इन दोनों योजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः ५४०.२५ लाख रुपया तथा १४२.२० लाख रुपया है। एक योजना के अन्तर्गत छितौनी बांध के आरम्भ से मुख्य तौर पर वर्तमान कार्यों का सुदृढ़ीकरण, बांध पर एप्रन डालना, ठोकरों को बढ़ाना आदि कार्य शामिल है तथा दूसरी योजना में विशेषकर छितौनी से पिपरासी तक बांध का निर्माण तथा चार ठोकरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं पर कार्य १९७१ की बरसात के पश्चात वर्ष ७२.७३ में आरम्भ हुआ था। कार्य मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है। कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि निश्चित रूप से नहीं दी जा सकती है क्योंकि छितौनी से पिपराघाट तक बांधों के निर्माण का कार्यक्रम बिहार सरकार के सिंचाई विभाग से सम्बद्ध है।

६--डाक्टर मलखान सिंह--

[९वें मंगलवार में प्रश्न संख्या १५ पर स्थानान्तरित]

तहसील करछना, ब्लाक चाका (इलाहाबाद) के अन्तर्गत ग्राम अमीलिया में राजकीय नलकूप का निर्माण

७--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद, तहसील करछना, चाका ब्लाक के अन्तर्गत अमीलिया ग्राम में नलकुप निर्माण करके उसे स्थापित करने हेतु सर्वे किया जा चुका है और क्या नलकूप निर्माण की योजना स्वीकार की जा चुकी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं। जनपद इलाहाबाद, तहसील करछना, ब्लाक चाका के अन्तर्गत ग्राम अमीलिया में एक राजकीय नलकूप बनाया गया था और यह दिनांक २२-४-१९६६ से चालू है। इस भाग में अन्य राजकीय नलकूप लगाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

८--श्री दया राम भास्कर--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी

*९--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टिहरी बांध योजना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी अब तक नियुक्त किये गये हैं और उनमें टिहरी-गढ़वाल के निवासियों की संख्या कितनी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

टिहरी बांध परियोजना के कार्यालय टिहरी, देहरादून तथा ऋषिकेश में स्थित हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय कार्यालयों द्वारा ५२ तृतीय एवं ७८ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नव-नियुक्तियां की गई हैं और उनमें से टिहरी-गढ़वाल के निवासियों की संख्या तृतीय श्रेणी में २४ तथा चतुर्थ श्रेणी में ५४ हैं।

इसके अलावा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शेष पदों को पदोन्नति द्वारा एवं विभाग के अन्य कार्यालयों से स्थानांतरित होकर आए हुए कर्मचारियों द्वारा भरा गया।

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के भविष्य निधि खाते

१०—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के भविष्य निधि से खातों में समय पर धनराशि जमा होती है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

कतिपय स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भविष्य निधि की धनराशि समय पर खातों में जमा होती है। कुछ स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनके अन्तर्गत विद्यालयों में व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है।

११—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा ऊदल—

[१४ वें मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

अहिरोली कुसम्ही ग्राम, रामकोला ब्लाक (देवरिया) के किसानों का नहर सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

१२—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले के रामकोला ब्लाक के अहिरोली कुसम्ही गांव के किसानों ने १४ मई, १९७४ को नहर सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

किसानों द्वारा दो मांगें की गयीं थीं—

१—प्रेमपुर रजवहा को चार फर्लांग पक्का कराये जावें, क्योंकि यहां पर अधिक सीपेज होता है, जिससे फसलों को क्षति होती है।

२—पिछली तीन फसलों में हुई क्षति का मुआवजा दिलाया जाय। जांच करने पर प्रेमपुर रजवहा ०—२—० से १—० मील तक अधिक भराई में पाया गया। इसकी पटरियां मजबूत बनी हैं। कोई सीपेज नहीं होता, अतः लाइनिंग कराने या मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।

छोटी गन्डक पर पुल हेतु रामकोला (देवरिया) के विधायक का प्रार्थना-पत्र

१३—श्री बांके लाल—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले के रामकोला क्षेत्र के विधायक ने दिनांक १२ मई, १९७४ को छोटी-गन्डक पर पुल निर्माण हेतु कोई पत्र उन्हें दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त पुल निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

देवरिया जिले के रामकोला क्षेत्र के विधायक श्री बांके लाल का दिनांक ६—५—७४ का पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

मनकापुर–सादुल्लानगर रोड (गोंडा) पर अमघटीघाट पुल का निर्माण

१४—श्री दशरथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोंडा जिले में मनकापुर, सादुल्लानगर रोड पर अमघटी घाट पुल बन रहा है ? यदि हां, तो उसका ठेका कब हुआ और वह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । इस पुल के निर्माण का ठेका ९ दिसम्बर, १९७० को दिया गया था और पुल के दिसम्बर, १९७४ तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

१५—श्री सत्य पाल सिंह यादव—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित]

पिथौरागढ़ के राजकीय प्राइमरी स्कूल के अध्यापक संघ का मांग सम्बन्धी ज्ञापन

१६—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ राजकीय प्राइमरी स्कूल के अध्यापक संघ ने जून, १९७४ को अपनी मांगों के समर्थन में कोई ज्ञापन शासन को दिया है ? यदि हां, तो वह मांगें क्या-क्या है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां । मांगों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७८१ पर)

ग्राम महुआ, तहसील इगलास (अलीगढ़) में सरकारी नलकूप

१७—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुआ, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ में एक सरकारी नलकूप बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसके लिए स्थान का चयन भी हो चुका था ? यदि हां, तो नलकूप कब तक लग जावेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं ।

देवरिया जिले के छितौनी इन्टर कालेज हेतु साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति

१८—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के छितौनी इन्टर कालेज, छितौनी के लिये सरकार साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब हो जायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जायेगी ।

किसान साक्षरता योजना के अन्तर्गत सह-परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्ति

१९—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री नन्हें लाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान साक्षरता योजना के अन्तर्गत सह परियोजना अधिकारी के पद की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मिल चुकी है ? यदि हां, तो क्या इस पद पर किसी की नियुक्ति की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? नियुक्ति में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

जी नहीं ।

इस वर्ष (१९७४-७५) में नियुक्ति की जानी थी, किन्तु मितव्ययता की पृष्ठ भूमि में शासनादेश के कारण नई नियुक्तियां स्थगित हैं ।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड, दरियाबाद (बाराबंकी) में नाले बनाने का विचार

२०—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी के विकास खंड दरियाबाद में जल में भराव को समाप्त करने के लिये किन-किन नालों की खुदाई करना शासन के विचाराधीन है और उनमें से किस-किस की खुदाई अधूरी पड़ी है तथा क्या सरकार इन अधूरे नालों को वर्षान्त के पूर्व पूरा कराने का विचार कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जिला बाराबंकी के विकास खंड, दरियाबाद में संलग्न सूची में ११ नाले बनाना विचाराधीन है । उनमें से डंडी व कमौली नालों का कार्य अपूर्ण है । इन पर मिट्टी का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराने के निदेश दे दिय गये हैं ।

शेष नालों पर कार्य धन उपलब्ध होने पर हो सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७८२ पर)

२१—श्री शिव चरन लाल—

[११ वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न १७ पर स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद जिले में ट्यूबवेल आपरेटरों को पुराना वेतनमान

२२—श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला में ट्यूबवेल आपरेटरों को अभी तक पुराने वेतनमान पर ही वेतन दिया जा रहा है जबकि नया वेतनमान लागू हुए लगभग १ साल होने जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां, कुछ एक नलकूप चालकों को अभी पुराना वेतनमान ही मिल रहा है । नये वेतनमान में इनका वेतन निर्धारित किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

२३—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बखेरा झील, तहसील खलीलाबाद (बस्ती) के पानी निकासी हेतु चोरमा नाले की सफाई

२४—श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की तहसील खलीलाबाद में प्रसिद्ध बखेरा झील के पानी निकालने के लिए एकमेव साधन चोरमा नाला की सफाई कब से नहीं हुई तथा सफाई न होने का कारण क्या है ? तथा नाले की सफाई कब कराई जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

चोरमा नाला, विभागीय नाला नहीं है। अतः इसकी सफाई का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधानाचार्य, जनता इन्टर कालेज, शिवली, (कानपुर) के विरुद्ध छात्रों का शिकायती-पत्र

२५—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक २ अप्रैल, १९७४ के साथ प्रधानाचार्य, जनता इन्टर कालेज, शिवली, कानपुर के विरुद्ध छात्रों के साथ धोखा-धड़ी करने के आरोपों का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

चौबेपुर-बन्दी माता (कानपुर) मार्ग का सर्वेक्षण

२६—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जनपद के अन्तर्गत चौबेपुर से बन्दी माता तक जाने वाले कच्चे मार्ग को पक्का बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग का सर्वे कब किया गया है ? और उसके अनुसार कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है, परन्तु धनाभाव के कारण इस समय इस मार्ग के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः इस मार्ग पर कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

२७—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[९ वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानांतरित]

इर्रीगेशन एण्ड प्लानिंग डिवीजन, गोण्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गबन के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

२८—श्री राम सेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद के अन्तर्गत इर्रीगेशन ऐन्ड प्लानिंग डिवीजन के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गबन की दिनांक २० मई, १९७४ तथा

१० जून, १९७४ की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और क्या उक्त शिकायत कर्ता को दिनांक ७ अप्रैल, १९७४ को पीटा गया था ? और क्या यह भी सही है कि अभी हाल में दस दिन के भीतर शिकायतकर्ता के चार हस्तान्तरण हुए ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि प्रश्न में कथित डिवीजन के एक लिपिक ने अपने अधिकारियों को कई पत्र लिखे हैं किन्तु इनमें से दिनांक २०-५-७४ का पत्र अभिलेख में नहीं है। उक्त लिपिक का दिनांक १०-६-७४ का एक पत्र अवश्य सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ किन्तु उसमें भ्रष्टाचार एवं गबन का कोई विवरण नहीं दिया गया था बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायतों के सम्बन्ध में मिलने की इच्छा प्रकट की गयी थी। दिनांक ७-४-७४ को कार्यालय में उक्त लिपिक को मारने-पीटने की बात सही नहीं पायी गयी। यह भी कहना सही नहीं है कि इस लिपिक के दस दिन के भीतर चार स्थानान्तरण किए गए।

बलिया, आजमगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले के नलकूप खण्ड में कार्यरत अनुत्तीर्ण जिलेदार

२९--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर जिले में कितने ऐसे जिलेदार नलकूप खंड में काम कर रहे हैं जो, जिलेदारी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हैं ? तथा उनकी नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा की गई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

ऐसा केवल एक ही जिलेदार है जो नलकूप खण्ड बलिया में कार्यरत है और जिलेदारी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है। उनकी नियुक्ति सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता, बलिया द्वारा स्थानीय व्यवस्था में की गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग (फर्रुखाबाद) में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिक्षक संघ के पदाधिकारी का प्रार्थना-पत्र

३०--श्री झामलाल अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक २५ अप्रैल, १९७४ को शिक्षक संघ, फर्रुखाबाद के एक पदाधिकारी का कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिले में निर्मित होने वाली सड़कें

३१--श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली जिले की कौन-कौन सी सड़कें अगले इस वर्ष में बनाई जायेंगी और उनकी क्या लम्बाई होगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७८३ पर)

तहसील नवाबगंज बरेली के मार्गों पर टेस्टवर्क के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य तथा व्यय

३२—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को पता है कि जिला बरेली में तहसील नवाबगंज में उनके विभाग द्वारा निर्मित हाफिजगंग-सेन्थल मार्ग पर आगे ग्राम लामीखेड़ा, तालिब हुसैन, बुझेना, जागीर, पचपेड़ा होकर जादीपुर मार्ग पर टेस्ट वर्क में मिट्टी का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस मार्ग पर कितना पैसा खर्च हो चुका है ? और क्या सरकार इस मार्ग को पक्का बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां।

४३,६०० रु० व्यय हुआ है। धनाभाव के कारण इस मार्ग को इस समय पक्का करना सम्भव नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिलान्तर्गत जूनियर हाई स्कूलों के भवन तथा बे० प्रा० पाठशाला की स्थापना

३३—श्री चन्द्रभान आजाद तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास इमारतें नहीं हैं ? उनके नाम क्या हैं और इमारत की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री राम जी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

३४—श्री चन्द्रभान आजाद तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष १९७३–७४ में वाराणसी जिले के अन्तर्गत कितने बे० प्रा० पाठशाला खोले गये और कहां-कहां ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

३५—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा के अन्तर्गत कन्या पाठशालाओं के लिये प्रधानाध्यापिकाओं का साक्षात्कार

३६—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के अन्तर्गत कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं का प्रधानाध्यापिका पद के लिये साक्षात्कार कब हुआ था और उसके आधार पर जो लिस्ट तैयार की गई थी वह लिस्ट अब तक क्यों नहीं प्रकाशित की गई ?

श्री राम जी लाल सहायक---

सूचना अब भी एकत्र की जा रही है ।

भूतपूर्व सदस्य श्री गोपाल नारायण सक्सेना (पालन जी) के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, मुझे बहुत दुख के साथ इस सदन को यह सूचना देनी पड़ रही है कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का एक महान् सेनानी, उत्तर प्रदेश की एक महान् विभूति, आस्थाओं और विश्वास पर अकेले ही अपने रास्ते पर चल निकलने वाले पालन जी, जैसा कि हम उनको जानते थे, और पुकारते थे जेल के अन्दर और बाहर, गोपाल नारायण सक्सेना का २८/२९ की रात को निधन हो गया । गोपाल नारायण सक्सेना जी, पालन जी, गांधी युग के उन सबसे पहले लोगों में थे जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में सर्वप्रथम १९२१ में इलाहाबाद में हिस्सा लिया । उसके बाद वह हर आन्दोलन में अबाध रूप से बराबर हिस्सा लेते रहे । भारी-भारी कठिनाइयां उन्हें अपने मार्ग से डिगा न सकीं । आर्थिक कठिनाइयां उन्हें रास्ते से विचलित न कर सकीं । स्वास्थ्य की कमजोरी भी उनके इस कठिन कार्य में बाधा न पड़ी । ३०, ३१, ३२, ४० और ४२ हर आन्दोलन में स्वतन्त्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाला यह योद्धा हमारे प्रदेश की लड़ाई का सिरमौर रहा । स्वराज्य पाने के बाद भी उनका विद्रोह मन और उनका व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व नें समाज को गांधी युग में नई चेतना और प्रेरणा दी थी, वह एक बार फिर भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य होने के बाद भी वर्षों-वर्षों कांग्रेस विधान मण्डल का सदस्य होने के बाद भी, वर्षों-वर्षों कांग्रेस के साथ गहरा सम्बन्ध होने के बाद भी कांग्रेस से बिदा ली और वह किसान मजदूर पार्टी और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में काम करने लगे । वह अन्त तक विद्रोही रहे और मुझे याद पड़ता है कि दो जिलों में किसानों की सुविधाओं को लेकर पालन जी ने कांग्रेस सरकार के जमाने में भी सत्याग्रह किया । पालन जी मन्त्री हो सकते थे, पालन जी पार्लियामेंट के सदस्य हो सकते थे । पर विद्रोह पालन के हृदय में बेचैनी थी, नई युग की एक आस्था, एक विश्वास था । एक छटपटाहट थी और उसके पूरे होने में देर लग रही थी, अस्तु वह बेचैनी से विद्रोह के रास्ते पर आगे बढ़ते गये । उनका जीवन सादगी का जीवन था, जैसा कि कबीर ने लिखा है--"जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया" । अपने चरित्र-बल पर, अपनी सेवा, तप और त्याग के बल पर, पालन जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी । पालन जी स्वर्गवासी हो गए, पर पालन जी झुके नहीं । अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार पालन जी भारत की सेवा मरते दम तक करते रहे । जिस दिन उनका देहान्त हुआ, वे एम० एल० सी० उस तारीख में थे । लेकिन मैं मानता हूं, वह उस पद को गौरवान्वित करते थे पद, उनको गौरवान्वित करने की क्षमता रखता हो, ऐसा नहीं था ।

मान्यवर, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इतनी जल्दी उनका देहान्त हो जायगा । मैं उनको देखने गया । जिस रात में उनका देहान्त हुआ, उस रात की पहली शाम को वह बड़ी तकलीफ में थे । अर्ध-मूर्छावस्था में थे । लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति थी और मरने के बाद भी उनके चेहरे की शांति को देखकर लग रहा था कि जैसे मरते वक्त उनका सन्देश हो, "जब जीवन भर अपना काम पूरा किया, तो मरने पर गम क्या ?" शांति, स्निग्ध तथा सुन्दर उनका चेहरा वह शांति-मुद्रा मेरे मन पर जबर्दस्ती प्रभाव कर बैठी है ।

मान्यवर, पालन जी हमारे अग्रणी थे । स्वराज्य संग्राम के जबरदस्त सेनानायक थे । पालन जी का विद्रोह समाज के रूप को बदलने के लिए था । उनमें उच्छृंखलता नहीं थी, पर विद्रोह की भावना भी कम नहीं थी । मान्यवर, पालन जी के देहान्त से हमारे उत्तर

प्रदेश और पूरे भारत से एक महान् समाज-सेवी उठ गया। मेरी, मान्यवर, प्रार्थना है कि मृत-आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए इस सदन की ओर से और मेरी और मेरे दल की ओर से उनके शोक-सन्तप्त परिवार को हम सबकी समवेदना भेजने की कृपा करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गोपाल नारायण सक्सेना, जिनको पालन जी के नाम से जानते रहे हैं, से सम्पर्क का मौका मुझको भी इस माननीय सदन का ४६ से ५२ तक सदस्य रहते हुए मिला था। अब चूंकि मुख्य मन्त्री जी ने उनके बारे में काफी कुछ कहा है, तो जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं, मैं पूर्णतः उनके साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि ऐसे मौकों पर मुझे वही बात याद आती है कि धीरे-धीरे स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों की पंक्ति खत्म होती जा रही है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो जगह इस तरह से खाली हो रही है, वे खाली न रहे और उससे भी ज्यादा तादाद में लोग देश-सेवा के लिए आयें क्योंकि देश की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। इन शब्दों के साथ पुनः दोहराता हूं कि माननीय बहुगुणा जी ने जो कहा है मैं अपने और अपने दल को उससे एसोशिएट करता हूं।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय माननीय गोपाल नारायण सक्सेना के सम्बन्ध में जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मुझे उनका प्रत्यक्ष सान्निध्य या सम्पर्क प्राप्त करने का अवसर तो नहीं मिला लेकिन जैसा माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने बतलाया और प्रायः समाचार-पत्रों के माध्यम से जो कुछ उनके बारे में पढ़ा और जाना उसके आधार पर मैं एक वाक्य में यही कह सकता हूं कि उनका सारा जीवन हम सभी के लिए, विशेष रूप से जो तरुण पीढ़ी के लिए अनुकरणीय रहेगा और वह बहुत दिनों तक अपने प्रदेश में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पद उनके लिए एम०एल०सी० का ऐसा नहीं था जो उन्हें सुशोभित करता बल्कि पद की गरिमा उनके कारण थी ठीक उसी प्रकार से जैसे महात्मा तुलसीदास के बारे में कहा गया है "कविता करके तुलसी न लस्यों कविता, लसी या तुलसी की कला"। यह एम०एल०सी० का पद उनसे गौरवान्वित था न कि यह कि वह इस पद से गौरवान्वित थे। उनके निधन से हमको भारी दुख है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे दल की समवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी से सम्बन्ध मेरा सन् ५७ से था। वह एक चरित्रवान वक्ता थे। सादगी का जीवन उनका आदर्श था जिसका प्रभाव हर अच्छे समाज सेवी पर पड़ता रहा। इस सम्बन्ध में नेता सदन, नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी समवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सक्सेना जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किए हैं और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। सक्सेना जी स्वराज्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राममूर्ति (जिला वाराणसी)--

की लड़ाई में जो पहली लाइन थी उसके सिपाही थे और एक विद्यार्थी की हैसियत से उसमें शामिल हुए थे और उसमें उनकी निष्ठा और श्रद्धा थी और उस समय से अपने निधन के समय तक जन जीवन में लोगों की सेवा में लगे रहे। उनके सम्बन्ध में खास महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि स्वराज्य की हर लड़ाई में वह लड़े और जेलों में गये लेकिन स्वराज्य हो जाने के बाद भी जब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जनता की कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं तो उनके लिए भी वह लड़े और जेल गये। हमारे सदन व कौंसिल के वह बराबर मेम्बर बने रहे और लोगों की सेवा करते रहे। मेरी भगवान् से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक-सन्तप्त परिवार, बेटा-बेटी जो हैं उन तक आप हमारी समवेदना का जो पैगाम है उसे पहुंचाने की कृपा करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय माननीय पालन जी स्वतन्त्रता संग्राम के महान् सेनानी रहे हैं और साथ ही समाजवादी आन्दोल. के भी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनकी मृत्यु से हमें और हमारे दल को महान् दुख हुआ है। जैसा नेता सदन और नेता विरोधी दल ने कहा है उन विचारों से मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरी पार्टी की ओर से उनके दुखी परिवार को समवेदना का सन्देश पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेताओं ने पालन जी के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को पूर्णतया सम्बद्ध करता हूं। पालन जी की लोकप्रियता इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गयी थी। वे स्वतन्त्रता संग्राम के सेना नायक ही नहीं थे बल्कि उन्होंने विद्रोही, प्रज्ज्वलित, तेजस्वी एवं विचारपरक नीतियों से देश की सेवा की। वे उन ५५ लोगों में से थे जिन्होंने सन् १९२१ में जेल गमन किया था और गांधी जी के आह्वान पर एम०ए०, एल०एल०बी० की कक्षा में प्रवेश छोड़कर जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने को झोंक दिया था। वे आदि से अन्त तक एक जाने-माने कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में हमारे बीच में थे। उनकी अचानक मृत्यु से हमको और आपको जो सदमा पहुंचा है वह स्वाभाविक है। उनके निधन से निश्चय ही सार्वजनिक क्षेत्र में एक जबर्दस्त रिक्तता आई है जिसकी पूर्ति असम्भव है। मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं एवं सम्पूर्ण सदन के विचारों और समवेदना के सन्देश को शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब आपसे निवेदन है कि दो मिनट खड़े होकर मौन रहें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ जिसे विधान सभा ने दिनांक २९ जुलाई, १९७४ को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ३० जुलाई, १९७४ को सायंकाल पावस प्राप्त हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जय प्रकाश नारायण के इलाहाबाद आगमन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा कथित गलतबयानी केसम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, अभी माननीय झिलमिट एवं माननीय रामजी सिंह इस समय यहां पर मौजूद हैं..... चूंकि आज सदन ५ दिन के लिये उठ जायेगा....

श्री अध्यक्ष—

हम क्रम के हिसाब से चल रहे हैं न.....

श्री राम सेवक यादव—

उसमें केवल दो मिनट का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

हम पहले विशेषाधिकार के प्रश्न ले रहे हैं। "अध्यक्ष द्वारा सूचनायें" के अन्तर्गत यह आयेगा। श्री शतरुद्ध प्रकाश ने सूचना दी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाये गये इस आरोप को निराधार बताया कि सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण के इलाहाबाद आगमन पर उनकी उपेक्षा करने तथा उनके कार्यक्रमों को असफल करने की साजिश की है और कहा था कि वे भी श्री जय प्रकाश जी के नेतृत्व में आन्दोलन कर चुके हैं और उनकी तरफ से किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया जिससे श्री जय प्रकाश जी की प्रतिष्ठा गिरी हो या उनके कार्यक्रम को असफल बनाने की सरकार की कोई मंशा रही हो। श्री शतरुद्ध प्रकाश का यह भी कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने श्री जय प्रकाश जी के सम्बन्ध में यह भी कहा था कि वे देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और एक महान् नेता हैं। यह तो सदन में बात हुई थी। इसमें दो राय नहीं हैं, यह उन्होंने बयान दिया था। किन्तु शतरुद्ध प्रकाश जी का कहना है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा यह कहे जाने के उपरान्त कि श्री जयप्रकाश जी को महत्व नहीं देना चाहिये बल्कि उनकी उपेक्षा होनी चाहिये, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी श्री जयप्रकाश जी के साथ वैसा ही बर्ताव किया जसा कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने किया है। परन्तु अब प्रश्न यह है कि कहां-कहां ? मैं अपने अनुमान और समझ से कहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कहा होगा। हालांकि वह अनिश्चित है। अब इस पर मैंने माननीय मुख्य मंत्री से पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने ३ दिन के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में एक शब्द भी नहीं बोला, न कोई भाषण दिया और न कोई अपनी राय व्यक्त की। मैं वह कह रहा हूं जो उन्होंने कहा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आपने जो मुख्य मंत्री जी की बात बताई सदन में कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, इसका मेरे पास प्रमाण है। समाचार-पत्रों को इसका प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने उक्त कार्य समिति में हिस्सा लिया, उन लोगों ने कह है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, यहां सदन की यह प्रथा है कि जो माननीय सदस्य कहते हैं, उसको हम सही मानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जो कहते हैं, उसे सही मानना चाहिये ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, इन्होंने अवश्य कहा है, यदि आप कहेंगे तो मैं प्रमाण देने के लिये भी तैयार हूं । उन्होंने कार्य समिति में इस तरह की बातें कहीं हैं । जब सिद्धार्थ शंकर राय जी ने यह कहा कि १० हजार लोग रोज कलकत्ता में आते हैं, मैंने उनके बंगाल आगमन को भी बिलकुल वैसा ही समझा है जयप्रकाश जी को कोई महत्व नहीं देना चाहिये । इस पर तुरन्त उठकर हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने भी जय प्रकाश जी के साथ उत्तर प्रदेश में वैसा ही बर्ताव किया जैसा श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने किया ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कोई न तिथि दी है न बताया है कि कहां कहा है । यह प्रश्न अनिश्चित होते हुये भी, मैंने इसको महत्वपूर्ण मानकर मुख्य मंत्री जी से पूछा वह इन्कार करते हैं । समाचार-पत्रों में जहां आपने देखा है, उसको देख लीजिये, और सुधार लीजिए ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मुख्य मंत्री जी इन्कार कर रहे हैं, लेकिन कहा है, इसको कार्य समिति की रिपोर्ट में से देखा जा सकता है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

यह ठीक नहीं है । मैं वहां मौजूद थी । वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई बात नहीं कही । मैं वहां पर बराबर मौजूद थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई गवाही नहीं लेता । प्रश्न हमारे सामने यह है माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने माननीय मुख्य मंत्री के बिरुद्ध आरोप लगाया है कि उन्होंने इस सदन में दिये गये अपने बचनों को झूठा साबित कर दिया है जिससे यह स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में झूठ बोलकर सदन की अवमानना की है । माननीय सदस्य ने यह तिथि नहीं बतायी है जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है जिस पर माननीय सदस्य को आपत्ति है । संभवतः माननीय सदस्य का आशय दिनांक २४ जून, १९७४ को सदन में कहे गये माननीय मुख्य मंत्री के कथन से है । मैंने उक्त दिनांक की कार्यवाही देखी है । इसको देखने से यह स्पष्ट है कि श्री शतरुद्ध प्रकाश ने अपनी सूचना में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जिन शब्दों का सदन में कहा जाना बताया है वह शब्द सदन में कहे ही नही गये हैं । जो शब्द माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वास्तव में कहे गये हैं, उनसे वह आशय नही निकलता जो सूचना में उल्लिखित शब्दों मे है ।

माननीय सदस्य श्री शतरुद्ध प्रकाश ने यह भी नहीं स्पष्ट किया है कि किस दिनांक को माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में किये गये अपने कथन के विपरीत यह कथन किया कि उन्होंने भी श्री जय प्रकाश नारायण के साथ वैसा ही वर्ताव किया जैसा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने अपने भाषण में कहा । माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने कोई ऐसा आधार भी नहीं बताया है कि जिस पर उनकी सूचना आधारित हो । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६५ के उप नियम (१) के खंड (क) के अनुसार विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन का अवमान किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक ही निर्बद्ध होना चाहिये । परन्तु उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य की सूचना का विषय अनिश्चित, अस्पष्ट तथा हाल ही में घटित घटना से सम्बन्धित नहीं कहा जा सकता ।

इस सदन में मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों द्वारा ऐसी व्यवस्था दी जा चुकी है कि जब कोई प्रश्न प्रथम उपलब्ध अवसर पर न उठाया जा कर विलम्ब से उठाया गया है तब उसे विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहित संकलन के पृष्ठ ५३२ पर निर्णय संख्या १०९ में दिनांक ३ सितम्बर की घटना से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को ४ सितम्बर को सदन की बैठक में न उठाकर ७ सितम्बर, १९६४ को उठाये जाने पर विलम्ब से उठाया जाना माना गया और उसे अग्राह्य किया गया।

अतः मैं श्री शतरुद्ध प्रकाश की सूचना को उपर्युक्त कारणों से अग्राह्य करता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, जो आपका फैसला है अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन बहुगुणा जी ने इस तरह की बातें कार्य समिति में कही थीं।

श्री अध्यक्ष—

कांग्रेस संगठन के बीच में कुछ बात कही हो यह बात दूसरी है।

खाद्य मन्त्री के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न माननीय ओम प्रकाश सिंह का है। माननीय ओम प्रकाश सिंह ने अपनी सूचना में यह आरोप लगाया है कि माननीय खाद्य मंत्री ने जानबूझ कर सदन में गलतबयानी की और १८ जुलाई, १९७४ को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में खाद्य व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर किये गये प्रश्न के उत्तर में सदन को गुमराह किया। सूचना में उल्लिखित वक्तव्य और उस पर किये गये प्रश्न और उत्तर १८ जुलाई, १९७४ को हुये थे और माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना २९ जुलाई, १९७४ को अर्थात् ११ दिनों के बाद दी है। इस पर नियम ६५ और इस सम्बन्ध में निर्णयों के संहित संकलन के निर्णय संख्या १०९ (पृष्ठ) के अनुसार यह हाल ही में घटित घटना नहीं मानी जा सकती और इस प्रकार विलम्ब से उठाये जाने के कारण यह अग्राह्य है।

दूसरे, जिस आधार पर गलतबयानी का आरोप लगाया गया है, वही सही नहीं है क्योंकि दिनांक १८ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही को देखने से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई प्रश्न पूंछा नहीं गया था कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कोआपरेटिव दूकान में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि के बारे में विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कांग्रेस के महामंत्री श्री अजीज इमाम का कोई शिकायती —पत्र माननीय खाद्य मंत्री को पहले प्राप्त हुआ है या नहीं। जो प्रश्न पूंछा गया था वह यह था कि "क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वाराणसी विश्वविद्यालय की जो कोआपरेटिव है उसको कितना राशन मिलता है विद्यार्थियों को देने के लिये उस सम्बन्ध में विद्यार्थियों ने कई बार जिला अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत की? कोआपरेटिव के कारण विद्यार्थियों को महान् असंतोष है, तो जिला अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी और कोआपरेटिव के बीच में जो पिछले दो साल की गड़बड़ियां हैं, उसकी कोई जांच की है तो क्या कार्यवाही की है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने यह दिया था कि कि "कोआपरेटिव की जांच हुई, इसकी मेरे पास इत्तला नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूंछ लें तो जानकारी करके बता सकती हूं। साथ ही माननीय

[श्री अध्यक्ष]

मंत्री जी से जो लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है उसके साथ उन्होंने श्री अजीज इमाम का पत्र भी देखने को भेजा है, जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की दूकान नम्बर १६८ की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में था। इस प्रकार श्री ओम प्रकाश सिंह की सूचना तथ्य पर आधारित नहीं है।

तीसरे, ९ जुलाई, १९७४ को मैंने अपने निर्णय में इस प्रकार के तथाकथित उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के अस्त्र का प्रयोग न करके प्रश्न पूछने की अपील की थी।

अतएव मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

खाद्य मन्त्री के विरुद्ध श्री मधुकर दिघे द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय मधुकर दिघे ने सूचना दी है कि २९-७-१९७४ को उनके तारांकित प्रश्न संख्या १३ (नत्थी "ख") के उत्तर में माननीया खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र खाद्य विभाग को प्राप्त नहीं हुए। माननीय सदस्य का कहना है कि यह बात सरासर झूठ एवं गलत है। १९-६-७४ को माननीय खाद्य मंत्री को एक पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था और ३०-५-७४ को माननीय मुख्य मंत्री जी को रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये हैं। माननीय श्री दिघे का कहना है कि इन पत्रों की प्राप्ति से इन्कार करने की बात माननीया खाद्य मंत्री ने जान-बूझ कर इस प्रश्न में उठाये गये मामले को छिपाने की नीयत से कही है। यह स्पष्ट रूप से सदन का अवमान है और इससे विशेषाधिकार भंग होता है। माननीया खाद्य मंत्री जी स्पष्टीकरण दें।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जब यह प्रश्न आया था उस समय भी सतर्कता बरती थी और अपने आफिस में दुबारा कहा कि इसको ठीक से देख लें। ऐसा न हो कि आया हो पत्र और गलत हो जाय। दुबारा भी दिखाया गया। फिर आफिस में भी जैसा कि सचिव को मार्क कर दिया जाता है करके दिखाया गया था और मुझे बताया गया कि बहुत अच्छी तरह से देख लिया गया है और इसकी कहीं भी एन्ट्री नहीं है। तो हमने कहा कि क्या किया जाय, कहीं गलत बात हो गई तो आफिस वालों ने बताया कि कहीं नहीं मिल रहा है। तब हमने जवाब दिया था। जब विशेषाधिकार का सवाल आया तो मुख्य मंत्री के कार्यालय में भी दिखाने की कोशिश की। वहां से यह लिख कर आया कि कोई नहीं है और हमारे यहां पर भी कह रहे हैं कि काई नहीं है और मुझे याद नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर वह कहते हैं कि उनका ऐसा पत्र है तो वह मुझे दे सकते हैं। वैसे मुझे याद नहीं है और न कहीं रिकार्ड में है। इसलिये मेरी बड़ी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष—

यह जानबूझ कर नहीं हुआ है। इसलिये मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

यह तो ठीक है। लेकिन मेरे पास सबूत हैं और रजिस्ट्री वगैरः गई हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनके पास नहीं पहुंचा होगा जैसा कि मंत्री जी कह रही हैं। आपने भेजा है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह गलत बयानी कर रही हैं। बहुत दफा ऐसा हो जाता है कि पत्र बहुत दिनों बाद मिलते हैं और कभी नहीं भी मिलते हैं। यह कैसे मानें कि वह गलत कहती हैं। इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री मधुकर दिघे—

इसमें रिलीफ कैसे मिल सकता है ?

श्री ध्यक्ष—

यह जानबूझ कर नहीं हुआ है ।

कतिपय सदस्यों द्वारा पुनः चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले क्रांति दल में वापस आने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को दो सूचनायें देनी हैं । दो माननीय सदस्यों के पत्र मिले हैं । एक माननीय रामजी सिंह का है कि ४/५ दिन हुये कुछ गलत फहमी के कारण मैंने अपना दल भारतीय क्रान्ति दल छोड़ दिया था । अब मैंने पुनः विचार किया है और मैं इस दल में वापस आ गया हूं । मेरा चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मेरा पूर्ण विश्वास है और वह ही हमारे नेता हैं । आपसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सदन को देने की कृपा करें ।

दूसरी सूचना माननीय झिलमिट राम की है । मैंने अपना भारतीय क्रान्ति दल छोड़ दिया था । मैंने पुनः विचार किया और अब मैं फिर से आ गया हूं । चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मेरा पूर्ण विश्वास हैं । यह ही हमारे नेता हैं । अतएव आप से अनुरोध है कि सदन को सूचना देने की कृपा करें ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

मान्यवर, उनसे पूछा जाय । सबेरे तक तो वे हमारे साथ थे । पता नहीं कैसे उनसे लिखाया गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह डरा धमका कर अपने कब्जे में करना कहां तक सही है, इसके ऊपर आप व्यवस्था दें ।

श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

जो मैंने आपको लिख कर दिया है । वह शत प्रतिशत मेरा ही लिखा हुआ है ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक ३१ जुलाई, १९७४ की बैठक में १६ अगस्त, १९७४ तक निम्नलिखित विधेयकों तथा असरकारी सदस्यों के कार्य को सदन में लिये जाने हेतु जो समय निर्धारण की सिफारिश की है वह इस प्रकार है—

प्रदेश की खाद्य स्थिति पर चर्चा	६ अगस्त, १९७४ (अपराह्न ४ बजे से ६ बजे तक) ।
मुद्रा स्फीति एवं बढ़ती हुई महंगाई और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर रोक से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओम प्रकाश सिंह तथा वेद प्रकाश अग्रवाल द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा ।	८ अगस्त, १९७४ (अपराह्न ४ बजे से ६ बजे तक) ।

[श्री अध्यक्ष]

(१) उत्तर प्रदेश खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण । — १२ अगस्त, १९७४

(२) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं पारण ।

(१३, १४ तथा १५ अगस्त, १९७४ को बैठक न हो)

(१) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण । — १६ अगस्त, १९७४

(२) विद्युत गृहों को प्राइवेट लोगों को बेचने के सम्बन्ध में चर्चा ।

श्री त्रिवेनी राय (जिला आजमगढ़)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कतिपय समितियों एवं निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह है कि दिनांक २९ जुलाई, १९७४ को समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया था. अब मैं—

(१) लोक लेखा समिति,
(२) प्राक्कलन समिति,
(३) २७ स्थायी समितियां,
(४) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड,
(५) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
(६) उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद्,
(७) प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, तथा
(८) उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति ।

में, विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम पुनः निर्धारित करता हूं ।

(१) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय—सोमवार, १२—८—७४ अपरान्ह ३ बजे तक ।

(२) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	मंगलवार, १३-८-१९७४ अपराह्न ३ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।
(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार १६ अगस्त, १९७४ को अपराह्न ४ बजे तक।
(४) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो—	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश। पंचायती राज सलाहकार परिषद् प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति के लिये	मंगलवार, दिनांक २०-८-७४ को दिन के १२ बजे से अपराह्न से ५ बजे तक, विधान वाचनालय विधान भवन, लखनऊ में होगा।
(ख) २७ स्थायी समितियों के लिये	बुधवार, दिनांक २१-८-७४ को दिन के १२ बजे से अपराह्न ५ बजे तक विधान वाचनालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रम समिति की सूचना आने वाली है। अगर समय रहा तो इसमें जोड़ दिया जायगा।

जिला मैनपुरी के ग्राम बदनपुर करखा, थाना शिकोहाबाद में श्री श्याम सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल के परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

दिनांक २० जुलाई, १९७४ को प्रातः ७ बजे वादी श्याम सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी ग्राम बदनपुर करखा, थाना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी ने थाना शिकोहाबाद पर लिखित सूचना दी कि १९/२० जुलाई, १९७४ की दरमियानी रात में उसके पिता रामेश्वर दयाल घर के दरवाजे के पास की बैठक में सो रहे थे तथा उसका छोटा भाई इनाम सिंह घर के अन्दर बरामदे में सो रहा था। उसका चचा जात बाबा भीकम सिंह अपने मकान के पास झोपड़ी में सो रहा था। दूसरा चचा जात बाबा छबिराम व खानदानी नाथूराम अपने घर के दरवाजे पर छप्पर में सो रहे थे। लगभग ११ बजे राज में आठ नामांकित अभियुक्त उसके मकान पर राइफलें व बन्दूकें लेकर आये और वादी के पिता रामेश्वर दयाल, वादी भाई इनाम सिंह, भीकम सिंह, नाथूराम व छबिराम को गोली से मार दिया।

वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अभियुक्तगण वादी व उसके खानदान से रंजिश मानते थे तथा इसी कारण सब ने मशविरा व राय करके उपरोक्त हत्या की।

उक्त सूचना पर थाना शिकोहाबाद में धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना आरम्भ की गयी। थानाध्यक्ष मय आवश्यक फोर्स के तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे तथा दिनांक २०-७-७४ को ही पुलिस अधीक्षक तथा वृत्ताधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर खाली तथा भरे हुए कारतूस प्राप्त हुए जिन्हें पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया तथा मृतकों की

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

लाशों का पंचायतनामा बनाकर उसी दिन पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। अभियुक्तों को बन्दी बनाये जाने का अथक प्रयास किया जा रहा है।

दिनांक २०-७-७४ से ही पी० ए० सी० तथा थाने की फोर्स बराबर ग्राम बदनपुर में लगी हुई है। आस-पास के ग्रामों में भी पी० ए० सी० तथा सशस्त्र पुलिस की पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है। ग्राम जनता में पुलिस की व्यवस्था के प्रति पूर्ण संतोष है। यह सत्य नहीं है कि उक्त घटना से सारे क्षेत्र में आतंक व्याप्त हो।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष--

६ को लेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह वक्तव्य मुझे अभी मिला है.....

श्री अध्यक्ष--

कल बंटा था। आप भूल आये होंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेश में सभी जनपदों में करीब-करीब रोजाना ८-१० आदमी एक साथ मार दिये जाते हैं तो क्या मन्त्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि यह घटनायें जो बढ़ती जा रही हैं उनको रोका जा सके ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, इस सदन में और सदन के बाहर भी मुख्य मन्त्री जी ने अपने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट आदेश दिये हैं कि वे इस तरह की स्थिति को हमेशा वाच करते रहें ताकि लॉ एन्ड आर्डर मेन्टेन रहे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आपने जून के महीने में अभियान चलाया है कि लोगों को अपराध से बचाया जा सके लेकिन फिर भी इस अभियान के बाद यह घटनायें हो रही हैं कि ७-८ आदमी एक साथ मार दिये जा रहे हैं। आपने कौन-सी ऐसी व्यवस्था की है कि यह चीजें न हों, सरकार बताये ?

श्री राज मंगल पांडेय--

आपसी रंजिश के कारण कोई व्यक्ति डिस्प्रेट हो जाये और ऐसी घटना कर बैठे तो उसको रोक नहीं सकते हैं। उन लोगों ने ११ बजे रात को यह किया। इस घटना को करने में उनको २०-२५ मिनट लगे तो ऐसी दशा में कितनी ही व्यवस्था की जाये तो वह हो नहीं सकती है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि घटना आपसी रंजिश के कारण हुई और ऐसी घटनाओं को रोकने में सरकार सक्षम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि अक्सर ऐसी छोटी-छोटी घटनायें होती रहती हैं। हल्के के दरोगा को जानकारी रहती है लेकिन उनको रोकने की कोशिश

नहीं हुई बल्कि उनको प्रश्रय मिलता है। माननीय मन्त्री का कहना ठीक नहीं है कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं चाहूंगा कि वह इस तरह की चीजों का अध्ययन करायें और मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा है कि एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। यह मुझे वास्तविक नहीं मालूम पड़ता है कि अभियुक्त गिरफ्तार न हुआ हो और कहा यह जाये कि अथक प्रयास किया जा रहा है। वह अथक प्रयास क्या है ? परिणाम के हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ। ८२/८३ की कार्यवाही का भी जिक्र नहीं हुआ। क्या ८२/८३ की कार्यवाही हुई ? हुई, तो किस तारीख को हुई और कौन सा सामान कुर्क हुआ ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने कहा कि आपसी रंजिश की वजह से या कहीं किसी व्यक्ति से किसी दुश्मनी के बारे में जैसा इस केस में ३०-२-७४ को जयदयाल और उसके भाई आर्म्स ऐक्ट में पकड़े गये। अब उसके दिल में जब शुबहा हो तो इस शुबहा को शासन क्या कर सकता है ? तो जहां शुबहे के ऊपर, रंजिश के ऊपर आकस्मिक कोई घटना कर बैठे, तो उस समय तुरन्त इन्तजाम से उस घटना को कैसे रोका जा सकता है ? मान्यवर, मैं एक उदाहरण देता हूं। इसी सदन की लाबी में एक घटना हो गई, कुछ लोग पीट दिये गये और उसका आभास आपको नहीं हो सका जबकि आपका स्थान मुश्किल से २० कदम था।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी इस हाउस की लाबी की घटना के बारे में जो वह कह रहे हैं, वह घटना घटी भी है कि नहीं, अभी उसकी जांच हो रही है, उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। तो माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की घटनाओं का उदाहरण इस आदरणीय सदन में नहीं दे सकते। माननीय अध्यक्ष जी आप इसमें अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

वह यह नहीं कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि इस प्रकार की अप्रत्याशित बातें होती हैं, यहां पर भी और बाहर भी।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें, माननीय मन्त्री जी ने साफ-साफ लाबी की घटना का उदाहरण दिया है।

श्री अध्यक्ष--

यह मैं कहूंगा कि ऐसा उदाहरण भी बहुत उपयुक्त नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की घटना के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जिसमें शासन तुरन्त क्या व्यवस्था कर सकता है।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं इस घटना की सच्चाई के बारे में कह रहा हूं। मैंने तो यह कहा कि यहां पर लाबी में भी घटना हो गई, जबकि माननीय अध्यक्ष जी का स्थान मुश्किल से २० कदम की दूरी पर था। तो इस प्रकार की कोई अप्रत्याशित घटना करने के लिए कोई तैयार हो जाय, तो उसमें शासन तुरन्त क्या कर सकता है ? रह गया ८२/८३ की कार्यवाही के

[श्री राज मंगल पांडेय]

बारे में, २०-७-७४ को यह घटना हुई और उसी रोज रिपोर्ट लिखाई गई । तो उसी रोज से एक्यूज्ड के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई । ऐसा कोई भी एक्यूज्ड नहीं है जिसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई हो ।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह बता दिया जाय कि कौन-कौन सा सामान कुर्क हुआ ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जून में गुण्डा विरोधी अभियान चलाया गया और उसमें हजारों आदमियों को गलत-सलत पकड़ा गया । क्या उस सिलसिले में कभी भी ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में जहां पर झगड़े हैं, विशेष रूप से १०७/११७/१५१ के मातहत कोई कार्यवाही की गई कि ऐसी घटनाएं न हों ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, आप तो शायद देर में आये, कल इसी बिना पर बहस हुई, आज मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि १०७/११७ की कार्यवाही के बारे में । इसकी कार्यवाही तभी एफेक्टिव हो सकती है जब कहीं पर शांति भंग होने की सम्भावना होती है । एक माननीय सदस्य ने पूछा कि ८२/८३ की कार्यवाही में क्या सामान कुर्क हुआ ? मैं तो यह कह रहा हूं कि वे एक्यूज्ड जहां कहीं पर भी होंगे, उनको पकड़ा जायगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

यह माना कि आप सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे परन्तु क्या ये घटनायें होती रहेंगी ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या प्रिवेन्टेटिव मेजर्स लिए हैं क्योंकि रोज-बरोज ये घटनायें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो दे दिया है ।

श्री रामसेवक यादव--

कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सामान कुर्क हुआ ? अक्सर पुलिस के लोग इस प्रकार की पूर्ति के लिये जब कुर्की वगैरह करते हैं तो कहीं एक थाली, एक चारपाई और एक लोटे को कुर्क कर देते हैं । अगर वे सब सामान कुर्क कर लें तो मजबूर होकर मुल्जिम हाजिर हो जाते हैं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी मैनपुरी जिले की पूरे साल की अपराधों की संख्या को देख लें, वहां पर बराबर स्थिति बिगड़ती जा रही है और खास तौर से शिकोहाबाद से करहल तहसील तक पूरी बेल्ट में जनता डाकुओं से परेशान है । मैं समझता हूं कि जब तक इस बेल्ट में कोई विशेष प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं होगा वहां के लोगों की सुरक्षा नहीं हो पायेगी, मर्डर्स होते रहेंगे और डकतियां पड़ती रहेंगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

विशेष प्रबन्ध का अर्थ तो नहीं समझ सका । जहां-जहां ला एण्ड आर्डर सिचुएशन की हालत खराब दिखाई देती है, वहां पर पी० ए० सी० और आर्म्ड कान्सटेब्युलरी दोनों को भेज

दिया जाता है। वे वहां और आस-पास के गांवों में गश्त करते रहते हैं। मुस्तकिल तौर से एक साल या २ साल तक तो उनका वहां रखना संभव नहीं है। इन्डीविजुअल केसेज में ही यह होता है, कुछ मामलों में हम प्रिवेन्टेटिव मेजर्स के रूप में कार्यवाही करते हैं। कभी-कभी पुलिस तक को भी जानकारी नहीं होती, है, २ पार्टियां एक दूसरे पर फायर कर देती हैं। ऐसे मामलों में सरकार कितना भी रोकना चाहे जान-माल की सुरक्षा नहीं कर सकती है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनायें रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है? जब हजारों आदमी वैसे पकड़े जा सकते हैं तो जहां पर रंजिशें हैं, जहां पर लड़ाई का अन्देशा होता है, जबकि मामूली मामलों में आदमियों पर दफा १०७/११७ की कार्यवाही हो जाती है तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये जिला स्तर पर कोई नीति बनायी है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं जवाब दे चुका हूं कि जहां पर सरकारी अधिकारियों को मालूम हो जाता है कि ऐसी घटना की संभावना है, तो वहां तो कार्यवाही वे कर लेते हैं लेकिन जहां पर आकस्मिक घटना हो जाये तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। उनके दिल में यह धारणा हो गयी थी कि जो गिरफ्तारी हुई है, वह वादी के कारण हुई है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

जैसा मन्त्री जी ने कहा कि वे आदमी जो यह समझते हैं कि हमें नाहक में फंसाया गया, उसके घर के आदमियों को कत्ल कर देते हैं तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि क्या वे पुलिस को आदेश देंगे कि वे डकैतों और बदमाशों की वकालत करने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ताकि मैनपुरी जिले में कत्ल और डकैतियां कम हों और ऐसे आदमियों की हिफाजत हो सके जो डकैतियां और कत्ल होने के खिलाफ थानों में रपट लिखाते हैं ?

श्री राजमंगल पाडय--

आप जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि इसका केवल अन्देशा हुआ कि उसके गोल वालों को वादी की वजह से फंसाया गया। अगर किसी के दिल में शुबहा हो जाय कि फलां ने मुझे फंसा दिया और पुलिस को पता न हो तो क्या वह प्रिवेंटिव कार्यवाही करे ? शासन की निश्चित नीति है कि जहां पुलिस अधिकारियों को आभास हो जाय कि वहां जुर्म होने वाला है तो उसको रोक सकेंगे, लेकिन आकस्मिक तौर पर, आन दि स्पर आफ दि मूमेंट अगर घटना हो जाय तो उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। आप लाखों की फौज भी गांव में कर दीजिये, घर-घर में, लेकिन दो सेकेन्ड में किसी को गोली मारी जा सकती है। इसको कोई गवर्नमेन्ट नहीं रोक सकती है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

८२-८३ की रिपोर्ट.....जरा बता दें कि क्या कार्यवाही हुई है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लें।

उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी को केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित धन तथा प्रशासनिक कार्य हेतु अधिकृत हिन्दी भाषा की तथाकथित उपेक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

माननीय सर्वश्री ओम प्रकाश सिंह, रामसेवक यादव, धीरेन्द्र सहाय तथा काशी नाथ मिश्रा ने उ० प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के कार्य संचालन के प्रति उ० प्र० सरकार की उदासीनता तथा अकादमी की वर्तमान आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में २४–७–१९७४ को उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५१/५६ के अधीन जो सूचना दी है उसमें संक्षिप्त रूप में निम्नांकित विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है:—

(१) केन्द्रीय शासन ने उ० प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के लिये १,००,००,००० रु० की धनराशि आवंटित की थी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण ७०,००,००० रु० डूब गया।

(२) केन्द्रीय शासन ने अकादमी के कार्य के लिये एक प्रेस आवंटित किया था परन्तु उ० प्र० सरकार की उपेक्षा के कारण प्रेस इस प्रदेश को नहीं मिला और अन्य राज्य को चला गया।

(३) उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी का कोष समाप्त हो गया है। डाक, फोन, बिजली आदि के बिल तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिये धन अवशेष नहीं है।

(४) उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी की ७७ पुस्तकें प्रेस में पड़ी हैं। १०० पुस्तकों के लिखने का अनुबन्ध हो चुका है। धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य रुका पड़ा है।

(५) विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी में पुस्तकों के उपलब्ध न होने के कारण छात्रों में रोष है।

(६) उ० प्र० शासन द्वारा राज्य भाषा हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है।

२—माननीय सदस्यों ने जिन उपरोक्त विषयों के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है उनके बारे में स्थिति स्पष्ट करने के पूर्व उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की स्थापना, संगठन, कार्य-कलापों आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से सदन को बता देना उपयुक्त समझता हूं।

३—उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी की स्थापना इस प्रदेश में वर्ष १९६९–७० में की गयी थी। भारतीय संसद द्वारा जनवरी, १९६८ में स्वीकृत भाषा नीति के आधार पर केन्द्र शासन ने सभी राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिये यह योजना लागू की थी। इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा १,००,००,००० रु० की धनराशि ६ वर्षों में उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी थी। इसी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी का इस दिशा में प्रादुर्भाव हुआ। इस अकादमी का संविधान केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुमोदन से बनाया गया और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अन्तर्गत इसका पंजीकरण किया गया। अकादमी के संविधान के अनुसार इसके दो प्रमुख अंग हैं—सामान्य सभा और शासी मण्डल। अकादमी के इन दोनों उप-भागों में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, प्रदश क विश्वविद्यालयों के कुलपति, केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधि, हिन्दी साहित्य संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य हिन्दी के विद्वान् सदस्य के रूप में हैं। सामान्य सभा के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्य मंत्री, उच्च शिक्षा के मंत्री होने के

नाते हैं। शासी मण्डल के वर्तमान अध्यक्ष डा० हजारी प्रसाद द्विवदी हिन्दी के एक वरिष्ठ विद्वान् हैं।

४—उ० प्र० शासन के शिक्षा सचिव पदेन अकादमी के अवैतनिक सचिव तथा कोषाध्यक्ष हैं। अकादमी के दिन-प्रतिदिन कार्य संचालन के लिए एक निदेशक की नियुक्ति की गयी जिस पद पर श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, शिक्षा विभाग के अवकाश प्राप्त अधिकारी कार्य कर रहे हैं। अकादमी की सामान्य सभा तथा शासी मण्डल की बैठक समय समय पर होती है और जो भी निर्णय होते हैं उनका कार्यान्वयन अकादमी के-अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

५—उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी एक स्वशासी संस्था है। अकादमी के उपाध्यक्ष तथा निदेशक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अकादमी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी दो शाखाएं इलाहाबाद तथा वाराणसी में खोली गयी हैं। इस संस्था के कार्य-संचालन के लिए केन्द्र से धनराशि प्रदेश के बजट में स्थानान्तरित की जाती है और राज्य सरकार द्वारा अकादमी को आवश्यकतानुसार समय-समय पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। केन्द्र से प्राप्त होने वाली धनराशि अकादमी के वार्षिक कार्य-कलापों तथा योजनाओं पर आधारित रहती है। अकादमी अपना वार्षिक आय-व्ययक शासी मण्डल तथा सामान्य सभा से पारित करा कर सीधे केन्द्रीय शासन को भेजती है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस आय-व्यय की छानबीन कर तथा अकादमी के कार्य-कलापों की आख्याओं के आधार पर प्रतिवर्ष धनराशि का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में कोई सीधे दायित्व नहीं रहते।

६—उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी की इसकी स्थापना काल से अब तक विगत वर्षों में केन्द्र से जो धनराशि प्राप्त हुई है अथवा राज्य सरकार द्वारा मुक्त की गयी और अकादमी द्वारा वास्तविक रूप से खर्च की गयी धनराशि का ब्योरा निम्नवत है :—

वर्ष		केन्द्र से प्राप्त धन	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धन	अकादमी द्वारा व्यय किया गया धन
१९६८–६९	..	२,००,०००	..	..
१९६९–७०	..	३,००,०००	७,००,०००	२३,०२५.३०
१९७०–७१	..	४,००,०००	५,००,०००	१,६५,२७८.८०
१९७१–७२	..	२,००,०००	१,००,०००	६,८०,६१३.७६
१९७२–७३	..	१०,००,०००	१०,००,०००	७,२८,५०७.१२
१९७३–७४	..	८,००,०००	७,६५,०००	१३,५७,१८२.४२
कुल योग	..	२९,००,०००	३०,६५,०००	२९,५४,६७७.४६

उपरोक्त ब्योरे से यह स्पष्ट हो जायेगा कि उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी विगत ६ वर्षों में अब तक केवल २९,५४,६७७ रु० ही व्यय कर सका है। इस ब्योरे से यह भी स्पष्ट है कि अकादमी के पूर्व के प्रारम्भिक वर्षों में खर्चा कम हुआ है और धीरे-धीरे बढ़ा है। यह तथ्य इस आंकड़े से भी सत्यापित होता है कि प्रथम तीन वर्षों में अर्थात् १९६८–६९, १९६९–७०तथा १९७०–७१ में अकादमी के प्रकाशनों की संख्या शून्य रही है। उसके उपरान्त १९७१–७२ में ५० पुस्तकें, १९७२–७३ में ३४ पुस्तकें तथा १९७४–७५ में ५९ पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं। इस प्रकार अकादमी द्वारा कुल ९८ पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं। प्रारम्भिक वर्षों में

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

यह अकादमी अपनी स्थापना, कार्यालय प्रशासकीय व्यवस्था, प्रक्रिया नियमावली, विकास-कार्यों की योजनाओं का आलेख्य आदि बनाने में ही अधिक व्यस्त रही और वास्तविक रूप में पुस्तक लेखन, मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य अधिक नहीं देख पायी। ऐसा स्पष्ट भी है कि पुस्तक लेखन अथवा अनुवाद आदि के कार्य करने में समय लगता है। इसके लिये उपर्युक्त लेखक अथवा अनुवादक की व्यवस्था की जानी होती है और ठीक व्यवस्था होने पर कार्य-संचालन भलीभांति होने लगता है। इसी कारण प्रारम्भिक वर्षों में उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी अपना अधिक खर्चा नहीं दिखा सकी और इसी कारण केन्द्रीय धन भी प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि केन्द्र से धन वास्तविक आय-व्यय के आधार पर ही प्राप्त हो सकता था। आगामी वर्षों में कार्य बढ़ा और अधिक धन की प्राप्ति हुई। अतएव यह आरोप लगाना कि प्रादेशिक सरकार की उदासीनता के कारण केन्द्र से उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के लिए अधिक धन प्राप्त नहीं किया जा सका और ७०,००,००० रु० की धनराशि व्यपगत हो गयी, निराधार है।

७—दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि हिन्दी ग्रंथ अकादमी के कार्यों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को केन्द्र द्वारा एक प्रेस दिया जा रहा था परन्तु शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग की उदासीनता के कारण यह प्रेस इस प्रदेश को न मिल सका और अन्य राज्य में चला गया। इस प्रसंग में यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि राज्य सरकार अथवा एकादमी को केन्द्र से कोई भी प्रेस का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था।

८—उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ की आर्थिक स्थिति इस समय निश्चित रूप से शोचनीय है। इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा कथित योजना के अन्तर्गत अकादमी के कार्य-संचालन के लिए दिये जाने वाले अनुदान में भारी कटौती करना है। बड़े प्रयास के बाद इस वर्ष के लिए केन्द्रीय शासन केवल ३,००,००० रु० का आश्वासन जुलाई के प्रथम सप्ताह में अब प्राप्त हुआ है। चूंकि यह योजना पूर्णरूपेण केन्द्रीय योजना थी और केन्द्र से ही प्राप्त अनुदान के सहारे इसका संचालन हो रहा था, अतः अनुदान की कटौती के कारण इस संस्थान के भविष्य के बारे में अभी सोचना पड़ेगा कि इस संस्था ने जो कार्य प्रारम्भ किया उसको किस प्रकार आगे चलाया जाय। अकादमी ने अब तक जो कार्य किया है और आगे जो इसकी योजना है उसको भलीभांति देखना होगा और जो भी उसके अनुबन्ध हैं तथा अधूरे कार्य हैं उनकी भी व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी। केन्द्रीय सरकार से भी यदि आवश्यक हुआ तो परामर्श किया जायगा और प्रादेशिक स्तर पर जो भी व्यवस्था सम्भव हुई इसके भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में की जायगी।

९—अकादमी के दिन-प्रतिदिन कार्य-संचालन के लिए धन उपलब्ध करा दिया गया है और कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य प्रासंगिक व्यय आदि के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो गयी है।

१०—उ० प्र० सरकार की राज्य भाषा हिन्दी है और यह कहना आवश्यक नहीं है कि हिन्दी के विकास तथा प्रचार आदि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बराबर सजग रही है और हर प्रकार से इस दिशा में प्रयास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं और किये जायेंगे।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

आप भी मान्यवर, इसके सदस्य हैं, और आप भी जानकारी रखते होंगे। वह जो संस्था बनायी गयी थी, स्वायत्तशासी संस्था होगी और इसमें राजकीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा यह कहा गया था। जुलाई, १९६८ में एक करोड़ रुपया इसके लिये स्वीकृत हुआ। दिसम्बर, १९६९ में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन संस्था के रजिस्ट्रेशन के पूर्व ही सरकार ने डायरेक्टर से लेकर चपरासियों तक की नियुक्ति कर दी। रजिस्ट्रेशन बाद को होता है और नियुक्तियां पहले ही कर दी जाती हैं। १३ इसमें वाइस चांसलर हैं और उनकी नियुक्तियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किस प्रकार होती हैं यह आपको मालूम है जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति। ये लोग तो सरकार की हां में हां मिलाते हैं। इसमें ११ सरकारी हैं और ८ नामजद हैं। इस तरह से सरकारी लोगों से ही यह समिति भरी है। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रारम्भ में जब श्री सी० बी० राव आये तो उन्होंने आजिज होकर इसे छोड़ दिया और वे गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होकर चले गये। फिर डाक्टर रामकुमार वर्मा आये, उनको भी चलने नहीं दिया गया। एक प्रस्ताव पारित कराया गया। बाद को एक एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त किया गया, मगर उसको जो अधिकार मिलने चाहिये थे वे दिये नहीं गये। कहने का मतलब यह है कि वहां तरह-तरह की बातें होती रहीं और दलबन्दी चलती रही और उसी का यह परिणाम हुआ कि यह इतना रुपया लैप्स कर गया। ७० लाख रुपया दलबन्दी के कारण लैप्स हो गया। इन्होंने खुद कहा है कि केन्द्रीय सरकार राज्य को देती है और राज्य इस संस्था को देती है। तो इसमें संस्था की जिम्मेदारी क्या थी? यह तो दलबन्दी के कारण हुआ।

दूसरी बात यह कि जनवरी, १९७४ में एक अन्तिम बैठक हुई और उस बैठक में माननीय मुख्य मंत्री श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी ने यह घोषणा की, जैसी की उनकी आदत है कि तत्काल इसकी व्यवस्था की जाय और इसका कोई नुकसान न होने दिया जाय, लेकिन उस पर भी कोई सुनवायी आज तक नहीं हुई। अब जो ३ लाख की बात कही गयी, उसके लिये संस्था के लोगों ने प्रयास किया। मंत्री जी ने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में, मेरी सूचना यह है जून के अन्तिम सप्ताह में यह रुपया मिला है। अगर जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी रुपया मिला तो कल रुपये का भुगतान क्यों किया गया? पहले क्यों नहीं किया गया? मेरा स्पष्ट मत है कि इसकी दुर्गति की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और लाल फीताशाही तथा अफसरशाही का ही इसमें दोष है जिसके कारण वह रुपया लैप्स हुआ। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरी बातों का जवाब दें।

*श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, जो स्टेटमेंट दिया गया है वह इतना साफ है कि उसमें हर चीज को स्पष्ट कर दिया गया है। उससे जाहिर है कि शुरू के वर्षों में धन खर्च नहीं हुआ। दो साल तक लोगों को रखने आदि का ही काम होता रहा। इस प्रकार शुरू के वर्ष में कोई खर्च नहीं हो पाया। अब कहीं एक जगह भी इस बात की शिकायत माननीय सदस्य के पास हो तो बतायें कि जहां पर सरकार ने धन न दिया हो। सरकार ने धन दिया न हो, तब तो मान्यवर, यह बात हो सकती है कि हमने उस धन को नहीं दिया। इसमें हमारी गलती कहां आती है। अगर यह कहा जाय कि हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल है तो हर यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल कंट्रोलर इसलिये रखा गया है कि गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसके ऊपर वह नजर रखे कि उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है। हर साल ऐसे टीचर्स रख लिये जाते हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। गवर्नमेंट की तरफ से जब जांच की गयी तो मालूम हुआ कि इसकी वजह से हर साल बजट हमारा बढ़ता जाता है, फिर मजबूर होकर गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल कंट्रोलर रखना पड़ा। इस तरह की संस्थाओं को जब गवर्नमेंट पैसा देती है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल रखना ही पड़ता है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इस मत के ही होंगे। इसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। कंट्रोलर तो हम इसलिये रखते हैं कि प्रापर एकाउंट मेनटेन हो। क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया से जब हम रुपया मांगते हैं तो किसी खर्च के आधार पर ही मांगते हैं लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

स्वायत्त संस्थायें जब उसे खर्च ही नहीं करेंगी तो हम कैसे रुपया मांग सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर के लिये ही हम पैसा मांगते हैं। जब हम उस पैसे को खर्च करेंगे तभी तो आगे के लिये पैसे मांग सकते हैं। इसमें दलगत राजनीति की कोई बात नहीं है। यह बात दूसरी है कि बड़े-बड़े लोगों में कुछ चलती हो और उनका आपस में सामंजस्य न हो पाता हो। यह तो उनके स्वतः का मामला हो सकता है, इसमें शासन की कोई गलती नहीं है।

श्री राम सेवक यादव--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। यह मैं नहीं कहता कि आप आडिट न करावें। आडिट का कंट्रोल तो पैसे के मामले में होना ही चाहिये। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह कहना है कि शासन की तरफ से उसके काम में हस्तक्षेप क्यों हुआ, इसका उत्तर नहीं दिया गया। जो रुपया उन्होंने वहां से मांगा उसकी जिम्मेदारी आप दूसरों पर डालना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि आपके बयान के अनुसार ही अगर जुलाई के पहले सप्ताह में यह रुपया आया तो कल इसका भुगतान क्यों किया गया, इतनी देरी क्यों हुई? फिर जनवरी, ७४ में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि फौरन हिन्दी ग्रंथ अकेडमी को धन दिया जाय तो वह क्यों नहीं दिया गया, इसका उत्तर भी नहीं दिया गया। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि इस अकेडमी को किराया मकान के सिलसिले में भवन दिलाने के लिये या किराये खर्च के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया, इसी से आप जान सकते हैं कि सरकार का रुख उसके प्रति क्या है?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक पैसे की बात क्या, जो आंकड़े मैंने अभी दिया है उसी में है कि २९ लाख रुपया केन्द्र सरकार से खर्च के लिए मिला और २९,५४,६७७ रुपया खर्च किया और ३० लाख ६५ हजार रुपया इनके डिस्पोजल पर था। तो १ लाख ५४ हजार रुपया जो दिया वह राज्य सरकार ने ही तो दिया। २९ लाख रुपया दिया और इन्होंने खर्च किया २९,५४,६७७ रुपया। तो वह कहां का पैसा है, हमारा ही पैसा तो है।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में खुद मंजूर किया है कि हिन्दी ग्रंथ अकेडमी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि हिन्दी ग्रन्थ अकेडमी की सैकड़ों किताबें प्रेस में पड़ी हुई हैं पैसे न चुकाने की वजह से। श्री रामसेवक जी ने जो आरोप लगाया है कि वहां दलगत राजनीति की बात है, तो श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान उस अकेडमी में हैं, वहां राजनीति की कोई बात नहीं है। शासन की वित्तीय जिम्मेदारी है उससे माननीय मंत्री जी बरी नहीं हो सकते और न सरकार बरी हो सकती है। हिन्दी ग्रन्थ एकेडमी की वित्तीय स्थिति के लिये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्योंकि केन्द्रीय सरकार जो पैसा देती है वह अनुदान के रूप में देती है, इस बात को आपने खुद मंजूर किया है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। सरकार इस जिम्मेदारी से अपने को बरी नहीं कर सकती है कि हमारी सरकार की उदासीनता निश्चित रूप से है। केन्द्रीय सरकार ने अकेडमी के लिये १ करोड़ रुपया एलाट किया और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि ३१ मार्च को जब पैसा लैप्स होने लगता है तब सरकार विचार करती है कि अब क्या किया जाय। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वाराणसी में मोबाइल वान के लिये २ लाख रुपये का ड्राफ्ट एक आफिसर के पाकेट में रहा, यह अनियमितता है और उसके लिये उस आफिसर को बरखास्त होना चाहिये। इस हिन्दी ग्रन्थ अकेडमी में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान हैं, और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। जितने भी और विद्वान इस अकेडमी में हैं उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वहां की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिये वित्त विभाग के सचिव व अन्य लोग जिम्मेदार हैं। उसके लिये एक करोड़ रुपया केन्द्र की सरकार ने दिया।

मान्यवर, इसमें से केवल ३० लाख ही खर्च हुआ है। जो एक करोड़ एलाट हुआ था उसमें से केवल ३० लाख ही खर्च हो पाया है। तो जो यह ७० लाख लैप्स हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, उसकी जिम्मेदारी किस पर है। श्रीमन्, मैं तो फिर कह देना चाहता हूं कि जो यह रुपया लैप्स हुआ है उसका कारण वित्त सचिव और वित्त विभाग की गैर जिम्मेदारी है। यह सारा पैसा वित्त विभाग की लापरवाही से लैप्स हुआ है। तो मान्यवर, जिसकी यह जिम्मेदारी है और जो यह रुपया लैप्स होता रहा है उस संबंध में कौन-कौन कठिन कदम सरकार उठाने जा रही है यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो दे लेने दीजिये।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह जो ३ लाख रुपया है यह हमको जुलाई के दूसरे सप्ताह में मिला है। दूसरे जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि जो एक करोड़ रुपया था। उसमें से केवल ३० लाख ही खर्च हुआ, और बाकी जो लैप्स हो गया उसकी जिम्मेदारी किस पर है तो मैं कह रहा हूं कि कहीं से एक भी शिकायत नहीं है कि हिन्दी ग्रंथ अकादमी ने पैसा खर्च करने के लिये मांगा और वह नहीं दिया गया। मैंने यह बात पहले ही कही है कि उन्होंने पैसा खर्च ही नहीं किया है। काम धीमे-धीमे चलता रहा और मुश्किल से २९ लाख ५४ हजार ६७७ रु० ही उन्होंने खर्च किया है। मान्यवर, जब रुपया खर्च ही नहीं किया तो चार्ज कैसे लगाया जा सकता है कि हमने पैसा बरबाद कर दिया। जब रुपया खर्च ही नहीं कर सके जो अनुदान कैसे मांगा जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें शासन की गल्ती नहीं है। जो रुपया लैप्स हो गया है उसमें शासन की गल्ती नहीं है। मैं तो कहता हूं कि शासन की गलती है। मान्यवर, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह अकादमी जो काम करवाती है जैसे पब्लिश करवाती है, प्रिंट करवाती है, ट्रांसलेट करवाती है या और जो काम करवाती है, उसका पेमेंट शासन करता है, सचिवालय करता है। मान्यवर, यह शासन या सचिवालय जो पेमेंट करता है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है कि सरकार का जो पेमेंट का रवैया है वह कमीशन बेसिस पर है। मान्यवर, हिंदी ग्रंथ अकादमी में ऐसे आदमी नहीं हैं जिन पर शक किया जा सके। वह ज्यादातर काम फिक्स रेट पर कराते हैं, पर उनको पेमेंट करने में बहुत परेशान किया जाता है। इन लोगों को जो निष्पक्ष हैं जिनको कमीशन से कोई मतलब नहीं है पेमेंट करने में परेशान किया जाता है जिससे आजिज होकर वह क्षुब्ध हो जाते हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, आचार्य द्विवेदी जी तो एक समय इस्तीफा देने को तैयार हो गये थे, पर बहुत समझाने-बुझाने पर वह रुके।

अभी जैसा माननीय राम सेवक जी ने कहा कि इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप है, उनका मतलब जो इनको परेशान किया जाता है उससे है। जो नित्य प्रति के कार्यों में परेशान किया जाता है,

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

उससे है। मैं पूछता हूं कि ७१–७२, ७२–७३, ७३–७४, में इस अकादमी ने कितने रुपये की सरकार से मांग की थी और सरकार ने कितना रुपया सैंक्शन करके दिया। जहां तक मैं जानता हूं कि १९७३–७४ में हिंदी ग्रंथ अकादमी ने २९ लाख रुपये की मांग की, ७२–७३ में १९ लाख, ७१–७२ में १२ लाख रुपये की मांग, इस अकादमी ने की है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस रुपये के पेमेंट करने में सरकार ने कितनी तत्परता दिखायी है।

दूसरी चीज मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष—

आप एक-एक चीज पूछिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, एक राय कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था और जिसके चेयरमैन डाक्टर बी० सी० राय थे। उस कमेटी ने एक महीना पहले केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश किया है। उसके पृष्ठ ९३ पैरा–९ में अध्यक्ष ने स्पष्ट लिखा है कि इस अकादमी के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप इतना रहा है कि वह अपना कार्य सन्तोषजनक करने में असफल रही है। रिपोर्ट का भाग नीचे है :—

Organisational and Administrative set-up of academics should be generally uniform pattern. The Authority of academics should be respected by State Government they should not be treated as subordinate offices. In financial control the deputation of junior officer creates complications once the budget is passed the academies should be free to operate it. There should not be interference by the Government in day to day working. The drawing and disbursing officer deputed by the Government must work under Director/Vice-Chairman of Academy. They should be given full power.

इसका हिन्दी में मतलब यह है कि अकादमी का जो कार्य है और उसके जो अधिकारी हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा आदर दिया जाना चाहिये। वह सबार्डिनेट गवर्नमेंट के रूप में ट्रीट नहीं किये जाने चाहिये। फाइनेंशियल के कंट्रोल जूनियर आफिसर के हाथ में होता है जिससे अकादमी के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये बजट पास होने के बाद नियंत्रण अकादमी का होना चाहिये। नित्य प्रति का हस्तक्षेप बन्द होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न भी करते जाते हैं और जवाब भी देते जाते हैं। इसको आप स्पष्ट करें और प्रश्न करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह बतायेंगे कि ज्यों ही यह स्वीकृत होकर बिल आते हैं तो उनको पास करने में क्यों विलम्ब होता है? जब अधिकारी व चेयरमैन दस्तखत कर देता है तो फिर क्यों पूंछा जाता है कि किताब में पन्ने कितने हैं, इतने क्यों नहीं हैं, और हम बतलायें...

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से भाषण के लिये समय नहीं है। आप सवाल करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि सन् १९७१ से १९७४ तक कितने धन की मांग की गई और कितना स्वीकृत किया गया है?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने जो भी धनराशि मांगी उसको देने में कोई कोताही नहीं की गई है ।

मान्यवर, दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि रोजमर्रा के काम में हस्तक्षेप करते हैं तो मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि बिल जब सबमिट करेंगे तो जो डिस्बर्सिंग एथारिटी अन्डर सेक्रेटरी है वह उसको जरूर चेक करेंगे । उसमें समय लगेगा, तो यदि कहें कि हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसा नहीं है । इसके अलावा आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि हस्तक्षेप करते हैं जैसे कि उनकी नीति में, उनके संविधान में या उनकी कार्य-प्रणाली में अथवा कोई भी धनराशि जो मांगी हो उनके देने में हस्तक्षेप नहीं किया है । मैं सदन में कहता हूं कि यदि इस तरह की एक भी शिकायत हो तो वह मुझे बतलायें ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह नियम ५६ के अन्तर्गत लिया गया था । उसमें व्यवस्था यह है कि चर्चा की जाय और यह अवसर दिया जाय कि ....

श्री अध्यक्ष—

इसका अवसर नहीं है । माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि नियम ५६ में मंजूर हुआ है । अगर ऐसा होता तो आज असरकारी दिवस पर क्यों रक्खा जाता ? इस तरह से समय नहीं लेना चाहिये ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जो उत्तर दिया गया है उसमें सरकार ने कहा है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन ७० लाख रुपया जप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम सेवक यादव—

इन्होंने स्वीकार किया है कि हिन्दी ग्रंथ एकादमी की स्थिति सोचनीय है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि हिन्दी ग्रंथ एकादमी के दैनिक कार्य चलाने के लिये और जिस उद्देश्य से यह बनाया गया है, उसको पूरा करने के लिए धन की कोई दिक्कत नहीं आवेगी ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री त्रिवेणी सहाय के बोलते रहने पर) जब दूसरा कोई बोल रहा है तो आप न बोलें । यह लिखा नहीं जावेगा । मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या इस तरह से हिन्दी की उपेक्षा नहीं हो रही है । सरकार की लापरवाही से यह हुआ है मैं सदन त्याग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह असरकारी दिवस है, इसलिये आप अपना समय नष्ट न करें ।

श्री राज मंगल पांडेय--

(श्री त्रिवेणी सहाय सदन त्याग कर चले गये ।)

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका संबंध भारत सरकार से है । भारत सरकार ने जो पैसा दिया उसका उपयोग नहीं हो सका, इसका दुख है, जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी है । यह विचार है कि हम इस सरकार के माध्यम से भारत सरकार से भी फंड्स दिलाने की कोशिश करेंगे । इसके अलावा स्वतः अपनी आर्थिक और वित्तीय स्थिति देखते हुए यदि अकादमी का कार्य धन के अभाव में रुकेगा, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति सरकार नहीं आने देगी ।

मोहल्ला अशरफ टोला, संडीला, जिला हरदोई में २२ जुलाई, १९७४ की रात में छः व्यक्तियों की हत्या की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

कस्बा संडीला, जिला हरदोई के मुहल्ला अशरफ टोला में श्रीमती सईदा बीबी, बेवा चौधरी इज्जतउल्ला किरमानी जिनकी आयु लगभग ६५ वर्ष थी अपने मकान में अकेली रहती थीं । इनके कोई औलाद नहीं थी । इनके खांदानी लोग हरदोई में रहते हैं । श्रीमती सईदा बीबी के पास उनकी बहन के लड़के श्री अहमद जिलानी अक्सर आया करते थे । मकान के एक हिस्से में एक बालिका विद्यालय है जिसका चपरासी अहमद हुसेन इन्हीं के मकान में सोया करता था । इनकी दो नौकरानियां भी घर में सोती थीं । श्रीमती कुलसुम फातिमा, बेवा चौधरी मकबूल अहमद मकान के ऊपरी हिस्से में किराये पर रहती थीं और उनका भांजा मोहम्मद अजहर भी उनके साथ रह रहा था ।

२--दिनांक २२-७-७४ को श्री अहमद जिलानी अपने एक मित्र शकील अहमद के साथ संडीला आये थे । उस रात घर में श्रीमती सईदा बीबी, उनकी दोनों नौकरानियां, विद्यालय का चपरासी व अहमद जिलानी तथा शकील अहमद सोये थे । मकान के ऊपरी हिस्से में श्रीमती कुलसुम फातिमा और मो० अजहर भी मौजूद थे ।

३--दिनांक २३-७-७४ को प्रातःकाल ४ १५ बजे श्री लईकउद्दीन निवासी मोहल्ला अशरफ टोला ने थाना संडीला पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी कि करीब पौने चार बजे श्रीमती कुलसुम फातिमा द्वारा शोर मचाये जाने पर कि श्रीमती सईदा बीबी के मकान में खटपट की आवाज हो रही है, वे स्वयं तथा मोहल्ले के कुछ अन्य व्यक्ति टार्च लेकर उस ओर गये और देखा कि ६-७ व्यक्ति श्रीमती सईदा बीबी के मकान की पूर्वी चहारदीवारी फांदकर भाग रहे हैं । अभियुक्तों का कुछ दूर तक पीछा किया गया किन्तु कोई भी पकड़ा नहीं जा सका । घर के अन्दर जाकर देखने पर पाया गया कि अहमद जिलानी, श्रीमती सईदा बीबी, शकील अहमद, दोनों नौकरानियां तथा स्कूल का चपरासी अपनी-अपनी चारपाई पर मरे पड़े हैं और सभी के बदन पर गले के ऊपरी हिस्सों पर चोटें हैं । श्री लईकउद्दीन ने यह सूचना दी कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और श्रीमती सईदा बीबी के जेवरात जो वह हमेशा पहने रहती थी व अहमद जिलानी की घड़ी गायब थी ।

४--उपरोक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा ४६०/३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया । थानाध्यक्ष संडीला और क्षेत्राधिकारी, संडीला जो उस दिन संडीला में ही थे, तुरन्त घटनास्थल पर गये और जांच प्रारम्भ की । टेलीफोन द्वारा सूचना मिलने पर हरदोई से पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, इंस्पेक्टर कोतवाली तथा सर्किल इंस्पेक्टर क्राइम भी मौके पर पहुंच गये और पुलिस टीम ने तत्परता के साथ जांच-पड़ताल की । पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ ने भी उसी दिन घटनास्थल का निरीक्षण किया ।

उसी दिन लखनऊ से डाग-स्क्वाड और अपराध अनुसंधान विभाग की वैज्ञानिक शाखा के विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गये। मौके पर अभियुक्तों द्वारा छोड़े गये निशानात की छापें लेकर जांच हेतु भेजी जा चुकी है। केन्द्रीय नकबजनी जेल के अधिकारी भी अभियुक्तों की तलाश में स्थानीय पुलिस को आवश्यक सहायता दे रहे हैं। विवेचना थानाध्यक्ष संडीला द्वारा सर्किल इंस्पेक्टर क्राइम व क्षेत्राधिकारी संडीला की व्यक्तिगत देख-रेख में की जा रही है।

५—ऐसा अनुमान है कि यह घटना शातिर जरायम पेशा अपराधियों के किसी गिरोह द्वारा की गई है। अभियुक्तों का पता लगाने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

६—पुलिस द्वारा तत्परता और लगन के साथ की जा रही घटना की छानबीन और विवेचना से स्थानीय लोगों में व्याप्त भय समाप्त हो गया है। पुलिस एवं होमगार्ड्स द्वारा क्षेत्र में गश्त जारी है।

श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सईदा बीबी, जिनका मर्डर हुआ है, क्या इनसे कोई मुकदमा चल रहा था और अहमद जिलानी, जो इनका भांजा भी है, बहन का लड़का भी है और दामाद भी होता है, यह क्या इनकी जायदाद का मुख्त्यार आम था?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, इस संबंध में कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि संडीला चौकी पर, जहां पर पुलिस के १६ आदमी नियुक्त हैं, उनमें से उस वक्त कितने सिपाही मौजूद थे?

श्री अध्यक्ष—

यह तो ब्योरे की बात पूछ रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो घटना घटित हुई है, ९ दिन हो गये और अपराध का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका और न कोई अपराधी गिरफ्तार किया जा सका है। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यही सार्टीफिकेट पुलिस अधिकारियों के बारे में दिया है कि पुलिस अधिकारी तत्परता से जांच कर रहे हैं। मान्यवर, यह घटना राजधानी से केवल १०/१५ मील की दूरी पर घटित हुई है। अतः क्या इस मामले की जांच के लिये माननीय मंत्री जी इसको सी० आई० डी० को सौंपेंगे?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सारी चीजों के देखने से, जैसा कि स्टेटमेंट में भी है, पता चलता है कि जो यह ६ आदमी मारे गये, उनके एक ही जगह बदन पर गले के ऊपरी हिस्से पर चोटें हैं। इससे यह कांड जो उस पुराने कनपटी-मार टाइप का है। इससे पता चलता है कि एक नेचर के लोग इस जरायम पेशे के आदमी हैं। इस मामले की खोज हो रही है। दरयाफ्त पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस इसलिये भी जांच कर रही है कि कोई सुराग निकल सके। एक निष्कर्ष पर इससे जरूर पहुंच सकेंगे कि इस केस में ओड्स आपरेंडाई हुआ है और यह भी निश्चित है कि जरायमपेशा लोगों का एक गोल है जो यह सब कर रहा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

पिछले १० दिन के अन्दर प्रदेश भर में ऐसी घटनायें हो रही हैं । आगरा में ५ आदमी मारे गये, संडीला में ६ आदमी मारे गये, लंका वाराणसी में ३ आदमी मारे गये, नीबी खरचना में ५ आदमी मारे गये और यह सब हो रहा है जब राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों के पास आदेश भेज दिये गये हैं । मेरा कुछ ऐसा अन्दाज है कि जो आदेश जाते हैं उन पर अधिकारी तत्पर कार्यवाही नहीं करते और उदासीनता बरतते हैं । कारण ऐसा मालूम होता है कि मुख्य मन्त्री के पास जहां गृह विभाग है वहां २९ विभाग और हैं । इलाहाबाद पुलिस भेजी गयी और पुलिस ने ही डकैती डाल दी । तो क्या सरकार कोई उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलायेगी ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इस किस्म की मीटिंग उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों की बुलाई जाती है और निर्देश दिये जाते रहे हैं । इससे साफ जाहिर है कि डी० आई० जी० मौक़े पर पहुंच गये । ये आकस्मिक घटनायें हैं और इन घटनाओं से यह निष्कर्ष निकाल लिया जाय कि पुलिस उदासीन है सही नहीं है । ७-८ महीने पहले देवरिया में दो सगे पट्टीदारों में जो कजिन थे झगड़ा हुआ और १४ आदमी खेत पर मर गये । इस तरह की घटनायें सरकार की उदासीनता के कारण नहीं होती, ये आकस्मिक घटनायें हैं । नकबजनी अथवा चोरी के केस भी दर्ज होते हैं । पुलिस मुल्जिमों की तलाश करती है । लेकिन कान्फ्रेन्स होने से ही चोर का पता लगाना संभव नहीं हो जाता और न ही चोर इस तरह की कांफरन्स से उत्तर प्रदेश के बाहर चले जायेंगे । कान्फ्रेन्स कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता । फिर इलाहाबाद में क्राइम सिचुएशन बहुत सुधरी है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

बिल्कुल नहीं सुधरी । १ महीने में ४० आदमी मार दिये गये । सरकारी अफसर जो रिपोर्ट आपके पास भेज देते हैं उसी को आप पढ़ लेते हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय---

इसे भी जांच करा लेंगे लेकिन यह सही नहीं है कि सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से ऐसा हो रहा है । जो क्राइम टेंडेंसी है, यह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं सारी दुनियां में बढ़ी है । (व्यवधान) इसमें दो राये नहीं है । हम जिम्मेदार हैं ऐसी बात नहीं है । सारी बातों के बावजूद बढ़ी है ।

श्री अध्यक्ष---

सवाल केवल यह था मालवीय जी का कि आप अपने अधिकारियों की कान्फ्रेन्स करके उनको और सतर्क कर देंगे ।

श्री राजमंगल पांडेय---

हमेशा होता रहा है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

सरकार उदासीन नहीं है, न माननीय मन्त्री जी उदासीन हैं और कभी वह इसे कबूल भी नहीं करेंगे । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब इतनी घटनायें घट रही हैं जसा कि माननीय मालवीय जी ने कहा है, तो क्या यह सरकार के लिये चिन्ता का विषय है या नहीं ? यदि है तो उसके लिये क्या विशेष प्रबन्ध सरकार करने जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

अगर चिन्ता न होती तो जिस दिन यह घटना घटी उसी दिन सारे पुलिस अधिकारी मौके पर क्यों पहुंचते।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अधीन गठित प्रशासकीय बोर्ड में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त होने के कारण, उनके स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा ७ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड एवं उपधारा (२) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अधीन गठित प्रशासकीय बोर्ड में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त होने के कारण, उनके स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा ७ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड एवं उपधारा (२) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

इसका निर्वाचन भी समितियों के निर्वाचन के साथ ही हो जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

माननीय मोतीलाल देहलवी ने जीवनोपयोगी अनिवार्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों से उत्पन्न संकट के बारे में जो सूचना दी है उसके बारे में ६ अगस्त को बहस होगी।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, इसे आज ही ले लें।

श्री अध्यक्ष---

आज नहीं होता। जहां तक कार्य-स्थगन का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कार्य-स्थगन असरकारी दिवस के दिन नहीं दिये जाते क्योंकि आज सरकारी काम तो नहीं है। क्या आप असरकारी काम को रोक कर इसमें बहस चाहेंगे ? यह तो आपका दिन है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

इस पर किस दिन बहस होगी ? इसे आप पढ़ दें.....

श्री अध्यक्ष---

इस विषय पर ६ तारीख को बहस है और इसमें आपका नाम भी जोड़ दिया जायगा। पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। जो स्वीकार होता है वह द्वि-प्रतिक होता है। एक प्रति यहां होती है और एक प्रति माननीय मन्त्री जी को भेज दी जाती है। यह विषय ५२ में स्वीकार है, आपका नाम जुड़ जायेगा।

श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, इलाहाबाद में ४०/४० ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं, ५१ में ही मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें.....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं थी कि आज असरकारी दिवस है। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण सवाल किये हैं इसलिए आप आवश्यक कार्यवाही के लिये तो इन्हें भेज ही सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, २६ तारीख को एक निर्णय आपने सुरक्षित रखा था.....

श्री अध्यक्ष---

६ तारीख को देंगे। ...(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार विधेयक, १९७४

श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, यह विधेयक हम लोगों को मिला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

यह ठीक कह रहे हैं, यह मिलना चाहिये। लेकिन यह पहले ही बट चुका है। आपका ध्यान इस पर नहीं गया होगा।

श्री रणधीर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७८४-७८६ पर)

उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७४

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७८७-७८९ पर)

श्री रामसेवक यादव—

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को किसी दूसरे दिन के लिये आप स्थगित कर दें, क्योंकि इस समय करीब-करीब दो बजे हैं, समय अधिक है नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक जो संवैधानिक मैटर था,जिसे कल सुनने के लिये कहा था, उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

वह किसी दूसरे दिन होगा ।

'बियार' जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की "बियार" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय और उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली समस्त सुविधायें दी जायं । (इस समय १ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।) मान्यवर, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ और संविधान बना, उसके अन्तर्गत देश की सामाजिक स्थिति को देखते हुए,

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

ऐसी जातियां, जिनका सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर इतना गिरा हुआ था, इतना पिछड़ा हुआ था, निम्न स्तर के थे, जिनमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर को अपने ही बलबूते पर समाज के अन्य वर्गों के स्तर तक लाने की क्षमता नहीं थी उन्हें संविधान के अन्तर्गत जनता ने एक विशेषाधिकार दिया और सरकार पर यह दायित्व सौंपा कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुविधा और संरक्षण प्रदान करके उनके सामाजिक स्तर, आर्थिक सुदृढ़ता और शिक्षण को बढ़ाये और मजबूत करे। इसी के अन्तर्गत जो लिस्ट बनायी गयी अनुसूचित-जाति और अनुसूचित जन जातयों की, जिनको नाना प्रकार की सुविधायें दी गयीं जिसका परिणाम यह हुआ कि आज अपने देश का वह सदियों से पिछड़ा, दबा वर्ग समय-समय पर प्रगति के पथ पर उन्नति कर रहा है और समृद्ध हो रहा है और सम्भव है कि जल्दी वह समाज के अन्य जो उन्नत वर्ग हैं उनके समकक्ष आ जायगा। यह विचार था कि जिस संविधान और जनता की मंशा के अनुसार इस पिछड़े हुए दलित निम्न वर्गों को अभी तक समान स्तर पर आ जाना चाहिये था, समाज में एक स्थान बना लेना चाहिये था, उनके शिक्षण, आर्थिक और सामाजिक स्तर को काफी सुदृढ़, और उन्नत वर्गों के समान हो जाना चाहिये था लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण इस सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं के दुरुपयोग के कारण जो अनुसूचित जातियां और जन-जातियां हैं वे अपने अनुमानित स्तर को नहीं प्राप्त कर सकीं।

इसी दोषपूर्ण नीति के अन्तर्गत आज भी समाज में ऐसे अनेक वर्ग हैं, अनेक ऐसी जातियां हैं, जिनका जीवन स्तर शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जिनको सुविधायें दी गयी हैं उनसे भी गिरा हुआ है। लेकिन उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में समृद्धि न करके सरकार उनके साथ अन्याय ही नहीं बल्कि भेदभावपूर्ण रवैया बनाकर उनके प्रगति के लिये कोई कार्य नहीं कर रही है, न ध्यान दे रही है। ऐसी उपेक्षित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की श्रेणी में सम्मिलित की जाने वाले गरीब, मजदूर, निरीह, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़ी हुई "बियार" जाति है जिसका फैलाव विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में तो नहीं है लेकिन जिन प्रान्तों में यह पायी जाती है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बिहार हैं। यह जाति मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में है और मिर्जापुर के अन्य क्षेत्रों में भी है। इसलिये इसकी उन्नति की तरफ ध्यान देना, मेरा परम कर्तव्य है इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करके उसे समस्त सुविधायें दी जायं और मैं सदन से इस बात का आग्रह करूंगा। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, बहराइच और बांदा जिलों में यह जाति पायी जाती हैं। वाराणसी म ३० हजार, मिर्जापुर में ५० हजार, गाजीपुर में १० हजार, बलिया में ४ हजार, देवरिया में २० हजार, गोरखपुर में १० हजार, बहराइच में १० हजार, गोंडा में ५ हजार, सुल्तानपुर में ५ हजार और बांदा में ५ हजार की संख्या है। लगभग यह संख्या इन जिलों में है। उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की ओर ध्यान दिया जाय तो समाज के जो बहुत सताये हुए चमार, डोम आदि हैं, वह इन जातियों से किसी भी तरह से कम पिछड़े हुए नहीं हैं। उन की सामाजिक स्थिति देखें तो आज उनके साथ छूआछूत का वर्ताव किया जाता है। जिस समाज में यह रहते हैं, जिस समाज की यह सेवा करते हैं, जिनके खेतों में यह पसीना बहाकर पूंजीपति बनाते हैं वही इनके साथ छूआछूत का बर्ताव करते हैं। उनके साथ खान-पान नहीं रखते, कुयें पर नहीं चढ़ने देते हैं। अगर उनके यहां शादी ब्याह होता है और उनकी इच्छा कथा सुनने की होती है तो कथा कहने वाला ब्राह्मण उनसे कहता है कि मंदिर में चलो और बाहर खड़े रहना मैं कथा कह दूंगा। तुमको इसी से फल मिल जायगा। कथा कहने वाला ब्राह्मण उनके घर जाकर कथा नहीं कहता। यह उनकी स्थिति है।

उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। वह शहर से दूर गांव में बसे हुए हैं और उनका पेशा खेतों में मजदूरी करना है। खेतिहर मजदूर थोड़े समय के लिये मजदूरी पाता है। जब खेतों की बुआई, निराई, कटाई आदि होती है तो उसकी मजदूरी मिल जाती है। जब खेती का काम समाप्त हो जाता है तो उसकी मजदूरी भी खतम हो जाती है। वह बेकार हो जाता है। उस समय उसकी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है और कई परिवारों को एक समय भी भोजन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। उनके रहने के लिये जो बस्तियां हैं वे हरिजन, चमार जातियों की बस्तियों से भी गई गुजरी हैं। यह अपने रहने के लिये कच्चा मकान भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। किसी तरह से छप्पर बना कर रहते हैं। जिन काश्तकारों के यहां यह काम करते हैं उनसे मांग कर छप्पर बनाते हैं और थोड़ी सी जगह में बहुत से परिवार मकान बना कर रहते हैं।

इनकी बस्तियां बड़ी गन्दी और कंजेस्टेड होती हैं कि उनकी सफाई होना बड़ा मुश्किल है और उसमें यह स्वस्थ रह सकें यह असम्भव है। इसी कारण से उनके परिवार में अधिकतर लोग अस्वस्थ रहते हैं। किसी बस्ती में चले जाइये उनके तन पर आपको वस्त्र नहीं मिलेगा। उनकी सामाजिक स्थिति भी बड़ी दयनीय है। उन्हें समाज में आदर नहीं मिलता है, छुआछूत का वर्ताव किया जाता है, कुंये से पानी नहीं भरने दिया जाता है। इनके विवाह शादियों में कोई सम्मिलित नहीं होता। जिनकी यह सेवा करते हैं वही इनका तिरस्कार करता है। ऐसी दशा में भी सरकार इधर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनको उपेक्षित छोड़ रखा है। यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है।

उनके पास खेतों में कुछ महीने काम करने के सिवाय और कोई पेशा नहीं है। जिस समय यह पेशा विहीन हो जाते हैं, उस समय यदि इनके शादी विवाह या कोई कार्य आ जाता है तो यह कर्ज लेते हैं जिसका परिणाम पुश्त दर पुश्त उनके यहां गुलामी हो जाती है जिससे यह कर्जा लेते हैं कर्जा कभी भर नहीं पाते हैं। इनकी मजदूरी मासिक नहीं है बल्कि दैनिक है। जिस दिन काम पर जाते हैं उस दिन का पैसा इन्हें मिलता है। इनकी बस्तियां शहरों से दूर हैं जिससे यह कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं। आर्थिक अभाव और सामाजिक छुआछूत के कारण जहां यह रहते हैं वहां दुकान भी नहीं खोल सकते हैं। अगर यह दुकान कर भी लेते हैं तो इनकी दुकान से कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं होता है। इस जाति की महासभा है। उसका कहना है कि २, ढाई लाख में केवल २५ या ३० लोग ऐसे हैं जो चतुर्थ या तृतीय श्रेणी में नौकरी पर लगे हुए हैं, बाकी अन्य खेतों में मजदूरी करके ही आश्रित रहते हैं। यह समाज में विकास नहीं कर पा रहे हैं। अशिक्षित होने के कारण न तो यह अर्थ अर्जित कर पा रहे हैं और न सामाजिक स्तर ही प्राप्त कर पा रहे हैं। इनके बारे में कुछ लेखकों ने समय-समय पर लिखा है। अंग्रेज लेखक मि० डब्लू० क्रुक ने अपनी पुस्तक 'दि कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स आफ यूनाइटेड प्राविन्सेज' में लिखा है कि बियार जाति एक बड़ी गरीब जाति है तथा यह जाति चमारों से मिलती जुलती जाति है। मि० डी० एन० मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेसेज एन्ड कल्चर आफ इण्डिया में पेज नं० १०४ पर लिखा है—

ग्रुपिंग आफ ट्राइब्स इन यू० पी०

दि थारू, भोस्का, भासास, कोरवा, बियार, भुइयां, माघी, चारू, खरवार, रागी इन जातियों को एक ग्रुप में रखा है। बियार जाति को छोड़ कर अन्य जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर ली गयी हैं और उन्हें सरकार सुविधायें दे रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय लेना चाहेंगे ? आपके लिये २५ मिनट का समय है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

१५ मिनट का समय लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप केवल १२-१३ मिनट बोले हैं । नियमों में २५ मिनट ऐसे प्रस्तावक के लिए समय निश्चित किया गया है लेकिन यदि आप चाहें तो और भी समय मिल सकता है । आप बताने का कष्ट करें कि कितना समय चाहेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैं समझता हूं कि केवल १५-२० मिनट लूंगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय....

श्री अधिष्ठाता--

मैं समय पर पाबन्दी नहीं लगा रहा हूं । आप व्यवस्थित होकर बोलें । सारी बातें कह लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

तो मैं कह रहा था कि इस बियार जाति के साथ बड़ा अन्याय किया गया और इस जाति की महा सभा ने आज नहीं १९५४ से लगातार इस प्रदेश की सरकार से अनुरोध करती रही है कि उसको भी शामिल कर लिया जाये । जब मैं शुरू में आया तो पत्र लिखा लेकिन यही आश्वासन मिला कि इस पर कार्यवाही की जा रही है । इस पर विचार हो रहा है, लेकिन मान्यवर, २० साल बीत गये आज तक कोई विचार नहीं हुआ । मैं इस बात को समझता था कि सरकार स्वीकार कर लेगी क्योंकि यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न है एक जाति विशेष के स्तर को उठाने का जिसको संविधान ने संरक्षण दिया है और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर सौंपी है । मुझे यह जानकर हैरत होती है कि सरकार अपने कर्तव्य के ऊपर इतनी उदासीन है । यह जान कर हैरत होती है और शर्म आती है इस सरकार पर कि आखिर इन जातियों को आप २७ साल से क्यों छोड़े हुए हैं । कौन सा राजनतिक प्रश्न था ? राजनैतिक प्रश्न होता तो उसे राजनैतिक पहलू पर तय होता लेकिन जब जाति विशेष का प्रश्न है और जाति विशेष के संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये उसको संरक्षण और सुविधा देने की बात है तो उसको क्यों नहीं दिया जाता जब कि बिहार और मध्य प्रदेश ने तो मान्यवर, इसको प्राइज में सम्मिलित कर लिया । अनुसूचित जन-जाति में इसको सम्मिलित कर लिया है । लेकिन हमारी सरकार बार-बार आग्रह करने के बाद भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की चिन्ता नहीं की है । मुझे लाचार होकर इस प्रश्न को लेना पड़ा । इस प्रान्त को जो कि २ लाख की जनसंख्या में है, उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित करके उनको हर तरह का संरक्षण, हर तरह की सहायता देने की कृपा करें जिससे कि ये भी और जातियों की तरह विकास कर सकें और समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकें तथा अपनी शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें । इनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि इनको संरक्षण मिलना चाहिये । अब तक सरकार को चाहिये था कि इनके प्रति जब बात आई तो किसी अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिये थी कि जो पत्र आ रहे हैं वे कहां तक वध हैं, कहां तक अनुकूल हैं, कहां तक प्रतिकूल हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसको सम्मिलित कर लेना चाहिये । इस तरह की अनेक जातियां हैं जिनको कि अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया जिसकी बराबर मांग आ रही है कि उनको सम्मिलित किया जाय और संरक्षण दिया जाय।

मान्यवर, कोई भी सरकार समाज में जो दलित वर्ग है उसको अगर उठाने का संकल्प लेती है तो वह समाज में समता, छूआछूत का व्यवहार और ऊंच-नीच का व्यवहार समाप्त कर सकती है और दलित वर्ग को ऊंच उठा कर अन्य वर्गों के बराबर रख सकती है जिनका स्तर गिरा हुआ है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर जिसका सुदृढ़ नहीं है उन सभी को बराबर रूप से जब तक उठायेंगे नहीं, जब तक समाज की जो कल्पना है, सम्पन्न समाज की जो कल्पना है वह समाज नहीं बन पायेगा। आज जिस तरह से सरकार की नीति है, कभी कृषि, कभी उद्योग की बात करती है, लेकिन देश किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रही है क्योंकि यह कभी भारी उद्योग की बात करती है, कभी कृषि की, जिसकी समस्या बहुत जटिल हो जाती है, जो सबसे घातक सिद्ध होती है, उस पहलू पर विचार थोड़ा सा करने लगती है और जब उसकी कुछ स्थिति ठीक हो जाती है तब उसको छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि न तो देश औद्योगिक क्षेत्र में स्वावलम्बी है, न कृषि क्षेत्र में स्वावलम्बी है और लघु उद्योग में ही स्वावलम्बी है। परिणाम यह है कि गरीबी और अमीरी की सीमा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यह भी देखने में आया है कि अनुसूचित जातियों में जिनको सरकार ने शामिल किया है, कुछ को तो किया है और कुछ को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जिनको सम्मिलित किया है, उनमें से भी कुछ को सुविधायें मिल रही हैं, और अन्य को नहीं मिल रही हैं, जिसका परिणाम यह है कि जिनको सुविधायें मिल रही हैं, वे अन्य जनता के समान हो गयी हैं लेकिन अन्य पिछड़ी ही रह जायंगी। तो जो आज विषमता की स्थिति बनी हुई है, वह ५० वर्ष बीतने पर भी समाप्त नहीं होगी यदि इसी प्रकार से सरकार द्वारा काम होता रहा। मेरी प्रार्थना है कि सरकार "बियार" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करे और साथ-साथ एक आयोग बैठाये और वह जांच करके यह देखे कि और किन किन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाय और किन को न किया जाय।

मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो देहात में ग्रामीण अंचलों में मजदूर लोग हैं, जिनके पास कोई भी खेत नहीं है, भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, उन सब को आर्थिक आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल करके उन्हें हर प्रकार की सुविधायें, सामाजिक सुविधायें, शक्षणिक सुविधायें और आर्थिक सुविधायें दें, जिससे वे अपना जीवन स्तर अन्य जातियों के समान ला सकें। इसी प्रकार की और बहुत सी जातियां हैं, जैसे निषाद और मछुए, मछुए जाति को तो शामिल कर दिया गया है लेकिन निषाद को शामिल नहीं किया गया है जबकि दोनों का पेशा एक है, एक को ले लिया गया है लेकिन दूसरे को छोड़ दिया गया है। अनेक जातियों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं कि उनको भी अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करके सरकार उन्हें भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण दे जिससे वे अपने जीवन स्तर और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा सकें। जिस आयोग को सरकार बैठाये, वह प्रदेश की समस्त जातियों की जांच करे, जो अपने आप में कोई क्षमता नहीं रखती हैं, और जो बार-बार मांग कर रही हैं कि उनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाय, और शासन को अपनी रिपोर्ट दे।

मैं सदन से आग्रह करूंगा कि "बियार" जाति को राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करे ताकि समाज में जो दलित जातियां हैं, उनके मन में आशा का संचार हो कि यह सदन जो नव निर्वाचित सदन है हमारे लिये कुछ कर रहा है। "बियार" जाति के लोगों की भी ऐसी धारणा बनेगी कि संविधान ने सरकार को जिम्मेदारी दी है, उसको समान रूप से उठाने का प्रयत्न कर रही है।

जहां तक जन जातियों और अनुसूचित जातियों को सुविधा दी जा रही है, इन जातियों में जो परिवार आर्थिक क्षमता रखते हैं, समाजिक क्षमता रखते हैं, और शैक्षणिक क्षमता रखते

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

हैं, और सुदृढ़ हो गये हैं उन पर सरकार विचार करे कि अनुसूचित जाति के रूप में सहायता उन्हें कहां तक उचित है। जैसे किसी परिवार में कोई गजटेड आफिसर हो गया या आई० ए० एस० अधिकारी हो गये, जैसे माननीय जगजीवन राम को ही ले लीजिये या अन्य मंत्रियों को ही ले लीजिये जो समाज की उच्च कोटि में आ गये हैं उनको भी अनुसूचित आधार पर सहायता देना यह कहां तक उचित है या अनुचित है, इसके बारे में भी सरकार विचार करे। मेरे कहने की मंशा यह है कि इन परिवारों से जो पैसा बचा लिया जायेगा वह अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्तियों को दें जिससे उनका विकास भी तेजी से हो सकगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि मेरे प्रस्ताव का राजनैतिक स्तर से बिल्कुल ऊपर उठ करके समर्थन करेंगे।

एक सदस्य—

पहले इस पर हम मंत्री जी के बिचार सुनना प्रसंद करेंगे।

श्री राज मंगल पांडेय—

हम इसको नामंजूर करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय माता प्रसाद। माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें माननीय माता प्रसाद संशोधन उपस्थित कर रहे हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत है उसमें आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं—

"संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द 'जातियों' के पश्चात् शब्द 'तथा मुसहर जाति को अनुसूचित जन जातियों' और तीसरी पंक्ति में शब्द 'जाति' के पश्चात् शब्द 'तथा अनुसूचित जन जातियों' बढ़ा दिये जांय।"

इसमें "चौथी पंक्ति" छपा है, वास्तव में वह "तीसरी पंक्ति" है। मान्यवर, अब इसका स्वरूप संशोधित रूप से इस तरह से हो जायेगा—

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जातियों तथा मुसहर जातियों को अनुसूचित जन जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय और उन्हें अनुसूचित जन-जातियों की समस्त सुविधायें दी जांय।"

मान्यवर, इस संकल्प को उपस्थित करते हुये माननीय सदस्य ने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि देश का जो वर्ग आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है, निश्चय ही उसके लिये संविधान में व्यवस्था की गयी है, उसे अनुसूचित जन जातियों या पिछड़े वर्गों में बांटने की व्यवस्था है। हमारे प्रदेश में भी मान्यवर, इसी आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियां पिछड़े वर्ग की एक सूची है। बियार जाति की बात माननीय संकल्प के उपस्थित करने वाले महोदय ने की। मैं मुसहर जाति की बात कहना चाहता हूं। यह मुसहर जाति पूर्वी और मध्य जिलों में खासकर जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद या आस पास के जिलों में....

श्री अधिष्ठाता—

देवरिया का नाम भूल गये शायद।

श्री माता प्रसाद—

देवरिया भी है । और भी बहुत से जिले हैं, गोरखपुर है । सभी जिलों में यह पाई जाती है । इस जाति का रहन सहन दूसरे सभी लोगों से बिल्कुल भिन्न है । जैसे इस जाति के लोग २६-२७ वर्ष की आजादी के बाद बिल्कुल जंगली रूप में रहते हैं । पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करते हैं । अर्द्ध नग्न रहते हैं और खाने के मामले में तो इतनी गरीब हैं कि इनकी रोजी का कोई साधन नहीं है । आज उन जिलों में पेड़ों की लकड़ियों को तोड़ करके और पत्तल बनाकर अपने जीवन गुजार रहे हैं । लेकिन बाग खतम होते जा रहे हैं, इनको पत्तल लगाने के लिये पत्ते नहीं मिलते हैं । लकड़ियां भी इनको नहीं मिल रही हैं । इसलिये इनका जीवन बड़ा दूभर हो गया है । और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सुनकर बड़ी तकलीफ होती है, बिवाह शादी के मौके पर जब भोजन लोग करते हैं, भोजन के बाद पत्तल को झूठा छोड़ करके जब बाहर फेंकते हैं तो एक तरफ से यह मुसहर नाम के लोग उन्हीं जूठन को बटोरते हैं, उसको खाते हैं दूसरे तरफ से उन पर कुत्ते टूटते हैं । तो कुत्तों और मुसहर की हालत एक सी है । इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि इनकी हालत कितनी दयनीय है । ये लोग सांप, मेंढक खाते हैं, मगरगोह, नेवला, गिलहरी आदि का शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं । पालकी ढोने का भी इनका पेशा है । लेकिन अब पालकी की रस्म खत्म होती जा रही है क्योंकि पालकी की जगह जीप आदि ने ले ली है । इनके मकानों की हालत यह है कि पत्तियों की छोटी छोटी झोपड़ियों में एक ही में स्त्री-पुरुष रहते हैं, उसी में उनकी बहू बेटे रहते हैं, जवान जवान लड़कियां रहती हैं । इसके अलावा ये लोग अपना रहने का स्थान बदलते रहते हैं । कहीं-कहीं लोग इनको निकाल देते हैं । आज एक जगह रह गये हैं तो कल दूसरी जगह रहने लगते हैं । इनकी भाषा भी और लोगों से भिन्न होता है । हर दृष्टि से देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये लोग एक तरह से बिल्कुल अलग हैं ।

आज यह हमारे लिये बड़े कलंक की बात है कि ये लोग आज भी जूठन के लिये दौड़ते हैं इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार इस मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखे और इनके लिये विशेष व्यवस्था करे । पीने के पानी के लिये इनकी स्त्रियां पांच-पांच फर्लांग दूर से पानी लाती हैं । यह देख कर बड़ी तकलीफ़ होती है । बियार जाति तो हमारी तरफ नहीं है । भाई ओम प्रकाश जी ने रखा है तो ठीक है, वह होना चाहिये, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन मुसहर जाति की भी श्रीमन् आपको भी जानकारी है और सदन के बहुत से सदस्य की भी है । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मुसहर जाति को जन-जाति में रखकर इनको विशेष सुविधायें दी जायं ताकि ये समाज के स्तर में आ जायं क्योंकि जो भी कौम सामाजिक स्तर से नीचे रहेगी हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा बना रहेगा । इसलिये सबसे पिछड़े वर्ग को आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधायें देकर समाज के बराबर लाया जाय जिससे हमारी आजादी का सही मतलब पूरा हो सके और हमारे राष्ट्र एकता कायम रह सके ।

इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन पेश करता हूं ।

*श्री बेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, पूर्वी इलाकों में. . .

श्री अधिष्ठाता—

आपको १५ मिनट का समय मिलेगा ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मान्यवर, पूर्वी इलाकों में बियार और मुसहर यह दो जातियां ऐसी हैं जिनके बारे में संकल्प प्रस्तुत किया गया है । सबसे बड़ी समस्या इन जातियों की यह है कि आजादी के इतने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बेद प्रकाश अग्रवाल]

वर्षों के अन्दर कभी इनकी ओर किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नही दिया। ऐसा लगता है कि बहुगुणा जी की मंत्रि-परिषद् के लोग लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ की ही ओर भागते हैं और इस बीच में जो भी इलाके आते हैं उनकी ओर ही उनकी दृष्टि रहती है, पूर्वी इलाकों की ओर नहीं जाती। सौभाग्य से अगर कोई भले ही वहां का व्यक्ति मंत्री हो गया तो वह चुनाव आदि के वक्त भले ही वहां चला जाय, वरना उसे भी वहां की समस्याओं के बारे में कुछ करने का इंट्रेस्ट नहीं रहता। उनको यह भी पता नही रहता कि वास्तव में उन इलाकों में यह दो जातियां भी हैं।

मान्यवर, यह दो जातियां वे जातियां हैं जो अत्यन्त गरीब हैं, इस जाति के लोग पत्ते खाते हैं, जमींन और आसमान के बीच रहते हैं, उनके बच्चे जूंठे दाने खाते हैं, उनके शरीर पर कपड़ा तक नहीं है। हमारे देवरिया के मंत्री जी भी यहां बैठे हुये हैं मगर उनको यह पता नहीं है कि इन जाति के लोगों को क्या कष्ट होता है, क्या इनकी समस्यायें हैं? अगर इनकी शिक्षा की ओर देखा जाय तो पता चलेगा इनकी ३० लाख की आबादी के बीच मुश्किल से दो व्यक्ति बी० ए० पास हैं, ५–७ लोग हाई स्कूल हैं। जब इनकी शिक्षा की यह हालत है तो इनको सरकारी नौकरी भी कैसे मिल सकती है यह सोचने की बात है। सरकारी नौकरी में अगर इनकी संख्या देखी जाय तो जीरो मिलेगी। सन् ४७ में भी नौकरी में इनकी संख्या जीरो थी, आज भी यही स्थिति है। अगर इनको खाने के लिये कुछ मिला है तो वह हमारी सरकार का कोरा गरीबी हटाओ का नारा ही मिला है। जो ५–७ लोग पढ़े लिखे हैं भी इनको भी चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली है। जो बी० ए० पास हैं वे भी बेकार हैं। इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है। इनके पास खेती करने के लिये जमींन तक नहीं है। मजदूरी भी इनको नहीं मिलती है। शरीर पर वस्त्र नहीं हैं।

इनके खानपान की स्थिति यह है कि उनकी शक्ल देखकर और उनके रहने की स्थिति को देखकर ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि कैसी भयावह स्थिति उपस्थित है। उनकी बगल में लोग बैठना नही पसन्द करते, उनको कुंवों से पानी नहीं भरने देना चाहते और उनको शादी ब्याह में नहीं आने देना चाहते। उनके बदन पर वस्त्र नही है, ऐसी भयावह स्थिति उनके सामने उपस्थित है। ऐसी स्थिति के अन्दर ऐसी उपेक्षित जातियों को इस सरकार ने २७ वर्ष के अन्दर क्या राहत दी? जो आज नारे लगाते हैं क्या उनके सामने ये जातियां नहीं थी? क्या उनके दिमाग में इस प्रकार के गरीबों के रहन-सहन को ऊंचा उठाने की नियत नहीं थी?

अगर देखा जाय तो मानी हुई बात है कि इन २७ वर्ष में ये बियार, मुसहर व अन्य जातियां आपके सामने नहीं आयीं और न आपने उनको ऊपर उठाने की कोशिश की। इसके पीछे एक ही कारण बना रहा कि उनके पास अधिक वोटरों की संख्या नहीं थी। अगर उनके पास २५ या २७ परसेंट वोटर्स होते तो आप उनके पीछे-पीछे दौड़ते क्योंकि आप यह समझते कि इनके पास इतने वोट्स हैं जिनको हम लेते हैं। आपसे मेरा मतलब सरकार से और कांग्रेस प्रशासन से है। तो आपके माध्यम से मैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इनके पास भी २५ या २७ परसेंट वोट होते तो आप उनके पीछे पंक्तियों में खड़े होते और उनको कुर्ते, पैजामें, कम्बल व कोट लेकर देते। लेकिन आज इन जातियों के सामने खड़े होने व उनकी सभाओं में बोलने का साहस आपमें नहीं है। क्योंकि जब फोटो खिचवाना होता है तब तो आप किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेकर फोटो खिचवा लेते हैं। हमने एक पिक्चर में देखा कि एक सज्जन ने एक वोट लेने वाले प्रत्याशी से कहा कि देखो वोट लेना है तो किसी गरीब बच्चे को ओटो खिचवाते समय अपनी गोदी में ले लेना। जब वे एक गरीबों की बस्ती में गये तो वहां एक बच्चे को गोदी में ले लिया जो खुला नंगा था। उस बच्चे ने मूत दिया तो उसका कुछ छींटा मंत्री जी के ऊपर पड़ गया तो उन्होंने उस बच्चे को

पटक दिया। इस पर साथ वाले सज्जन ने कहा कि देखो घबराओं नहीं, वोट लेना है, इसी तरह से फोटो खिचवा लो। इस तरह बच्चों के साथ फोटो खिचवाने के अनेकों दृश्य मैं दिखला सकता हूं।

श्री राज मंगल पांडेय—

अभी कुछ मंत्रियों का भी जिक्र आया। तो हम लोग तो इसके अभ्यस्त नहीं हैं कि वोट लेने के लिये इस तरह से बच्चों को अपनी गोदी में लेकर फोटो खिचवायें। क्या माननीय सदस्य इसी के अभ्यस्त हैं ?

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

माननीय मंत्री का कहना है कि हमको उसका तजुर्बा नहीं है। यह पूंजीपतियों के साथ बैठकर बड़े-बड़े होटलों में दावत उड़ाने वाले मंत्रीं लोग गरीब बच्चों की हमदर्दी को क्या जानें। ४ रोज के अखबार को आप देख लीजिये, बड़े-बड़े लोगों के साथ इन गरीबों के फोटो छपे हुये हैं। लेकिन किसी गरीब बस्ती में जाकर उनको ऊपर उठाने के लिये व उनकी दशा को सुधारने की कोई कोशिस नहीं की गई। केवल नारे बाजी करके उनका वोट लेने के लिये इस तरह का दृष्य दिखलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी कह रहे थे

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। आप महलों में रहते हैं, लखनऊ की मशहूर सुबह और शामों में घूमते हैं, आपको इतनी फुरसत कहां है कि गरीब बच्चों की ओर मजदूरो की ओर देख सकें। अगर आप गांव में जाते और गांव के कीचड़ में आपकी जीप फंसती तो मालूम होता कि कैसे निकाला जाता है। वहां के लोग कितनी मुसीबत में रहते हैं। मगर आपको इन सब बातों के लिये फुरसत कहां है।

अनेक सदस्य—

(सम्मिलित स्वर में) आप कितनी लच्छेदार बातें कर रहे हैं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मान्यवर, लच्छेदार बातें मैं नहीं आपके बहुगुणा जी करते हैं। कहते हैं कि प्रदेश के किसानों को खाद दी जायेगी बिजली मिलेगी। ब्लाक में खाद मिलेगी। प्रचार करते हैं। रेडियो पर प्रचार करते हैं। और लगातार प्रचार करने के बाद आज तक न तो खाद ही ठीक से मिल रही है और न बिजली ही मिल रही है।

तो मान्यवर, मैं आपसे कह रहा था कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज केवल उनसे वोट लेने की बात की जाती है। मान्यवर, जो आज उनकी अवस्था है उसका कारण यह है कि उनकी संख्या कम है। इसलिये उनको उन पर उठाने की बात पर नहीं सोचा जाता है।

मान्यवर, इनकी सभायें होती हैं और इनकी सभाओं के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार को बराबर भेजे जाते हैं कि बियार जाति को भी अनुसूचित जन जाति में सम्मिलित कर लिया जाय। मान्यवर, अनेक प्रस्तावों के बावजूद भी २५ वर्षों के अन्दर अनेकों प्रस्तावों के भेजने के बाद भी इन गरीबों को, मजदूरों को, इन बेचारे लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। सरकार इनको उठाने में असमर्थ रही है। इन भूखे गरीब लोगों की समस्या आज भी हल नहीं हुयी है।

मान्यवर, ऐसी ही अवस्था हमारे पूर्वी जिलों की है। मान्यवर, ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अन्दर पूर्वी जिलों की जनता यह मांग करने लगे कि उत्तर प्रदेश की नौकर-

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

शाही हमारे साथ पक्षपात कर रही है।सम्पूर्ण धन जो है, और जो सहूलियतें हैं वह आज पश्चिमी भाग को जा रही हैं । ४ सौ करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार दे रही है उसका सम्पूर्ण भाग उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को न जाकर, पश्चिमी जिलों को जा रहा है । मान्यवर, आप फैजाबाद देख लीजिये, सुल्तानपुर देख लीजिये, देवरिया देख लीजिये, गोंडा, बहराइच देख लीजिये । जितने बड़े-बड़े उद्योग हैं वह कहां है । आज नौकरी पाने के लिये, सेवा पाने के लिये, व्यापार करने के लिये पूर्वी जिलों क सहूलियतें नहीं हैं । मान्यवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री जयप्रकाश नारायण का पूर्वी क्षेत्र में आना एक आवश्यक कदम हो जायगा । मान्यवर, ऐसा लगता है कि बिहार की जो अग्नि उड़ रही है वह उड़ कर पूर्वी जिलें में आयेगी ।

श्री अधिष्ठाता---

आप केवल संकल्प पर ही विचार करें ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो बियार और मुसहर जाति है इनको भी अनुसूचित जन-जातियों में लिया जाय । इनमें आज असंतोष व्याप्त है । आज यह आवश्यकता हो गयी है कि जो अवस्था है उसको देखते हुये इनको अनुसूचित जनजातियों में मिलाया जाय और जो अन्य जातियों को सुविधायें मिलती हैं उनको भी देने का प्रयास करें।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे मूल प्रस्ताव का विरोध करना पड़ रहा है । यह इसलिये कि जो कुछ माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने बियार जाति के बारे में कहा है उससे मैं असहमत हूं । ऐसा लगता है कि उन्होंने ओवर साइट से यह प्रस्ताव किया है कि इनको अनुसूचित जन जातियों में शामिल कर लिया जाय । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो हमारे यहां विभिन्न अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां बनायी गयीं हैं उनके पीछे एक लम्बा इतिहास है और वह इतिहास हजारों वर्ष पुराना है । श्रीमन्, जो जातियां पहले हिन्दुओं में मिल गयीं थीं, जो पिछड़ गयीं और जिनको हम शूद्र कहते हैं, छुआछूत जिनसे हम करते थे, यह वही तबका है और इसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं । जिनको हम आज शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं यह वह जातियां हैं जो हिन्दू समाज में शामिल नहीं हो सकीं थीं और इनको आज हम अनुसूचित जन जाति कहते हैं । इसी कारण से हमारे संविधान में दो हिस्से रखे गये ।

मान्यवर, यदि पूरे हिन्दुस्तान को देखें तो बहुत सी ऐसी जातियां मिलेगी जो कि अपने को हिन्दू जाति नहीं मानती हैं । लेकिन जो माने जाते हैं और हिन्दू धर्म में समझी जाती हैं वे कहें कि हम उस श्रेणी में नहीं आते हैं जैसे कि नागालैन्ड के रहने वाले नागा । नागाओं के नेता ने बराबर कहा है कि हम अपने को हिन्दुस्तान का अंग ही नहीं मानते हैं । उन लोगों का कहना है कि न तो हमारी भाषा मिलती है, न रहन-सहन मिलता है और न वैवाहिक संस्कार ही मिलते हैं । तो फिर हिन्दुस्तान के लोग क्यों हमें तबाह रखना चाहते हैं । इसी प्रकार मैं आपके सामने रखूंगा कि यह जो ट्राइबल का इलाका बना है उसके पीछे एक इतिहास है । शुरू के जमाने में जबकि आर्य हिन्दुस्तान में बाहर से आये और उनके साथ ही उस वक्त कोई जाति का विभाजन नहीं था । आर्य दो तरह के हैं, एक तो आर्य जो भारत के मूल निवासी थे और दूसर् आर्य जो बाहर से भारत आये। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात निश्चित है कि शुरू के दिनों में आर्यों में इस तरह का विभाजन नहीं था जब वे पूर्व की ओर बढ़ तो उनमें दूसरी जातियों का सम्मिश्रण होने लगा और जो जातियां उनमें मिल गई उससे ४ वर्ण हुए । ये हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तथा शूद्र । इस तरह जातियों का प्रारम्भ हुआ । आर्यों को शुरू में आर्य और अनार्य कहा जाता था । इस विभाजन के बाद शूद्र अन्य जातियों की सेवा करता था । इनको तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया और इस प्रकार अनुसूचित जाति का आरम्भ हुआ । इनके सामाजिक पिछड़पन और दूसरे आधार पर इस जाति का निर्माण किया गया । आर्यों के पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ने के बावजूद जिन्होंने अपने को हिन्दू जाति का जो समाज था उसके अन्तर्गत नहीं मिलाया और उसके बाहर रहे उनको इस नाम से जाना जाता है । यदि कोई कहे कि शुरू से यह विभाजन चला आ रहा है तो ऐसा नहीं है ।

मैं इस संबंध में एक वैदिक कथा कहना चाहता हूं । यह कथा सत्य काम जाबाल की कथा है । सत्य काम नाम का लड़का गुरुकुल में पढ़ने लगा और वहां उनके गुरु जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पिता जी का क्या नाम है ? सत्य काम ने अपने पिता का नाम नहीं सुना था । इसलिये वह लौट कर अपनी मां के पास आया । मां से सत्यकाम ने पूछा कि मेरे पिता का क्या नाम है ?

तो उसकी माता जो जाबाल थी, उसने कहा, बेटे, तुम्हारा कोई पिता नहीं है । क्योंकि उस जमाने में यह परम्परा थी कि जब अतिथि आ जाता था तो कुमारी कन्यायें भेंट की जाती थीं । उसने कहा कि मुझे कई बार इस तरह से भेंट किया गया । पता नहीं किसके वीर्य से तुम्हारा जन्म हुआ है । तो माता के नाम से तुम्हारा नाम रहेगा और वह जाबाल के नाम से मशहूर हुआ । जातियों का जो आज वर्गीकरण ह वह पहल ऐसा नहीं था । जब बौद्ध काल आया तो तमाम लोग बौद्ध झंडे के नीचे आ गये । वह जातियों का विरोध था । हिन्दुओं में जातियों का वर्गीकरण बौद्ध धर्म ने किया । वह किसी जाति में नहीं रहे । जब शंकराचार्य ने दिग्विजय की तो बौद्ध फिर आर्य हो गये और जातियों का वर्गीकरण हुआ और बहुत-सी जातियां पैदा हो गईं । इसमें कायस्थ भी हैं ।

मैंने एक दिन पार्टी मीटिंग में कहा था कि कायस्थों को अनुसूचित जाति में रखा जाना चाहिये । उसका भी इतिहास है । कलकत्ता हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि कायस्थ शूद्र हैं । मैंने कहा बहुत अच्छा है । इनको शेड्यूल्ड कास्ट में जोड़ दिया जाय । तो मैं कह रहा था कि बियार जाति जैसा कि ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि उनकी दशा खराब है उससे मैं एग्री करता हूं लेकिन उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो प्रस्ताव उन्होंने रक्खा है उससे मैं सहमत नहीं हूं । जो हिन्दुओं में रह गये थे उनको कुछ अधिकार मिले हुये थे । जसे ब्राह्मण चारों वर्णों में शादी कर सकता था । क्षत्रिय तीन वर्णों में शादी कर सकता था, वैश्य दो वर्णों में शादी कर सकता था और शूद्र केवल शूद्रों में ही शादी कर सकता था । यह इतिहास की बातें ह । यह सामाजिक प्रश्न है ।

श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)—

ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से शादी करते थे, तो शूद्र क्यों नहीं कर सकते थे ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैं उसको जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं । शूद्र की आर्थिक स्थिति खराब है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वक्ता का तर्क यह है कि अनुसूचित जाति में नहीं होना चाहिये, जन जाति में होना चाहिये।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

उनको सुविधायें दी जानी चाहिये । मुझे बियार जाति की बहुत जानकारी नहीं है लेकिन जो बातें बतलाई गईं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि वह हिन्दू जाति के अंग नहीं हैं ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि जौनसार-भावर जाति कोई जाति है कि नहीं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जौनसार-भावर, इलाका है, जाति नहीं ।

माननीय सदस्य मेरी बात समझ लें । मैंने शुरू में ही कहा कि बियार जाति को सुविधा मिले, उसके पक्ष में हूं । लेकिन अनुसूचित जाति में शामिल करना, यह तर्क-संगत नहीं है । जैसा कि माता प्रसाद जी ने कहा कि मुसहर जाति हमारे यहां है । स्पष्ट है कि ये हिन्दू जाति के अंग नहीं हैं । इसलिये उनके लिये जो जन जातियों के लिये सुझाव है, वह सही है । मुसहरों को तो जिस वक्त शादी का मौसम आता है, तभी ये डोली वगैरह ले जाते हैं । इसके बाद उनके पास कोई काम नहीं सिवाय दोना-पत्तल बेंचकर जिन्दगी बिताने के । और जब जेलों में भरने के लिये चालान होता है, तो थाने को आदेश होते हैं और इनको १०९ में भर दिया जाता है । अतः मैं इनके मूल प्रस्ताव के रूप में कहा रहा हूं कि ये उनमें अनुसूचित में नहीं आ सकते । आ सकते हैं तो जनजातियों में सम्मिलित कर सकते हैं । अतः मैं ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि इसको जनजातियों के लिये ले आयें, तो मैं उनका इस प्रस्ताव के लिये समर्थन करूंगा ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

तब इसके लिए वोट देंगे ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

५ महीने बाद ले आयें । मैं वोट दूंगा । मैं आप से कह रहा था कि हमारे देश की दशा ही आज दूसरी है ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप कितना समय लेंगे । जो नियमावली है, उसके हिसाब से इस तरह के साधारण प्रस्ताव के लिये १५ मिनट का समय होता है । वैसे आप चाहें तो और समय दे सकता हूं ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैं, मान्यवर, २,३ मिनट में समाप्त करता हूं

अतः मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि इस बात को थोरोली जांच लें, क्योंकि संभव है, कमीशन कभी बैठे तो उसके सामने वह अपने पक्ष को पेश कर सकेंगे ।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । इस वक्त सारे हिन्दुस्तान में एक होड़ सी उस संबंध में चल रही है । मान्यवर, मेरा समाजवादी आन्दोलनों से काफी अर्से से संबंध रहा है । प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट यहां जो पढ़ी गयी, उससे विदित हुआ कि ५० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पावर्टी लाइन से बहुत नीचे हैं, जिनमें बियार जाति की नहीं, सभी जातियां सम्मिलित हैं । तो मैं यह जरूर चाहता हूं कि जो गरीबी वाला हिसाब है सरकार इसे दूसरे स्तर पर टेकिल करे । मैं देखता हूं कि एक तरह से होड़ चली आ

रही है कि किस तरह से विशेष सुविधायें प्राप्त की जायं ? कायस्थ वाली बात आज की नहीं है । शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐंड बेकवर्ड कमीशन बैठा था तो उसके सामने भी यह मांग पेश की गयी थी और इसलिये आज यह चाहा जाता है कि पिछड़ा घोषित कर दिया जाय तो कुछ विशेष सुविधायें मिल जायंगी । इसलिये यह एक होड़ सी चल रही है । हमारे यहां यह समझा जाता था कि पूर्वी जिले, पहाड़ी जिले तथा बुन्देलखंड का क्षेत्र हमारे प्रदेश में पिछड़ा हुआ इलाका है ।

१९७४ में सदन को वह जानकारी दूं कि ३७ जिले ऐसे हैं जिनको पिछड़ा घोषित किया जा चुका है । आखिर जब ५५ जिलों में ३७ जिले प्रदेश में पिछड़े घोषित किये जा चुके हैं तो पूरे प्रदेश को ही क्यों न पिछड़ा घोषित कर दिया जाय ? मेरा कहना है कि समस्या इससे हल नहीं हो सकती । समस्या इससे हल होगी कि गरीबी के लिये लड़ाई लड़ी जा रही है जिसके लिये कांग्रेस बहुत जोर से संघर्ष कर रही ह । इन बातों को देखते हुए यह जरूरी है कि बिना लिहाज किये हुए कौन किस जाति का है उनकी गरीबी को देखते हुए आप उन्हें सुविधा दें और अगर आप उनको इस टेक्निकल केटेगरी में लाना चाहते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये तो दूसरा प्रस्ताव लावें तब मैं सार्वजनिक रूप से घोषित करता हूं कि मैं इसका समर्थन करूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो ओम प्रकाश सिंह ने प्रस्ताव रखा है वह अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है । महत्वपूर्ण इसलिये है कि अभी ओम प्रकाश जी की बातों को मैंने सुना कि पिछड़ा मान कर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाय । मैं ओम प्रकाश जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं जब तक कि १८ प्रतिशत रिजरवेशन कायम है तब तक आपकी यह बात कट जाती है कि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसे पिछड़ा मान कर व्यवहार किया जाय । संविधान में १८ प्रतिशत रिजरवेशन अभी तक मौजूद है चाह चुनाव के दायरे हों, या नगरों के दायरे में हों । जब तक यह चीज विद्यमान है जब तक वह बात सही नहीं उतर सकती।

दूसरी बात यह है कि कहा गया कि ऐसे लोग जो हैं जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं उनके लिये नापने का क्या आधार बनेगा, क्या पैमाना बनेगा, तब हमको देखना होगा कि अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जातियों में जिनको भारत सरकार ने सम्मिलित किया है उनका आधार क्या है ? मेरी समझ में यह बात आती है कि अब तक का आधार यह है कि व ज्यादातर अछूत थे । (व्यवधान) शूद्र मत कहिये। हमारी बिरादरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शूद्र करार दिया था और शूद्र करार देने से वह अनुसूचित जन जाति नहीं बन सकती । मद्रास में एक व्यक्ति ने चुनाव का परचा दाखिल किया । उसने हरिजन लड़की से शादी कर ली और हरिजन अपने को कह कर परचा दाखिल कर दिया और वह चुनाव जीत गया लेकिन जब पिटीशन दायर हुआ तो वह चुनाव अ[illegible] घोषित कर दिया गया । तो इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तर्क ऐसा है कि मौजूदा स्थिति में ठीक नहीं है । दलील अवश्य ठीक हो सकती है । शिक्षा के स्तर प[illegible] सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर उनका पिछड़ापन दूर हो ताकि हम प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकें , यह आधार मैं समझता हूं कि अपनी जगह पर ठीक है ।

अब मैं बियार जाति के प्रस्ताव के बारे में कहता हूं । जहांतक मैं समझता हूं कि मिर्जापुर, इलाहाबाद, गोरखपुर और बनारस के चकिया और नौगढ़ के बड़े-बड़े गांवों में ५-५ सौ और ६-६ सौ बियार जाति के लोग हैं । अगर सरकार कोई कमीशन उनके लिये नहीं बनाती तो सरकार तो इस प्रश्न के ऊपर विचार करना होगा कि २७ वर्ष की आजादी

[श्री ऊधल]

के बाद भी इन जातियों में शिक्षा का प्रतिशत क्या है । मैं यह प्रश्न सरकार के सामने उपस्थित कर रहा हूं कि सरकार सोचे कि २७ वर्ष के बाद इन जातियों में शिक्षा का क्या परसेंटेज है ? यह तो आधार बन सकता है ।

दूसरी बात यह है कि यह भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास खेती-बाड़ी या अपनी जीविकोपार्जन के लिये कोई जगह-जमीन है या नहीं ? तीसरी बात यह है कि इनके पास उद्योग-धंधे हैं या नहीं ? चौथी बात यह है कि समाज के अन्दर इनकी सामाजिक स्थिति क्या है ? कथा इनका छुवा लोग खाते हैं या नहीं ? क्या वे सामाजिक तरीके से अपमानित तो नहीं किये जाते हैं ? यदि इन चारों चीजों को हम एक कसौटी पर कसें तो पायेंगे कि आज भी हमने उनको हरिजन मानकर रखा है और हरिजनों से भी नीचे का नम्बर उनका जायगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनके पास न तो कोई जमीन है और न उन्हें कोई आर्थिक साधन ही दिये गये हैं । उन्हें दूसरे की जमीन पर काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है । क्या मजदूरी उनको मिलती है मैं समझता हूं सवा किलो । १०–१५ रुपये महीना । कटाई के मौके पर बनी आदि उनको दी जाती हैं । यही उनकी जीविकोपार्जन का साधन है । सरकार तब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन है । जैसे हमारे पश्चिम के लोग हैं जैसे धर्म सिंह हैं, हरिसिंह है, बाल्मीकि हैं, इन सब को मिलाकर हम देखें तो पायेंगे कि बियार जाति के लोगों का नम्बर बहुत नीचे हैं जिन जातियों को सरकार ने शामिल किया है ।

(इस समय ३ बजकर ३मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती मोहसिना किदवई पीठासीन हुईं ।)

इसलिए इस कसौटी के ऊपर इसको कसना चाहिए । मेरा निवेदन है कि सरकार कुछ अधिक न करे, तो कम से कम जांच के लिए तैयार हो जाए कि इन चारों प्रश्नों के आधार पर उनके स्तर के सम्बन्ध में जांच की जाए गी । यदि ये उसमें आते हैं, तो जबतक रिजर्वेशन है, तब तक उनको वही समस्त सुविधाएं दी जाएं । जब तक पिछड़े आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाता है । मैं तो कहता हूं कि आर्थिक, सामाजिक स्थिति को देखत हुए ही करना चाहिए । जब तक यह नहीं है, तब तक उनके उत्थान के लिए, शिक्षा जगत में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में कुछ न कुछ सरकार को और हम सबको सोचना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि "बियार" जाति के बारे में एक जांच कमीशन सरकार बनावे, नहीं तो कोई अधिकारी अवश्य वह नियुक्त कर दे, जो इन चारों पहलुओं पर जांच कर ले, जब तक इस १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन है,उनको भी अनुसूचित जाति में शामल करें । जब यह प्राविधान समाप्त हो जाएगा, तो जो सबके साथ हालत होगी वह इनके शाथ भी होगी । मैं प्रस्ताव की भावना का और संकल्प का समर्थन करता हूं कि सरकार इसे अवश्य स्वीकार करेगी ।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उपस्थित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द जातियों के पश्चात् शब्द "तथा सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अनवाल जाति को अनुसूचित जन-जातियों और तीसरी पंक्ति में शब्द "जाति" के पश्चात् शब्द "तथा अनुसूचित जन-जातियों" बढ़ा दिये जाएं ।

अधिष्ठाता महोदय, १९६७ में भारत सरकार ने प्रदेश में ५ जातियों को जो काफी पिछड़ी हुई थी, उनको अनुसूचित जन-जातियों की सूची में रखने की कृपा की । यह तो सबको मालूम है कि यह अनुसूचित जाति प्रदेश के ५ हिस्सों में बंटी हुई है । उनकी जनसंख्या करीब ५ लाख

है। जबसे वह अनुसूचित जन-जाति घोषित हुई है, उनका अब स्तर बढ़ा है। उनको घरेलू और नौकरी में आरक्षण देकर उनका जीवन स्तर आज आगे बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में जो जनपद पिथौरागढ़ है, वहां पर एक जाति रहती है---बनरावत, जिसको सन् १९६७ में जन-जाति की सूची में रखा गया। यह जाति जंगलों में रहती थी और आदमियों को देखकर डरकर भागती थी, सभ्य आदमियों से उसका कोई सम्पर्क नहीं था। खाने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि वे जंगलों के फल-फूल और वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे। उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, केवल ढ़ाई सौ है। किन्तु मेरा निवदन है कि किसी की जनसंख्या भले ही कम हो, पर जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, अति खराब है, जो जंगलों में रहते हैं---ऐसे लोगों को अनुसुचित जन-जातियों की श्रेणी में अवश्य रखा जाय। आज के युग में ऐसा करना वास्तव में एक समाजवाद की दिशा में आदर्श उदाहरण होगा। बनरावत् जाति इस प्रकार की जन-जाति थी, जिनके बच्चों को स्कूल में पकड़-पकड़ कर भेजा जाता था, और फिर वे वहां से जंगलों में भाग जाते थे। यही स्थिति हमारे अनवाल लोगों की सीमान्त जिले में ५ हजार फिट ऊपर बसे और तिब्बत की सीमा से मिले क्षेत्र में भी है। उस पिथौरागढ़ जिले में उत्तरी जिले के जो दो सब डिवीजन हैं, वे बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां जमीन नहीं है, केवल चट्टानें हैं। उनके बीच में एक जाति रहती है---अनवाल, जिनमें आजादी के २५ वर्ष बाद भी कोई ग्रेजुवेट नहीं है, कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। वे लोग अधिकांश रूप से बकरियां लेकर चराया करते हैं। यह जो अनवाल जाति है वह इतनी पिछड़ी हुई है कि वह चुनाव की पद्धति को भी नहीं समझती है।

यह चुनाव कैसे होता है, जब मैं चुनाव के दरमियान गया, वोट कसे देते हैं, हम तो आज तक गये नहीं। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसे पिछड़े हुए लोगों को जरूरत है कि उनको जन-जातियों में रखा जाय। मैं प्रार्थना करता हूं कि सीमांत जनपद में अनवर जाति की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह संकल्प प्रस्तुत है इस नजर से, इस आशा से कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जन-जाति घोषित कर दिया जाय इस श्रणी की आर्थिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए सीमांत जनपद में भेजा जाय ताकि वह भी मनुष्य कहे जाने योग्य हो सकें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैं आपसे आग्रह करता हूं या प्रस्ताव समझ लें, माननीय मंत्री की मंशा जानने के बाद प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

अभी काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

दूसरे भी प्रस्ताव हैं।

*श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)---

माननीया अधिष्ठाता महोदया मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे संकल्प पर बोलने का समय दिया। मैं माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बियार जाति जो वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी जाति है उसके कल्याण के लिये उन्होंने इस सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है। उनके साथ ही मैं माननीय सदस्य श्री माता प्रसाद जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम निषाद]

मुसहर जाति जो वास्तव में बहुत उपेक्षित जाति है जिससे हमारा समाज बहुत ही कलंकित है उस जाति के विकास के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, आज इस समाज की वर्तमान दशा है, इसमें कुछ ऐसी जातियां पायी जाती हैं वास्तव में जिनकी दशा बहुत खराब है। भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था कि देश में ऐसे समाज जो वास्तव में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा होगा उसको उठाने के लिये यहां की सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी। यहां पर जो आज तक सरकारें रही हैं उन्होंने उस सारे समाज को उठाने का प्रयास नहीं किया है। यहां पर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जन जाति जो सूची तैयार की गयी है उसमें उन जातियों को रखा गया है उन्हें सरकार सुविधा दे रही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी जातियां यहां पर छूट गयी हैं जिनकी दशा उन्हीं के समान है, जिनको आज सुविधा दी जा रही है, उनको उठाने के लिये प्रयास नहीं किया गया है जब कि सरकार का कर्त्तव्य था कि उनको भी आगे बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहिये था। यह बियार जाति उन्हीं में से है, जो मिर्जापुर आदि जिलों में पायी जाती है, जिसकी दशा बहुत ही खराब है। उनको सूची में न रख कर यहां की सरकार ने संविधान की अवहेलना की थी। उनको बहुत पहले ही सूची में रखना चाहिये था। लेकिन नहीं रखा गया। यह बहुत बड़ी भूल है। मैं भी यह चाहता हूं कि बियार जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ कर सुविधायें दी जा सकें, उनका आर्थिक, सामाजिक और दैनिक शैक्षिक दृष्टि से विकास नहीं हुआ है, यह उनका पिछड़ापन दूर हो।

इसी तरह से मुसहर जाति जो हमारे समाज में पाई जाती है जिसके पास न रहने के लिए मकान है न खाने के लिये कोई साधन है, न रोजी रोजगार है, न तन पर वस्त्र हैं, जो जंगल के किनारे रहते हैं और पत्तों से दोना तथा पत्तल बनाकर, छोटे मोटे काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य था कि उनके विकास करने के लिए हर संभव उपाय करती लेकिन कुछ नहीं किया गया है। मुसहर जाति हर जगह पाई जाती है जो सारे समाज की सेवा करती है और किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करती है।

यह ऐसा समाज है जिसको झूंठे अन्न पर जीवन निर्वाह करना पड़ता है। शादी विवाह के अवसर पर माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि यह लोग पत्तल उठा कर ले जाते हैं जिनमें लोग खाते हैं और जो झूठा सामान बचता है उससे महीनों अपना तथा अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यह हमारे समाज में कलंक की बात है। आज भी हमारे यहां ऐसा समुदाय है जो दूसरों का झूंठा खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। यह सरकार समाजवाद का नारा तो देती है लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इसके लिये कदम नहीं उठाया गया है। इनके पिछड़ेपन को तथा इनकी सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने के लिये विशेष व्यवस्था की जाय और हर प्रकार की इनको सुविधा दी जाय।

इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में एक बछुआ समुदाय है जो आदिवासी जाति है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह जाति आदि वासी जाति है। इसी जाति से हमारी संस्कृति का आविष्कार हुआ है और सभ्यता का विकास हुआ है और लोग तो बाहर से आये थे। यहां पर केवल वन ही थे। उस समय यह आदिवासी जाति थी जिसके द्वारा धीरे-धीरे संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है। वास्तव में यह निषाद जाति बछुआ समुदाय हमारे देश की आदिवासी जाति है जिसकी आर्थिक, सामाजिक दशा बहुत खराब है और जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है छुआछूत की जाती है। इनको सम्मान नहीं मिलता है। यह जाति नदियों के किनारे बस कर मछलियां मार कर जीवन यापन करती

थी । नदियों, तालाब और पोखरों में कमलगट्टा बोकर, रेत-बालू निकाल कर तथा कछार की जमीन में खेती करके जीवन निर्वाह करती थी ।

लेकिन इस वैज्ञानिक युग में पुलों का निर्माण होने के बाद इनका जो वास्तविक रोजगार था वह छिन गया और उसके बदले में कोई साधन नहीं दिया गया। जमींदारी ऐक्ट लागू किया गया । मछुवा समुदाय अपनी बोरों की खेती करता है । रेत और बालू में कोई खेती नहीं कर सकता है, लेकिन यह समुदाय रेत में उत्पादन करता है, पानी में उत्पादन करता है, लेकिन ऐसे परिश्रमी समुदाय को यहां की सरकार ने हमेशा उपेक्षा की है और ऊंचे बढ़ामें के लिये, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। आज हिन्दुस्तान क अन्दर केवल यही समुदाय है जिसका संबंध जल से है । आज बाढ़ आती है । भयंकर बाढ़ में यही समुदाय लोगों को जीवन देता है । यही समुदाय है जो लोगों को पानी से निकाल कर जन-जीवन देता है पानी से निकाल कर बाहर करता है और उनकी जिन्दगी को बचाता है । अगर इसकी बहुत देर तक उपेक्षा की गयी तो आप जन-जीवन का कल्याण नहीं कर पायेंगे । बाढ़ के समय केवल यही समुदाय ही जन जीवन की रक्षा करता है । इसलिये ऐसे महत्व पूर्ण समुदाय को महत्व देना सरकार का कर्त्तव्य है।

मान्यवर, हिन्दुस्तान के अन्दर पिछड़ा वर्ग कमीशन बना। इस कमीशन के अध्यक्ष काका कालेलकर थे और शिव दयाल सिंह जो राज्य सभा के मम्बर हैं वह उसके सदस्य थे । उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने देखा कि पूरे हिन्दुस्तान में यही एक ऐसा समुदाय है जो वास्तव में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके पास शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है समाज में इसके साथ भेदभाव किया जाता है। उस कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी इसको अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया जाये और अनुसूचित जातियों को जो सुविधायें मिलती हैं वही सुविधायें इसको भी प्राप्त हों । यह सरकारी कमीशन था फिर सरकार ने उसकी रिपोर्ट को माना नहीं । यह संविधान का उल्लंघन है । इससे बड़ा अन्याय क्या होगा । आपने इस वर्ग के साथ बड़ा अन्याय किया है । यदि इसी तरह से किया जाता रहा तो एक दिन यह समुदाय उठ खड़ा होगा । यह इस बात का सबूत है कि....

श्री अधिष्ठाता—

क्या माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री भूपसिंह केन—

समाज में इतने पिछड़े हुए हैं कि इनके साथ बड़ा अन्याय होता है। इस समुदाय यहां भी सदन में अपमान होता है और पिटाई होती है ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस माननीय सदस्य के अन्दर आज इस पिछड़े समाज में भी जागृति आ गई है कि यहां पर ९२ अनुसूचित जातियों के विधायक और करीब १२५ की संख्या में विधायक हैं जिनकी संख्या आज आधे स ज्यादा हो गई है । यदि अनुसूचित और पिछड़े जाति के साथ अन्याय और अत्याचार भविष्य में होता रहा तो यह पिछड़ा समाज इस बात क लिए मजबूर होगा कि वह अपनी सरकार बनायेगी और वह अपनी सरकार बना कर अपने लिए कानून बनायेगी । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि बियार जाति, निषाद जाति, जिसमें मल्लाह, गोड़िया आदि जातियां आ जाती हैं, इनको भी अनुसूचित जाति में जोड़कर इनको भी सुविधायें देकर इनके साथ न्याय किया जाय।

*श्रीरामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीया, यों तो जो संकल्प माननीय ओम प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया है इस पर बोलने का मेरा विचार नहीं था लेकिन जिस समय इधर बैठने वाले माननीय ओम प्रकाश जी दूसरे अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जिस विशेष बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया उधर संभवतः कुछ बुद्धिभेद पैदा हो गया । उन्होंने बड़ी सफाई के साथ अनुसूचित जातियों के अन्दर कौन लोग आते हैं, अनुसूचित जनजातियों में काफी लोग आते हैं । माननीया इस बात के साफ करने की कोशिश किया गया और उन्होंने अपेक्षा की थी कि प्रस्तावक महोदय सही वर्गीकरण स्वीकार करने की कृपा करेंगे । लेकिन बजाय इसके कि उनका वर्गीकरण स्वीकार किया जाता कुछ ऐसी बातें की गईं जिनके संबंध में इस प्रस्ताव से नहीं था । माननीया मैं स्वयं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में जो वर्गीकरण किये गये हैं, इन वर्गीकरणों के पीछे किस ध्येय विशेष का किस धर्म विशेष का, का लगाव है । इस बात का भी ध्यान रखा गया ।

उदाहरण के लिये एक आदमी नट है, वह जब तक हिन्दू नट है, तो वह आता है अनुसूचित जाति में और जैसे ही वह मुसलमान में नट हो जाता है, तो वह पिछड़े वर्ग का कहा जाने लगता है । तो किसी के धार्मिक विश्वास को क्षति न पहुंचे और उसका उत्थान करने में भी शासन समर्थन हो सके, इन तमाम दृष्टियों से यह वर्गीकरण किया गया है । मैं यह मानता हूं कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं इस देश में जिनकी उन्नति के लिये, उनके उत्थान के लिये अब तक समुचित प्रयास नहीं हो सका है और उनका प्रयास किया जाना चाहिये लेकिन मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय ओम प्रकाश जी जिस दल से संबंधित हैं कम से कम उनके द्वारा जब कोई प्रस्ताव इस सदन में लाया जायगा तो उन तमाम दृष्टियों की तरफ दृष्टिपात करने के बाद स्वविचारित प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया जायगा । उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, इस पर कोई विवाद नहीं है । इधर के बैठने वाले यह स्वीकार करते हैं कि बियार जाति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । उनक उत्थान के लिये जितना प्रयास होना चाहिये वह नहीं हुआ । क्या वह अनुसूचित जाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में आते हैं । इस बात का ध्यान इधर के लोगों ने रखा है और रखना लाजिमी क्यों है ? मैं माननीया आपका ध्यान एक घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं उधर के बैठने वाले दल से संबंधित एक अखिल भारतीय नेता अपने चुनाव के संबंध में दौरे पर कहीं गया । हरिजनों की एक बस्ती में बैठ गया । धर्म के घेरे में यहां मनुष्य कितना बंधा हुआ है, इसका एक उदाहरण मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं । वाराणसी की बात है । उस महाशय ने हरिजनों की बस्ती में जाकर भाषण देने के बाद एक गिलास पानी मांगा । एक हरिजन युवक तत्परता से एक गिलास पानी लाया । माननीया नेता जी ने पी लिया, ठीक ही किया लेकिन अपना भाषण समाप्त करने के बाद जब चलने लगे तो उन्होंने वहां के चौधरी से पूछा कि आप का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है या नहीं तो चौधरी ने जवाब दिया कि हम से कुछ न कहवाओ, हम गरीब आदमी हैं । जब उन्होंने बहुत जिद की तो वह बुड्ढा कहता है कि जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरे धर्म की क्या रक्षा करेगा । हमारा देश किस प्रकार के धर्म के खड़ंजे में बंधा हुआ है । इस बात की उपेक्षा करके कोई प्रस्ताव अगर यहां पर लाये जायं तो उसके साथ-साथ ऐतिहासिक जो पृष्ठिभूमि है, उसकी ओर भी हमें दृष्टिपात करना चाहिये विवाद उठता है कि अमुक जाति किस वर्ग में आती हैं ।

यहां के इतिहासकारों ने जो नीतियों का वर्गीकरण किया वह ४ ओरिजिनल बतायीं थीं, शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास । इन चारों में कहीं भी "बियार" जाति नहीं आती है । हिन्दू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाति के अन्दर रहने वाली जितनी भी ऊपर से नीचे तक हैं, ये ४ मूल बतायीं थीं । जितनी ब्राह्मण जातियां हैं चाहे वह मिश्र हों या अन्य हों विवाहों के अवसर पर अपने नाम के साथ शर्मा शब्द का उच्चारण करते हैं । वर्मा भी कोई लगाता है लेकिन वे जातियां जब अपना कोई सांस्कृतिक कार्य सम्पादित करती हैं, मंत्रों का उचारण करते समय अपने नाम के सामने वर्मा शब्द का प्रयोग करते हैं । तो हमारे वर्गीकरण करने वालों ने उनके संस्कार, उनका ऐतिहासिक जीवन क्या रहा है और उसके साथ ही साथ उनका इस देश की धरती पर कब और कैसे पदार्पण हुआ, उन सब बातों को दृष्टि में रख कर, वर्गीकरण किया है । जैसे मैंने आरम्भ में भी कहा कि धर्म पर वह वर्गीकरण समाप्त हो जाता है । मुस्लिम नट बैकवर्ड में आता था तो हिन्दू नट अनुसूचित या अनुसूचित जन जाति में आता है ।

मैं इस संकल्प के अवसर पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे वह "बियार" जाति हो, चाहे "मुसहर" जाति हो, इस प्रकार की जितनी भी जातियां फैली हुई हैं, उन सबके उत्थान का दायित्व आपके ऊपर है और उधर आप सचेष्ट भी हैं, इससे हम अवगत हैं । केवल जातियों के घेरे में आप उत्थान नहीं करना चाहते हैं आपका विशाल संकल्प तो यह है कि इस देश में कोई भी आदमी गरीब न रहने पाये, उसी संकल्प को सामने रखकर, उसको आधारशिला पर, उसको अपना लक्ष्य करके आप अपनी योजनाओं का गठन करते हैं और प्रस्तावक महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के दिन हमारे जैसे साधारण सदस्यों को बहुत कम मिला करते हैं। बेहतर होगा कि कुछ ऐसे संकल्प लिये जायं जिनका संबंध हमारे आर्थिक जीवन से हो, जिससे वह तमाम गरीब लोग जो बियार जाति के बाहर भी बैठे हुए हैं उनकी भी कुछ भलाई हो । गैर-सरकारी संकल्पों के माध्यम से अगर जाति-वाद का पुनः प्रसार करने का अप्रत्यक्ष प्रयास किया जाता है तो इसकी सराहना कोई भी नहीं कर सकेगा हालांकि मैं जानता हूं माननीया, कि प्रस्तावक महोदय काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनकी वक्तृव्य शक्ति से यदा-कदा मैं प्रभावित हुआ करता हूं, लेकिन उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि केवल उनका दायित्व उनक दल के प्रति नहीं है, बल्कि इस देश और प्रदेश के प्रति भी है और रवींद्र बाबू के शब्दों में ऐसा कोई विचार जो मानव-समाज को दीप-पंजों में बांट दे सकता है वह व्यर्थ है और उस विचार के लिये सदन का समय भविष्य में लेने की चेष्टा नहीं करेंगे यह मेरा उनसे आग्रह है और निवेदन है और माननीय ओमप्रकाश जी श्रीवास्तव ने जो प्रस्ताव, संशोधन, उनके संकल्प में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे । मैं साथ ही जोरदार शब्दों में उनके संकल्प का विरोध करता हूं, इसलिये कि उस संकल्प से अप्रत्यक्ष रूप से जातीयता का प्रसार होता है, जो जातीयता इस देश के विकास में हमेशा बाधक रही है ।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

अधिष्ठाता महोदया, शायद मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश नहीं करता लेकिन माननीय रामायण राय जी ने जो वक्तव्य दिया उसके बाद मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ा-बहुत कहना आवश्यक है । सही बात है, मान्यवर, कि जाति-पांति के झगड़ों में हमको नहीं पड़ना चाहिये और हमारे राजनैतिक जीवन में यह जाति-पांति का जो भेद-भाव है वह वैमनस्य पदा करता है यह सही बात है । लेकिन मैं माननीय रामायण राय जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपके यहां टिकट बंटते हैं तो क्यों इस बात का ख्याल रखा जाता है कि यादव को टिकट देना जरूरी है, क्योंकि फलानी जगह यादव लोगों का बहुमत है । ठाकुर को टिकट देना जरूरी है या ब्राह्मण को टिकट देना जरूरी है क्योंकि फलानी जगह ठाकुर या ब्राह्मणों का बहुमत है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी जी, इस प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, प्रस्ताव पर आ रहा हूं । मैं समर्थन करता हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव न आता तो अच्छा था, लेकिन जो तर्क दिया है विरोध में, उसका जवाब दे रहा हूं ।

यही नहीं, आज ही मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई अध्यक्ष बनने वाला है, बदकिस्मती से जिनका नाम आ रहा है वह शर्मा हैं । तो एक दम प्रचार शुरू हो गया कि ब्राह्मण इस देश की प्रधान मंत्री, ब्राह्मण ही इस प्रदेश का मुख्य मंत्री, इसलिये ब्राह्मण ही प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट होने जा रहा है । यह तो आपके यहां हालत है । अगर शासक दल खुद इस प्रकार....

श्री रामायण राय—

हम "शर्मा" "वर्मा" में विश्वास नहीं करते, आदमी के विचारों पर हम विश्वास करते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अच्छी बात है कि शासन दल, माननीय रामायण राय जी ने जो कहा है, उनकी सलाह पर अमल करे ।

अब मेरा कहना यह है कि यह वास्तविकता है कि आज जिस ढंग से पिछड़ी हुई जातियों को लीजिये या जनजातियों को लीजिये, इनका जो वर्गीकरण किया है, उसमें न्याय नहीं हो रहा है । एक मैं मिसाल देना चाहता हूं । अपने पर्वतीय क्षेत्र में जौनसार-बावर एक क्षेत्र है, वहां के तमाम रहने वालों को जनजाति घोषित कर दिया गया । ज सारी" कोई जाति नहीं है । जौनसार एक जगह है वहां के रहने वाले जो ठाकुर हैं वह भी जनजाति हैं, वहां के रहने वाले ब्राह्मण भी और कोल्टा हरिजन भी जनजाति हैं, वह आज भी अर्ध-दास हैं और बेगार में पकड़ लिये जाते हैं, जो आज भी खानदानी तरीके से ठाकुरों के गुलाम हैं उनको जनजातियों में रखा गया है । और इससे होता क्या है माननीया जो पढ़ा लिखा समझदार ठाकुर और ब्राह्मण तबका है जन जातियों को जो फायदा हो सकता है वह वह तबका ले रहा है लेकिन जौनसार बावर का कोल्टा हरिजन जो आज भी अर्द्ध गुलाम है जिसके लिये एक समिति माननीय बलदेव सिंह आर्य के सभापतित्व में नियुक्त की गयी थी और जिसने कुछ संस्तुतियां की हैं उन तमाम संस्तुतियों के बावजूद उसे आज भी कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है । जौनसार यमुना नदी दाहिने किनारे पर है और टेहरी गढ़वाल का जौनपुर रमैया क्षेत्र यमुना नदी के बायें किनारे पर पड़ता है । अगर गरीबी की भयंकर मार जौनसार बावर के अन्दर है तो बिल्कुल उसी तरह की गरीबी आपको जौनपुर और रमया के अन्दर दिखायी देगी । रीति रिवाज एक, खानपान एक, रहन-सहन एक, आर्थिक दशा एक लेकिन यमुना के दाहिने किनारे पर रहने वाले जौनसारी जनजाति हो गये और यमुना के बायें किनारे पर रहने वाले जौनपुर और रमैया के लोगों को जनजाति नहीं घोषित किया गया ।

मंत्री जी बैठे हैं । मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में कुछ सक्रिय कदम उठाना पड़ेंगे । जब हम जातियों का वर्गीकरण करते हैं तो हमको उसका कुछ आधार निश्चित करना पड़ेगा । जौनपुर रमैया टेहरी-गढ़वाल रियासत का पिछड़ा हुआ हिस्सा था । पहले तो टेहरी-गढ़वाल रियासत ही देश का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा था और उसमें भी जौनपुर रमैया सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा था । देहरादून के अन्दर होने के कारण वह ब्रिटिश शासन में आता था । थोड़ा बहुत विकास जो ब्रिटिश राज्य

काल में बाहर हुआ वह भी जौनपुर रमैया के अन्दर नहीं हुआ । अगर आप बहुत पुराने जमाने में अर्द्ध गुलामी काल के देखना चाहें वहां की आर्थिक दशा में, वहां के हरिजनों के शोषण के बारे में तो वह आपको उन क्षेत्रों में मिलेगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भारत सरकार का ध्यान कम से कम इस बात की ओर आकर्षित करें कि जो सुविधायें आप जौनसार बाबर की जनजातियों को देते हैं वही सुविधायें टेहरी गढ़वाल के जौनपुर रमैया क्षेत्र के रहने वालों को भी दें । बदकिस्मती हमारी यह है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता भी है चाहे वह पिछड़ी हुई जातियां हों, चाहे जनजातियां हों, चाहे वह हरिजन हो कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो गये हैं इन जातियों के अन्दर भी । जो थोड़े से चालाक लोग सरकारी कर्मचारी हो गये हैं वह दो मांग करते हैं कि इतने परसेंट डिप्टी कलेक्टर होने चाहिये, इतने परसेंट कमिश्नर होने चाहिये, इतने परसेंट एम०एल०ए० होने चाहिये लेकिन जब उस हरिजन की पिटाई होती है देहात के अन्दर जब बांदा के खेतों में हरिजन की पिटाई होती है तो वह हरिजन एस० पी० और कलेक्टर देखते रहते हैं, हरिजन एम०एल० ए० जिनको लोगों से वोट लेना होता है शायद कुछ करें।

एक बात मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि अगर हरिजनों की भलाई करनी है तो उनको अनुदान पर जीवित रहना मत सिखाइये बल्कि उनको अपने पैरों पर खड़ा कर अपने जान व माल की रक्षा के लिये तैयार कीजिये । अगर जमींदार के गुंडे हरिजनों की बस्ती में जाकर हरिजनों को लूटने का इरादा रखते हैं तो हमको भी चाहिये कि हम उन हरिजनों के हाथ में लाठियां दें और कहें कि उनको जमींदार के गुंडों की लाठियों का मुकाबला करना है । तब तक यह साहस आप पिछड़ी हुई और जनजातियों के लोगों के अन्दर नहीं लाते हैं जबतक आप कितने ही दान के टुकड़े दे दीजिये आप उनमें स्वाभिमान और विश्वास के साथ रहने की हिम्मत नहीं पैदा कर सकते ।

श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । जब से देश आजाद हुआ है और कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से वह बराबर इन पिछड़े हुए समुदायों के विकास और उत्थान के लिये तत्पर है और कार्य कर रही है । कुछ जातियां ऐसी अवश्य हैं जिनकी ओर हमारी सरकार का ध्यान पूर्णतया नहीं गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको केवल अनुसूचित जाति में ला देने से ही इनका भला होने वाला नहीं है । इनके लिये आवश्यक है कि इनको वे सभी सुविधायें दी जाय जो जरूरी हों । केवल कागज पर अनुसूचित जाति में रख दने से, या कागज पर ही तमाम सुविधायें दे देने से इनका भला नहीं होगा । मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी सरकारें आयीं हैं उनमें से किसी भी सरकार ने इन लोगों का इतना भला नहीं किया है जितना कि माननीय बहुगुणा जी ने और उनकी सरकार ने किया है । इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । जो कुछ उन्होंने किया है उसका स्वागत करता हूं ।

मान्यवर, मुसहर जाति बाकई में पिछड़ी हुई है । इनका पेशा जंगल से पत्ती बटोरना और जड़ी-बूटी आदि इकठ्ठा करना है । इनके न रहने का ठिकाना है न खाने-पीने का ही ठिकाना है । संविधान में पिछड़ी हुई जातियों के लिये सुविधायें प्रदान करने की जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत इनको सुविधायें मिलना चाहिये । इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार एक कमेटी नियुक्त करे जो इनकी समस्याओं की जांच करे और इनको सुविधायें प्रदान करें ।

एक मछुआ समुदाय है जिनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है । इस समुदाय में मल्लाह, केवट, बिन्द, चाई, गोडिया, बाथम, धीवर, धीमर आदि आते हैं । यह बहुत ही पिछड़े हुये

[श्री हुबराज]

लोग हैं । इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय । ऐसा न हो कि जिस तरह से अब तक होता रहा है कि अगर हरिजनों की आबादी २० प्रतिशत है तो उनको संरक्षण १५ प्रतिशत मिलता है और अग्रणी जातियां जो १५ प्रतिशत ही है उनको सुविधा है ८० प्रतिशत । कहने को तो इन पिछड़ी जातियों और हरिजन समुदाय को बहुत सी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं लेकिन मुख्य स्थल पर नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि ये जो सुविधायें प्रदान की जा रही है उनका अनुमान लगावें तो २५ पैसे प्रति व्यक्ति अनुसूचित जाति को दिया जाता है । अब अगर यह कहा जाय कि इनका विकास हो जाय, इनका उद्धार हो जाय तो इस २५ पैसे से उनका उद्धार नहीं हो सकता ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर इस पिछड़े समुदाय का इन अनुसूचित जातियों का वाकई विकास करना चाहते हैं तो इनको कुटीर उद्योग दें, और इनके लिये छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना की जाय और इसमें उनको सुविधायें, सहायता व अनुदान दिये जायं जिससे उसके बल पर वे आगे बढ़ सकें । यह कहा जाय कि केवल २५ पैसे फी व्यक्ति देकर हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं तो यह असम्भव है । तो मेरा निवेदन यह है कि यह पिछड़ा समुदाय आज भी देहातों में उसी तरह से कुचला जा रहा है जैसे पहले कुचला जाता था । आज हमारी सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है लेकिन आज सदन में देखा जाय कि जिस पिछड़े समुदाय व हरिजन वर्ग के लिये विकास की बात को लेकर विरोधीदल के माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं इसी सदन में उस वर्ग के माननीय सदस्यों की पिटाई होती है । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिये कि एक तरफ तो हरिजन वर्ग व पिछड़ी जातियों के विकास की मांग की जाती है और दूसरी तरफ हरिजन वर्ग के सदस्यों की यहां पिटाई होती है...

एक सदस्य—

आप यह कैसे कहते हैं कि यहां सदस्यों की पिटाई होती है । आपने देखा है ?

श्री हुबराज—

मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करता चाहता हूं कि यह जो घोर अन्याय हुआ है इस पर एक विशेष चर्चा रखनी चाहिये और इसके बाद सम्बन्धित व्यक्तियों को दंडित किया जाय तब तो हम इस सरकार को और इस सदन को समझेंगे कि नेता विरोधी दल और विरोधी दल के माननीय सदस्य हरिजनों व पिछड़ी जातियों के विकास पर उनकी रक्षा के लिये व उनकी उन्नति के लिये वास्तव में कुछ मदद करना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि पिछडी जातियों में, मछुआ समुदाय भी आता है जिसमें मल्लाह, केवट, बिन्द, चाई,गोडिया, बाहम, धीवर, धीमर आदि जातियां भी आती हैं । उनको भी वे सभी सुविधायें प्रदान की जायं तो अनुसूचित आदि जातियों को प्रदान की जाती है ।

(इस समय ३ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ओम प्रकाश सिंह ने यह जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सीधा है । इसमें तो थोडी-सी बात थी कि पहले तो जातियां संविधान द्वारा बनायी गयीं थी, उन जातियों में जो जातियां छूट गयी है, उनको जोड़ दिया जाय । इस पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने इसको इतना विवाद का विषय बना दिया कि माननीय रामायण राय की तरह वे उस विषय से ही भटक गये और जाति प्रथा और जातिवाद पर चले गये । मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता कि जाति प्रथा किसने कायम की जातिवाद को किसने फैलाया, जातिवाद का जहर किसने घोला ।

मान्यवर, संविधान के द्वारा जो जातियां बनायी गयी हैं उनकी ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं । संविधान निर्माताओं ने इस बात का अहसास किया कि चूंकि अपना देश लगभग १२ सौ सालों से गुलाम रहा है और आजादी के बाद भी विगत २७ वर्षों से कांग्रेस की हुकूमत में इतना पिछड़ गया कि जिसके आधार पर कुछ वर्ग इतने आगे बढ़ गये और कुछ ऐसा समाज का वर्ग है जो इतना पिछड़ गया, पीछे चला गया जिसे ऊंचे उठाने के लिये हर वर्ग के बराबर लाने के लिये आवश्यकता समझी गयी इन्हीं बातों को दृष्टि में रख कर आदरणीय संविधान निर्माताओं ने जो जातियां पिछड़ गयीं थीं उनका वर्गीकरण किया और उन्हें सुविधायें, जीवन की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये, संविधान के द्वारा व्यवस्था की, जिससे कि इनको समाज के बड़े वर्ग के साथ, बड़ी बिरादरी के साथ लाया जा सके ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दुनियां के अन्दर किसी देश और प्रदेश में जो भी शासन रहा है जो भी हुकूमत रही है उसके कुछ मौलिक कर्तव्य रहे हैं । उसके कुछ प्राथमिक कर्तव्य हुआ करते हैं । वह कर्तव्य यह है कि समाज का वह घटक जो जंगलों में रहता है । गांवों में रहता है, बस्ती और कस्बों में रहता है, उसके जीवन के लिये जो भी प्राथमिक आवश्यकतायें हैं, जिसके आधार पर जीवन चल सकता है उसको देने का संकल्प पूरा कर सके । यह जीवन की आवश्यकतायें है भोजन, वस्त्र, रहने के लिये मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, और सुरक्षा । यह ६ चीजें हैं जिसके आधार पर समाज के प्रत्येक घटक का जीवन चलता है । यह आवश्यकतायें जब पूरी नहीं हो सकीं तो जो समाज का एक वर्ग था वह पिछड़ गया । उसको बराबरी पर लाने के लिये संविधान में यह व्यवस्था की गयी कि ऐसी जातियां जो समाज से दूर रहती है, बड़े वर्ग के साथ नहीं रहती हैं, जंगलों में रहती है, उन्हें शासन द्वारा और समाज द्वारा जो सुविधायें मिलनी चाहिये थीं वह नहीं मिल पायीं तो इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस भावना के साथ संविधान के निर्माताओं ने यह व्यवस्था की । लेकिन हमारे माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष की ओर जो बैठे हैं इस मूलभूत बात को भूल गये और जाति प्रथा पर चले गये । जो जातियां पिछड़ गयीं और जो जातियां जन जातियों के अन्दर आनी चाहिये थी और जो संविधान बनाने वालों से शायद छूट गयीं, भूल से उन्होंने नहीं रखा तो उसी छोटे से काम को जो रह गया था, पूरा करने के लिये माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने यह संकल्प लाने का प्रयास किया ।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो जाति प्रथा है, इस जाति प्रथा का प्रचार कांग्रेस द्वारा किया गया है । कांग्रेस ने ही जातिवाद का जहर समाज में घोला है । इस देश के अन्दर जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है उसका यह अधिकार है कि शासन द्वारा जो साधन उपलब्ध है, जो सुविधायें सभी को मिलती हैं, उसे भी मिलनी चाहिये । इस बात को दृष्टि में रखकर ही, जो जातियां जंगलों में रहती थी, जो तालाबों में पानी पीतीं थीं, जिनके पास खाने के लिये अन्न नहीं था, पहनने के लिये कपड़ा नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थीं और बीमार पड़ जाने पर दवा की कोई व्यवस्था नहीं थीं और जो समाज से उपेक्षित थीं उनको समाज के साथ लाने, समाज में जोड़ने और एक राशि करने के लिये ही यह संकल्प लाने का प्रयास किया गया है । मैं समझता हूं कि मान्यवर, जब दुनिया के सारे देश इतना आगे बढ़ गये हैं और मैं देखता हूं कि इंगलैन्ड के धर्म परिवर्तन करने वाले कोई पादरी, जो मिशनरी के नेता हैं, अपने देश में धर्म परिवर्तन कराने के लिये आते है और वे अपनी उन जन-जातियों को जो हमारे संविधान में शामिल नहीं की गई हैं उनका धर्म परिवर्तित करते हैं तथा उनकी गरीबी और उपेक्षा का लाभ उठाते है । इंगलैन्ड के पादरी मुझे स्मरण है कि इस हिन्दुस्तान में जब वे आये थे और लगातार ३५ वर्ष तक अथक प्रयास किया और अपने जीवन में केवल हमारे एक बन्धु को ईसाई बना पाये । किन्तु हिम्मत नही हारे और ३५ वर्ष अपने जीवन हिन्दू बन्धुओं को इसी ईसाई धर्म में बदलने में लगा दिये । जिस देश में समाज को ठीक करने के लिये इतने

[श्री बाबू लाल]

घोर प्रयत्न किये जायं तथा हमारे बन्धुओं को ईसाई मत में बदलने व अपनी संख्या बढ़ाने के लिये जीवन खपाते उसके मुकाबले हिन्दुस्तान में पिछड़ी जातियों को यह पता ही न लगे कि हम आजाद है, हिन्दुस्तान आजाद हुआ है कि नही । उनको शायद पं० जवाहर लाल नेहरू तथा महात्मा गांधी का नाम भी पता न हो । एक पत्र में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आसाम में ऐसी जंगली जातियां रहती है जिन्हें पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है । उन्हें पता नहीं कि नमक का स्वाद कैसा होता है । तो जिस देश में ऐसे लोग रहते हों जिन्हें संविधान में प्रदत्त अधिकारों से अलग रखा जाय, उन्हें समाज के साथ जोड़ा न जाय और समाज के बन्धुओं के साथ चलाया न जाय किन्तु समाजवाद का दावा किया जाय उनके बराबर करने की बात कही जाय तो मैं समझता हूं कि समाजवाद की परिभाषा गलत हो जायेगी । लेकिन जो समाजवाद का दम्भ भरते समाजवाद का नारा लगाते हैं तो क्या बियार जाति जो वर्षों से उपेक्षित है, जो अपने संविधान के द्वारा समाज में सम्मिलित नही है, उसे जन-जाति में शामिल करने की आवश्यकता है कि नहीं ? यदि आवश्यकता है तो यह जो संकल्प है उसको निर्विवाद स्वीकार करना चाहिये था और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य तो सत्ता पक्ष के हैं वे हमारी इस भावना को और उस संविधान की भावना को समझकर इसका समर्थन करेंगे और इस बियार जाति को जन-जाति में शामिल करने का समर्थन करेंगे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय जो माननीय ओम प्रकाश जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है इसका मैं जोरदार विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके कतई माने यह नहीं है कि मैं नही चाहता कि बियार जाति की तरक्की न हो बल्कि जब संविधान बन रहा था और जिसे डाक्टर अम्बेदकर साहब ने बनाकर पेश किया था तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि उसको पढ़ें । श्रीमन् अछूत को जबर्दस्त ओहदा संविधान में दिया गया । क्या यह बात सही नहीं है कि ३०–४० करोड़ आदमी ठीक गरीबी के स्तर के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, तो सरकार का ध्यान किसी एक जाति की ओर आकर्षित किया जाय तो यह ठीक नहीं है ।

यह बहस करते हुये स्वर्गीय अम्बेदकर ने कहा है कि गरीबी का सवाल नहीं है, अछूत का शोषण है। गरीब ब्राह्मण और गरीब हरिजन में क्या अन्तर है ? हरिजन पर दो तरफा मार पड़ती है । उसके पेट और मन दोनों पर मार पड़ती है । लेकिन गरीब ब्राह्मण के लिये ऐसा नहीं है, उसको तो कुछ लोग निमंत्रण भी खिला देंगे और प्रतिष्ठा भी देंगे । संविधान का मन्शा थोड़े दिनों के लिये सुरक्षा प्रदान करना है और इस तरह से अगर जातियां जोड़ी जायेंगी तो उसका कहीं अंत नहीं होगा । जो लोग सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सताये हुये हैं उनके प्रति सरकार को सहानुभूति होना चाहिये लेकिन २०, २५ वर्ष से अनेक जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिये कह रही हैं । श्री ओम प्रकाश ने कहा कि कायस्थ को भी शेड्यूल्ड कास्ट में कर दिया जाय । इसके लिये कलकत्ता हाई कोर्ट की रूलिंग का हवाला भी दिया । कायस्थ तो होशियार जाति है ।

हमारे जिले में गौड़, तुरहाल वगैरह जातियां हैं वह भी अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिये मुझसे कहती हैं । जबसे जाति प्रथा चली है । सैकड़ों और हजारों जाति बन गई है और यदि उन सभी को रक्खा जावेगा तो बहुत से पन्ने इसी में भर जायेंगे । सरकार और कांग्रेस की जो घोषित नीति है उसकी ओर भी ध्यान दिलाया गया है। यदि सरकार जातियों की संख्या बढ़ाती जावेगी तो सरकार का ध्यान व्यापक सवालों की ओर से हट जायेगा आज हरिजन का जो सवाल है वह अछूत होने के कारण है । लेकिन यह रिजर्वेशन हमेशा के लिये नहीं है । यदि काबुली घोड़े और गधे को लिया जाय तो काबूली घोड़ा हमेशा आगे रहेगा तीन हजार साल से जिन्हें बराबर के अधिकार नहीं दिये हैं और जो दबाकर रक्खे गये हैं . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम सेवक यादव--

काबुली घोड़े वाली उपमा अच्छी नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह मैंने उदाहरण ब्राह्मण और अछूत के संदर्भ में नहीं दिया है । मैं अपनी भाषा से किसी को अपमानित नहीं करना चाहता हूं । मेरी मन्शा ऐसी नहीं है । मैं हर जाति की कद्र करता हूं और जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता हूं । यदि आप इस तरह की भावना व्यक्त करके बियार जाति को अनुसूचित जाति में रखना चाहते हैं तो परोक्षरूप से आप जाति प्रथा कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं । होना यह चाहिये कि जो भी पिछड़े हुये है, सरकार को उन्हें उठाने का प्रयत्न करना चाहिये । सरकार के सामने नक्शा होना चाहिये कि जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुये हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान दे और है । सरकार इसकी बराबर घोषणा भी करती रही है और कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी यह है कि जो लोग पिछड़े हैं, दबे हैं, उनका उत्थान हो । लेकिन इस तरह से किसी जाति को अछूत जातियों में रख देने से जो सरकार का व्यापक दृष्टिकोण है, उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं । अतः मैं माननीय ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें । माननीय रामायण राय जी ने ठीक ही कहा था कि गैर सरकार दिवस पर कोई ऐसा व्यापक प्रस्ताव रखा जाना चाहिये था, जिससे उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक का संबंध हो । उसके पीछे यही बात थी, कि जो लोग पिछड़े हों, उनके बारे में विचार हो । जो राम सेवक यादव जी का है, उन्होंने पेश नहीं किया । इस तरह से ठोस बातों पर विचार होना चाहिये था । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का, जो बिल्कुल संकुचित है, जातिवाद को फैलाने वाला है और कुछ लोगों को जो सरकार के अनुदान से जीवित रहना चाहते हैं, उनको आश्रय देता है, घोर विरोध करता हूं ।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या इस संकल्प को स्वीकार करने का अधिकार इस सदन को है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार केवल संसद को इसका अधिकार है । यह सदन इस प्रकार का संकल्प स्वीकार नहीं कर सकता । संविधान में स्पष्ट है कि किसी भी जाति को शिड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है । यह अधिकार विधान सभाओं को नहीं । यही नहीं, शिड्यूल ट्राइब के किसी कमीशन की नियुक्ति भी संसद नहीं, बल्कि राष्ट्रपति करता है । उसकी नियुक्ति, क्रियाकलाप और सारी व्यवस्था भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है । उस दशा में जो ओम प्रकाश सिंह जी ने संकल्प रखा है, ठीक है बहस की दृष्टि से आपने अनुज्ञा दी, यह मान कर दी, लेकिन इसको स्वीकार करने के पहले हमें देखना होगा कि आया यह इस विधान सभा का संवैधानिक अधिकार है या नहीं । इसके बारे में, मान्यवर, मेरी राय है कि इस पर विधान सभा का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ईश्वरी सिंह ने जो नियम संबंधी आपत्ति उठाई है, वह बहुत विलम्ब से उठाई है । इस पर शासक दल के द्वारा भी राय और संशोधन रखे गये हैं । अब तो यह सदन के हाथ में है । दूसरी चीज यह है कि इस सदन में जो संकल्प का स्वरूप है, किसी चीज का है, उसमें कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है कि हम संस्तुति नहीं कर सकते । इसकी तो सिफारिश समझिये । संकल्प हमेशा सिफारिशी होता है । संकल्प कोई अमल नहीं है । और इसलिये संकल्प में सिफारिश के रूप में ध्यानाकर्षण करने का इस सदन को अधिकार है और जो चीज इस सदन के

[श्री अध्यक्ष]

अधिकार का विस्तरण करे, उसके पक्ष में यह सदन रहता है। अतएव इस नियमापत्ति को निरस्त करता हूं। जब कभी भी ऐसे प्रस्तावों का क्लोजर मूव करेंगे, तभी मैं समझूंगा कि अब सदन का मत है कि अब दूसरा लिया जाय।

श्री ईश्वरी सिंह---

आपकी रूलिंग शिरोधार्य है। लेकिन इसकी जो भाषा है वह सिफारिश की नहीं है, बल्कि एक निश्चय करने की भाषा है।

श्री अध्यक्ष---

इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। जो सक्षम है उसके सामने असक्षम जो कहेगा वह सिफारिश ही होगी।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)---

आज हिन्दुस्तान को आजाद हुये २७ साल का अर्सा हो गया लेकिन आज भी हमारे देश से जाति-पांति, छुआ-छूत की लानत दूर नहीं हो सकी। मुझे बहुत अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ रहा है कि आज भी जब इस सदन के अन्दर यह सवाल उठता है कि हरिजनों व पिछड़े वर्ग के साथ इंसाफ किया जाय लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि देश व प्रदेश के अन्दर हरिजनों के साथ में और पिछड़े वर्ग के साथ जो ज्यादतियां और मजालिम किये जाते हैं आज तक सरकार ने उसका कोई बन्दोबस्त नहीं किया। हिन्दुस्तान के संविधान के अन्दर जिसको डाक्टर अम्बेदकर साहब ने बनाया था उसमें उन्होंने हरिजन लोगों के लिये सुविधायें देने की कोशिश की लेकिन कानून के अन्दर कुछ भी लिखा हो अमली एतबार से हम देखते हैं कि देश के अन्दर उस आईन पर अमल नहीं होता। जबान से सब कुछ कहा जाता है और वायदे सब कुछ किये जाते लेकिन जो नीचे वर्ग के लोग कहलाते हैं, जिनको हरिजन या पिछड़े वर्ग के नाम से याद किया जाता है उनके साथ कुछ नहीं किया जाता।

आज जब समाज में उनके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिये उनको हरिजन के अल्फाज से याद करना इंसानियत की तौहीन है। जिस इंसान के खुदाबन्द ताला ने इस दुनियां में पैदा किया है इस समाज के अन्दर वे सब बराबर हैं, उनका दर्जा बराबरी का होना चाहिये था लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि आज इस समाज के अन्दर कुछ लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो आज ट्रेजरी की बैंचेज की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि यह गैर सरकारी रिजोल्यूशन जो ओम प्रकाश सिंह जी ने पेश किया है, यह बिलकुल गलत है और इसकी मान्यता नहीं मिलनी चाहिये। तो क्या यह उनसे पूछना मुनासिब नही होगा हमेशा कांग्रेस सरकार ने जात बिरादरी की बात की। जब भी इलेक्शन आया या ई दूसरा मसला उठा या मिनिस्ट्री बनी तो आपने हमेशा इस प्वाइंट आफ व्यू से काम किया कि फलां इस बिरादरी का है इसलिये उसको जीतने का मौका है लिहाजा उसको यह टिकट मिलना चाहिये अथवा फलां मुसलमान है, फलां हरिजन, फलां इस जाति का है इस आधार पर आपने टिकट दिये अथवा मिनिस्ट्री में किसी को जगह दी। आपने उनको ऊंचा उठाने के लिये, सामाजिक बराबरी का दर्जा देने के लिये जो उनमें कमजोरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कभी नहीं की। जहां तक तालीम और रोजगार का सवाल है आज भी हम देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो बेपढ़े लिखे हैं और समाज के अन्दर वह ऐसे काम करते हैं जिनको उन्हें नहीं करना चाहिये आज हरिजन बस्तियों को जाकर देखिये तो शर्म आती है और उन बस्तियों को देखने के बाद यह अहसास होता है कि जैसे समाज के अन्दर यह हिस्सा उससे कटा हुआ है।

उनको बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है। आखिर यह बराबरी कब तक आयेगी ? बेइन्साफी कब तक होती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं यह मांग कर रहा हूं कि

सरकार कोई ऐसा कानून बनाये जिससे उनको समाज के अन्दर बराबरी का दर्जा मिल सके उनके अन्दर भी इन्सानियत है, वह भी हमारे समान खाते-पीते हैं, हमारी ही तरह उनके भी आंख और मुंह है लेकिन आज का समाज उनको जिस निगाह से देखता है मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको इस पर शर्म आनी चाहिये । आप बरसरे इक्तदार हैं, आपके हाथ में हुकूमत है, आप उनका सुधार कर सकते थे । बहरहाल अब भी वक्त है । उनके लिये आप कानून बनायें, उनको तालीम दिलायें, उनको ऊंचा उठाने के लिये कोई ऐसा कानून बनायें जिससे हमारे हिन्दुस्तान का मस्तक ऊंचा हो सके । दुनिया के दूसरे देश हमारे देश को नफरत की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि यहां कुछ लोग ऐसे भी बसते हैं जिनको इन्सानियत का दर्जा हासिल नही है, बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है, पास में नही बैठ सकते हैं, एक साथ बैठकर खा-पी नहीं सकते हैं । यह दूसरी बात है कि चन्द वोटों को हासिल करने के लिये इलेक्शन लड़ने के लिये आप उनके घर चले जांय, उनके साथ बैठकर खा-पी ले ।

जब आजादी की जंग लड़ी जा रही थी तो गांधी जी ने हरिजनों के लिये आश्रम बनाय थे, हरिजन बस्तियां बनायी थी ताकि वे हरिजन जिनको समाज से काट दिया गया है, अगर उनके अन्दर जागृति लानी है तो उनके साथ हरिजन बस्तियों में रहा जाय । आप तो गांधी जी के फालोवर्स हैं, उनके सिद्धांतों और उसूलों को मानने वाले हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं और सरकार से मालूम करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि क्या गांधी जी का मिशन गलत था ? क्या आपने गांधी जी के वे उसूल (प्रिंसिपल्स) जो उनके थे वे आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखते ? अगर गांधी जी वाकई इस देश के नेता थे, इस देश के रिफार्मर थे तो उन्होंने जो उसूल इस देश की भलाई के लिये, देश को ऊंचा उठाने के लिये, देश की तरक्की के लिये जो रास्ते बताये हैं उन पर चलें तभी हिन्दुस्तान में सुधार हो सकता है, हरिजनों का सुधार हो सकता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तभी सही माने में आप देश की भलाई कर सकते हैं ।

आप गांधी जी का नाम लेते हैं उनके मानने वाले हैं और ये सारी चीजें उनके नाम से आप मनसूब करते हैं तो आज क्या वजह है कि इन पिछड़ी जाति के लोगों के लिये आपकी निगाह उतरी हुई है ? क्यों इन्हें ऊंचा नहीं उठना चाहिये । क्यों बराबरी का दर्जा इन्हें नहीं मिलना चाहिये । यह ना-इन्साफी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है । मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि कम से कम उनके अन्दर सियासी जागृति आई है । लेकिन आप उनके अन्दर एहसासे कमतरी पैदा करते हैं । वे कहीं चिक उठाकर अन्दर जा नहीं सकते क्योंकि वह समझते है कि वहां जाकर न मालूम हमारा क्या हश्र होगा ? यह हिन्दुस्तान की पशानी पर यह बहुत बड़ा बदनुमा दाग है । इसको धोने के लिये, समाज को पाक, साफ सुथरा बनाने के लिये हमें सोचना चाहिये । देश सबका है, सबको बराबर का हक है । जब आप जम्हूरियत को मानते है, तो हमारी सरकार को सारे इंसानों को बराबरी का दर्जा देना चाहिये । अगर आपने इस तरीके से इस देश को चलाया और उन पिछड़े लोगों के साथ आज जो जुल्मोसितम होता है, अगर यह चलता रहे चाहे तालीम से मुतालिक हों या रोजगार के मसले में हो, तो हमारे लिये शर्म की बात है । लिहाजा जहां जहां भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको उसे देखना चाहिये मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, अर्ज करता हूं---यदि आपका यही हाल रहा आप यकीन जानिये अभी क्या है कल एक एक बूंद को तरसेगा, मयखाना, जो अहले जर के हाथों में पैमाने नहीं आये । इस मुल्क को यदि बर्बाद किया है, नाम डुबाया है, तो आपने अर्थात् हमारे कांग्रेसी भाइयों ने । आज अमेरिका, चायना, जर्मनी आदि को देखिये, वे कहां पहुंच गये है ? मैं इन अल्फाज के साथ ओम प्रकाश सिंह जी ने जो गैर सरकारी रेजोल्यूशन पेश किया है, उसकी ताईद कर रहा हूं और उम्मीद है कि सत्तादल के लोग भी इसकी ताईद करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

यह सीमित विषय है । इस पर बहुत बड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है ।

श्री भूप सिंह सैन—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। 'बियार' जाति के बारे में जो चर्चा हो रही है और जो इस तरह का संकल्प रखा गया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं, उसका कुछ कारण है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि जो विचार यह किया था कि शेड्यूल्ड कास्ट की जाति कम होनी चाहिये, किन्तु इसमें उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट की बढ़ोत्तरी का इरादा किया है। यह इरादा अच्छा नहीं है। मैं इसे अच्छा तब समझता यदि इसमें इस हरिजन जाति को बढ़ाने के बजाए इसके स्थान पर घटाने की वह बात सोचते। वह एक अच्छी बात थी। अध्यक्ष जी, शेड्यूल्ड कस्ट के अन्दर यह जो एक रखा है, इसका एक कारण है। केवल इसी बात पर कि किसी समाज की कितनी आर्थिक स्थिति कमजोर है या वह शिक्षा में कितना पीछे है, इसी बात पर उसको शेड्यूल्ड कास्ट्स की जातियों में जोड़ा नहीं जा सकेगा। मैं इस सदन के अन्दर खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि बहुत सी ब्राह्मण जातियों में बहुत पिछड़े गरीब ऐसे जिनको रोटी भी नहीं मिलती, उनकी शिक्षा भी बहुत पीछे है। अगर इस दृष्टि से देखा जाय, कितने आदमियों की आर्थिक स्थिति में कमी है। या शिक्षा में कितनी कमी है इस तरह से सारे समाज शेड्यूल्ड कास्ट्स में जोड़ा जा सकता है, कुछ समाज को छोड़कर। अगर मान लें कि कोई समाज बहुत पिछड़ा हुआ है उसका उद्धार करना चाहते हैं, उस समाज का तहे दिल से आत्मा से वास्तव में उसका बढ़ावा चाहते हैं तो उसका उद्धार शेड्यूल्ड कास्ट्स में सम्मिलित करने से नहीं होगा बल्कि उस समाज को अपनी तरह सरकार से सहायता दिलाना चाहिये। शेड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल करने से उसमें केवल एक जाति की बढ़ोत्तरी होती है।

इस हरिजन शब्द के मामले में, इन हरिजनों का उद्धार काफी समय से लोग कहते चले आये हैं। बड़े-बड़े ग्रन्थों में इसका जिक्र आया है। उसके बाद अछूतोद्धार की कमेटियां बनायीं। फिर हरिजन उद्धार का आन्दोलन हुआ। अछूतोद्धार की बात हुई। महर्षि दयानन्द ने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का उद्धार अछूतोद्धार कमेटियां बनाकर करने की कोशिश की। यहां पर लोगों से आर्थिक स्थिति की कमजोरी से नहीं, शिक्षा की कमजोरी से नहीं, बल्कि समाज की जो तड़पने थी, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों से जो समाज घृणा करता था उससे दुखित हो कर, यहां के कुछ लोग ईसाई लोगों के शरण में जाने लगे, उनको बढ़ावा दिया कि आप हमारे यहां आयें हम आपका उद्धार करें,गे लेकिन यहां के समाज की नजर में उनकी बात नहीं आयी। जो लोग ईसाई बने उनका उद्धार किया गया, जब वह वापस हो कर हिन्दू बनाये गये, तो उनको छोटी जाति में ही रखा गया मैं आपको साफ तौर से बतला देना चाहता हूं कि अगर कोई बाल्मीकी जाति से ईसाई हुआ था तो जब उसका उद्धार किया गया उसका शुद्धिकरण किया गया तो शुद्ध करने के बाद, वही भंगी का भंगी ही बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में उसका उद्धार करना था तो ईसाई बनाने के बाद जब फिर हिन्दुओं में आयें। तो उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय क्यों नहीं बनाया गया। केवल भंगी ही क्यों बनाया गया। अछूतोद्धार कमेटियों ने बहुत सा काम किया। उसके बाद हरिजन उद्धार कमेटियां बनायी गयीं।

पूज्य महात्मा गांधी ने बहुत-सा सुधार किया। उसके बाद १९३२ राउन्डटेबिल कानफ्रेंस में जाति के आधार पर चर्चा की गयी। डाक्टर अम्बेदकर ने चर्चा की। जब देश को आजादी मिली, उसके बाद सारी बातों को देखते हुए, पिछले इतिहास को देख कर एक शेड्यूल्ड कास्ट्स बैकवर्ड क्लास और जन-जातियों का कमीशन बनाया गया। उसको पूरी आजादी थी। उसने इस देश में पूरी तरह से छानबीन की। देश के कोने कोने को देखा। उन्होंने सोच समझ कर कुछ जातियां रखीं जो शेड्यूल्ड कास्ट्स में आती हैं, बकवर्ड क्लास या जन-जातियों में आती हैं। असली सवाल आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का नहीं है,

बल्कि जो जिस समाज से घृणा की जाती है, उस घृणा की खबर उस घृणित समाज के व्यक्ति को होती है। जैसाकि किसी ने कहा है कि "घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय।" मैं अक्सर ट्रेन में सफर करता हूं और मेरे साथ घटी हुई घटना है। ट्रेन में बहुत से पढ़े-लिखे लोग होते हैं। समझदार लोग होते हैं और बहुत से अपढ़ और मजदूर लोग भी होते हैं। जब इस तरह की चर्चा होती है तो हर व्यक्ति अपनी बात करता है। मेरा नम्बर जब आया तो मैंने जवाब दिया। मेरे पड़ोसी ने कहा कि आपका शुभ नाम क्या है। मैंने अपना नाम बता दिया कि मुझे भूप सिंह कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कहां रहते हैं। मैंने बताया कि दिल्ली के पास राजपुर गांव में रहता हूं और हरिजन वेलफेयर बोर्ड में काम करता हूं। उन्होंने मेरी जाति पूछी तो मैं सिटपिटा गया कि क्या जवाब दूं। हिन्दू जाति के नाम से मैंने जवाब दिया। कि हिन्दू जाति से हूं। इस पर उन्होंने कहा कि हिन्दुओं में कौन जाति के हैं। उनको सब्र नहीं हुआ मेरे कहने पर क्योंकि उनकी आकांक्षा कुछ और थी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं तो मेरे पैर के तले से मिट्टी खिसक गयी। मैंने कहा कि आप मुझे शिड्यूल्ड कास्ट समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि शिड्यूल कास्ट में कौन हैं। मैंने कहा कि जाटव तो उन्होंने कहा कि चमार और मुझ से खिसक कर बैठने लगे।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति का जहां तक सवाल है उसको सहन किया जा सकता है। लेकिन इंसान जो इंसान के साथ घृणा करता है उसकी ठेस को सहन नहीं किया जा सकता है। वह टिकने नहीं देती है। यह घृणित भावना मेरठ में जगह-जगह पैदा हुई है। अगर आर्थिक स्थिति के ऊपर यह बात थी तो मेरठ में बहुत से ऊंची जाति के जैसे ब्राह्मण, वैश्य खत्री व जाट वगैरा है वह बहुत पीछे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति की बात नहीं है। बल्कि असली चीज वही है जो घृणा की जाती है जो घृणित भावनायें आपस में टकराती हैं और जिनके टकराने से भयंकर रूप बन जाता है।

मेरठ में जब चुनाव चलते हैं तो यह भावना उभरकर ऊपर आती है और बिजन से घृणा की जाती है उनको यहां तक बताया जाता है कि वोट नहीं डालने दिये जाते हैं। यह घृणित समाज की वजह से होता है आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं होता है, पिछड़ेपन की वजह से नहीं होता है बल्कि घृणा की वजह से होता है। अगर सेना का इंतजाम कर दिया जाय, पुलिस का इंतजाम कर दिया जाय और लोकल पुलिस के बजाय दूसरे इलाके से पुलिस बुलाई जाय तो दूसरा रूप धारण किया जाता है। जो अपने को सभ्य कहते हैं, जो अपने को ऊंची जाति का कहते हैं वे लोग फटे पुराने कपड़े पहन कर उनमें बैठ जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं कि आज पुलिस है लेकिन कल पुलिस यहां नहीं रहेगी। हम और आप ही रहेंगे। अगर हमारी मर्जी से वोट नहीं डालोगे तो जो नतीजा निकलेगा वह आप और हम दोनों जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल वही है। शिक्षा की बात नहीं है, पिछड़े समाज की बात नहीं है बल्कि घृणित समाज का सवाल होता है जिससे छुआछूत की भावना बढ़ जाती है और भावनायें आपस में टकराती हैं। जब समाज नीचे का ऊपर को उठने की बात करता है, जब घृणित समाज ऊपर को उठने की सोचता है, तो यह सरकार जितने घृणित समाज हैं, जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स का समाज है उसको बढ़ावा दे रही है। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो उस समाज से घृणा करने लगे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय जब दर्जा ४ में पढ़ता था, यह मेरी बीती हुई कहानी है। पास में एक मंदिर था, मेरे साथ कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ जाट भी थे, कुछ गूजर भी थे, तो हम ५-६ लड़के होते थे अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता रहा हूं, जब हम मंदिर में जाते थे तो वहां पर एक साधू रहते थे उनकी बड़ी बड़ी लटें थीं, जब हम मंदिर में जाते थे तो वह महात्मा हमको आसन कराया करते थे। मैं सबसे ज्यादा अच्छा आसन करता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को बतला देना चाहता हूं कि जब आसन करते थे तो इसी बीच में इसी तरह से गाड़ी चलती रही, धीरे-धीरे गाड़ी काफी

[श्री भूप सिंह केन]

महीने तक चली और जब महात्मा जी को मालूम हुआ कि यह लड़का अछूत जाति का है, तो उन्होंने कहा कि भूप सिंह तुम अन्दर नहीं आ सकते और सभी लड़के आ सकते हैं। तब मैंने कहा कि आखिर बताइये तो बात क्या है ? तो महात्मा जी ने कुछ नहीं बताया, तब मैंने कहा कि अगर मैं अन्दर नहीं आ सकता हूं तो कोई भी लड़का अन्दर नहीं आ सकता है। तो मैंने साधू से कहा कि अगर ये लोग जायेंगे तो मैं भी अन्दर जाऊंगा, नहीं तो कोई नहीं मंदिर में आयेगा। आखिर में महात्मा जी को कहना पड़ा कि कोई मंदिर में नहीं आयेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक उनको मालूम नहीं था तब तक मुझे कुछ नहीं कहा गया और जब उन्हें मालूम हो गया कि मैं अछूत जाति का हूं तब उन्होंने हमें मंदिर जाने से मना कर दिया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बतला रहा हूं कि सवाल यह नहीं था कि मेरे माथे पर नहीं लिखा था कि मैं अछूत जाति का हूं। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं फलां जाति का हूं तब वह घृणा करने लगे।

जब समाज घृणा से घृणित हो जाता है, जब कीचड़ में पहुंच जाता है और जब कीचड़ में परेशानी होती है तब उसको यह मालूम होता है कि दलबल में फंसने से, कीचड़ में रहने से, बदबू में रहने से इन्सान की क्या हालत हो जाती है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सवाल यही है। यही सवाल रखा है कि इस बयार जाति को शेड्यूल्ड कास्ट्स को शामिल कर लिया जाय। बियार जाति को मैं तो तब मानता हूं, जब इस जाति की अगर माननीय सदस्य इस सदन के बीच में आज इस बात का प्रस्ताव रखते कि आज के बाद में हमारे प्रदेश के अन्दर हिन्दू समाज के अन्दर कोई भी जाति का खाना नहीं होगा, चाहे नौकरों का मैदान हो, चाहे स्कूल का मैदान हो इसको मिटाने के लिये संल्कप रखते। मैं कहता हूं कि जाति का खाना मिटना चाहिये। कोई भी आदमी नाम के आगे जाति न रखे। मैं एक बात और बतला देना चाहता हूं कि जब यह नाम होता है, शेड्शूल्ड कास्ट्स का नाम होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने कई ऐसी घटनायें बीती है, जहां मैंने हिन्दू शब्द का नाम लिया, हिन्दू शब्द से हमारे हिन्दू भाईयों को घृणा होती है। हमें तो हिन्दू शब्द से घृणा नहीं होती है क्योंकि अगर ऐसा न होता...

एक सदस्य—

अब क्या माननीय सदस्य ब्राह्मण हो गये हैं ? क्या ये रिजर्व्ड सीट से जीत कर नहीं आये हैं ?

श्री भूप सिंह केन—

अगर आप को घृणा न होती तो आप न कहते ? उस समय जब मैंने 'हिन्दू' कहा तो उससे उनको सब्र न हुआ और उस समय अगर मैं कहता कि मैं गुप्ता हूं, तो कहते लाला जी या कहीं मैं शर्मा कहता तो कहते कि शर्मा जी ठीक है या मैं वर्मा कहता तो कहते कि वर्मा जी ठीक है। यह आपाधापी न होती। अगर कोई विशेषण लिखा जाता तो तुरन्त हमारे समाज में एक सहनशीलता हो जाती है और अगर हिन्दू शब्द अपने आपके लिये ले लेता हूं तो संतुष्टि नहीं होती है। उनके कहने का मतलब यह था कि हम अपने आपको चमार या शेड्यूल्ड कास्ट क्यों नहीं कहते हैं। इस प्रकार से जो घृणा भरे शब्द होते है, जिन सज्जन ने अपना संकल्प पेश किया है, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अगर उनके अन्दर सामर्थ्य है, दिलमें वास्तविक चिन्तन है, तड़पन है, अगर वास्तव में सोचते है कि शेड्यूल्ड कास्ट का उद्धार होना चाहिये तो आज से बाद में जाति के खाने को मिटा देना चाहिये।

जैसा कि मैंने अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे क्षेत्र के अन्दर जितनी घटनायें होती है, घृणित घटनायें होती है, शायद ही कहीं पर होती हों। आज अछूतों के ऊपर, हरिजनों के ऊपर गांवों के अन्दर ऐसी घटनायें घट जाती है, जो बहुत

ही घृणित होती है। उनकी बहुत सी नजीर मैंने सदन में दी है। अभी तक तो मैं कानों से ही सुनता था लेकिन अब तो आंख से भी देख लिया है कि इस घृणित शब्द के साथ जो होता है। सदन के ही उत्तरी कोने में शेड्यूल्ड क्लास के सदस्य, जो सदन के माननीय सदस्य कहलाते हैं, उनके साथ में जूतम पचार होते देखा था। अगर यहां के विरोध पक्ष के साथियों को इस नाम से कुछ लगाव था तो मैं मानता हूं चाहे वे विरोध पक्ष के ही क्यों न होते, उनको व्यवस्था देनी चाहिये थी, आपस में सजा देनी चाहिये तब मैं समझता कि वास्तव में विरोधी पक्ष वाले भी अच्छा बरताव रखते हैं। यद्यपि यह ठीक नहीं मालूम देता लेकिन फिर भी कहे देता हूं कि इस प्रकार जिन माननीय सदस्यों को पीटा गया हो और व पिटकर अपन स्थान पर चले जाते हैं, तो इससे ज्यादा घृणित और बात क्या हो सकती है। इन्सान अगर जिन्दा रहना चाहता है तो इज्जत से रहे, रोटी न मिले कोई परवाह नहीं, पैसा न मिले तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिये लेकिन अगर इन्सान जिन्दा रहना चाहता है तो वहां न रहे जहां उसके साथ घृणित चीजे होती हैं। जिसमें जूते खाने पड़ते हों, जिसमें मान सम्मान को ठेस लगती हो, ठोकर लगती हो, इसको देखने से मैं तो साफ कहता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे इधर की हो या उधर की हो, इन्सान को मान सम्मान के साथ जीना चाहिये और मान सम्मान से जीने का हमारा हक है। भारत के संविधान में लिखा है कि कोई भी इन्सान चाहे किसी भी स्थान पर हो, चाहे किसी समाज का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, उसके साथ इंसानियत का बर्ताव किया जाना चाहिये। उसमें पहले दिन एक घटना हुई थी। उधर से एक माननीय सदस्य ने पूज्य रामायण का एक पन्ना फाड़ा था जिसमें लिखा था—

"ढोल गंवार शुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।"

लेकिन विरोध पक्ष के किसी भी सदस्य ने आवाज नहीं उठायी, किसी के मुंह से यह शब्द नहीं निकला कि रामायण पूज्य है क्यों पन्ना फाड़ दिया गया, यह अनर्थ हुआ है, अनादर हुआ है—यह नहीं कहा। यद्यपि पक्ष के लोगों ने कहा तो मैं सोच रहा था कि इनके दिल में बड़ी तड़पन है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये, उनको ये ऊंचा उठाना चाहते हैं लेकिल जब दूसरे ही दिन ठीक विपरीत घटना हुई सदन के कोने में (शेम-शेम की आवाजें) तो उसकी प्रतिक्रिया में अध्यक्ष महोदय बतला देना चाहता हूं। जब मैं अपने इलाके हापुड़ में गया तो वहां पर यही चर्चा। मेरठ में गया तो यही चर्चा। हमारे इलाके में चर्चा थी कि केन साहब, यहां तो हम पिटते ही हैं, वहां सदन के बीच में, असेम्बली के बीच में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, हरिजन एम० एल० ए० लोग पीटे जाते हैं, यह क्या मामला है? मैंने बहुत कहा कि यह उनकी पार्टी का मामला था, आपस में झगड़ा था, लेकिन उन बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के, जो घटना हुई वह इस सदन में हुई जो इस प्रदेश को चला रहा है पूरी जिम्मेदारी लिये हुये है इसमें इस घटना के प्रति किसी ने अपनी घृणा प्रकट नहीं की विरोध पक्ष से . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं। दूसरा संशोधन इससे बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप बहस बन्द कराइये।

श्री अध्यक्ष—

भाषण खत्म हो जाय।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

बिल्कुल बन्द नहीं होगी। अभी महिलाओं को मौका नहीं मिला है। आपका विवाद अपूर्ण है, जब तक महिलाओं का योगदान नहीं होगा यह यज्ञ अपूर्ण रहेगा!

श्री भूप सिंह केन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बतला रहा था कि वास्तव में हमारे बीच में जो घटना हुई उसक बारे में बाहर इलाकों में बड़ा शोर मचा हुआ है। मैं अपने विरोध पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से और रामसेवक यादव जी है, उनसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो घटना सदन के अन्दर हुई है, उनकी इस पार्टी के अन्दर जो घटना हुई है.....

श्री राम सेवक यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो असत्य घटना हुई ...

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं व्यवस्था चाहता हूं....

श्री भूप सिंह केन—

मे यह कह रहा था आपके माध्यम से ....

(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव—

इनकी पार्टी में हरिजनों का कत्ल हुआ है ....

(व्यवधान)

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

जो मामला यहां विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट है उसके बारे में आपको कुछ कहना नहीं चाहिये।

(शोर)

श्री राम सेवक यादव—

दूसरा प्रस्ताव भी लेना है।

श्री अध्यक्ष—

अभी उनका जबाव होगा, सरकार का भी जबाव होगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

दूसरा संकल्प इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

तो यह जारी रहेगा।

श्री भूप सिंह केन—

मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। माननीय सत्यपाल मलिक मेरे बड़े अच्छे साथी हैं। विद्यार्थी जीवन में उनका समाज सेवा का काम बड़ा अच्छा होता था....

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

संकल्प क्या है और बोल क्या रहे हैं ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब यह विचार जारी रहेगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत ११ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा का गोरखपुर जिले के नदियों में बाढ़ से उत्पन्न संकट के विषय में जो है वह कल जो स्वीकृत हो चुका है उसमें जोड़ दिया जायगा। माननीय गोपीनाथ कामेश्वरपुरी का बस्ती जिले की विभिन्न नदियों में बाढ़ से उत्पन्न संकट के विषय में, यह भी कल जो बाढ़ के विषय में स्वीकृत हो चुका है उसमें जोड़ दिया जायगा। माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, माननीय उदय नाथ, माननीय रामरति बिन्द, माननीय अब्दुल रऊफ लारी तथा माननीय मधुकर दिघे का गोरखपुर जिले के विभिन्न नदियों में बाढ़ से उत्पन्न संकट के विषय में जो है यह भी कल जो स्वीकृत हुआ है उसी में जोड़ दिया जायगा। एक माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, माननीय अठई राम और माननीय रेवती रमन सिंह का है इलाहाबाद के प्रादेशिक महालेखाकार कार्यालय में पुलिस तथा पी० ए० सी० की तैनाती से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कर्मचारियों में व्याप्त रोष, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। शेष को स्वीकार नहीं किया है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

एक कन्वर्जन का मामला मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरे दिन दीजिये। आप अपना अवसर लेते रहिये।

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मई, १९७३ में लखनऊ विश्वविद्यालय में भीषण अग्निकाण्ड के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय की परिस्थितियां असामान्य हो गई थीं। १९७३ की परीक्षायें जुलाई, अगस्त, १९७३ में सम्पन्न हुई और शैक्षिक सत्र ३ सितम्बर, १९७३ से प्रारम्भ हुआ। कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिन पर विश्वविद्यालय का नियन्त्रण नहीं था, विश्वविद्यालय लगभग डेढ़ मास तक बन्द रहा। ऐसी दशा में शैक्षिक प्रोग्राम को सामान्य बनाये रखना कठिन था। इसको ध्यान में रखते हुए कुलपति ने ३० मार्च, १९७४ को विश्वविद्यालय के अध्यापकों से यह अनुरोध किया कि वे विशेष प्रयास और अतिरिक्त समय देकर शैक्षिक कार्य की कमी पूरा करें। इसके परिणामस्वरूप अध्यापन का कार्य जून, १९७४ तक चलता रहा।

२—लखनऊ विश्वविद्यालय की १९७४ की परीक्षायें१ जुलाई, १९७४ से प्रारम्भ हुई हैं। इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या २९,८४४ है, जिसमें से रेगुलर छात्र २४,०७५ और प्राइवेट ५,७६९ है। इन परीक्षाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु एक परीक्षा समिति

[श्री राम मंगल पान्डेय]

का गठन कुलपति द्वारा प्रसारित अध्यादेश के अन्तर्गत किया गया है। इस समिति में संकायों के डीन, सहयुक्त कालेजों के ४ प्रधानाचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त कालेजों के अध्यापक संघ के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ विभागाध्यक्ष हैं। परीक्षाओं के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी जितने भी निर्णय लिए गए हैं उनकी पुष्टि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा की गयी है। स्नातकोत्तर कक्षाओं को परीक्षाओं के विकेन्द्रीकरण करके विभागाध्यक्षों अथवा विभाग के वरिष्ठतम अध्यापक की देखभाल में उनका संचालन किया गया है। इस प्रकार परीक्षाओं का संचालन नियमित तथा सुचारु रूप से शान्तिपूर्ण वातावरण में चल रहा है। यह कहना कि परीक्षा में अनियमिततायें हो रही हैं, ठीक नहीं है। २५ परीक्षार्थियों पर एक निरीक्षक की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक कमरे में कम से कम दो निरीक्षक रखे गये हैं। अभी तक परीक्षा में नकल के १९ माम ले पकड़े गये हैं। सामाज शास्त्र और प्राचीन इतिहास विभाग में आम नकल करने की जो शिकायत हुई थी, उसके विषय में सम्बन्धित अधीक्षक, परीक्षकों ने कुलपति को यह बताया कि शिकायत निराधार है। कुलपति द्वारा निरीक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विश्वविद्यालय के नियमानुसार निरीक्षण का कार्य प्रभावी ढंग से करें और इस सम्बन्ध में जिस सहायता की आवश्यता होगी, प्रदान की जायेगी। प्राक्टोरियल स्टाफ को भी निरीक्षकों की सहायता करने के लिए कुलपति द्वारा निर्देश दिये गये हैं। एक बार तो स्वयं भी निरीक्षक की सहायता हेतु उनके कमरे में पहुंचे। अतः यह कहना कि परीक्षाओं में जो निरीक्षक नकल करने वाले परीक्षार्थियों को पकड़ता है, उन्हें कुलपति की ओर से सहयोग एवं सुरक्षा नहीं दी जाती, सही नहीं है। यह सन्तोष की बात है कि परीक्षायें शान्तिपूर्वक बिना किसी हिंसक घटना के चल रही हैं।

३—यह कहना कि कुलपति शैक्षिक बातों में रुचि न लेकर विश्वविद्यालय के कानून एवं व्यवस्था, पर ध्यान देते हैं और उनके जितने भी कार्य होते हैं, उसी दृष्टिकोण से हैं, वास्तविकता से परे है, कुलपति ने स्वयं ही गणित क्षेत्र में दो रिसर्च पेपर निकाले हैं। कुलपति ने विश्वविद्यालय की असामान्य एवं विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा के स्तर को बनाये रखने का पूर्ण प्रयास किया है। कुलपति ने विभागाध्यक्षों को १ जुलाई, १९७४ को यह भी निर्देश दिये हैं कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रोग्राम को अधिक प्रभावी बनायें तथा कुछ ऐसी व्यवस्था करें, जिससे विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त कालेजों के अध्यापन में सामंजस्य रहे। इसके अतिरिक्त सभी विभागाध्यक्ष तथा रीडर सप्ताह में दो अतिरिक्त कक्षायें लें। यह आरोप कि कुलपति चाटुकारों से घिरे रहते हैं, विश्वविद्यालय में शराबखोरी होती है, निराधार है।

४—जहां तक एस० डी० सिंह जांच आयोग रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न है, स्थिति यह है कि शासन ने रिपोर्ट का परीक्षण करते अपने विचार विश्वविद्यालय को भेज दिये हैं और उनसे यह निवेदन किया है कि जांच रिपोर्ट तथा शासन के विचार विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ रखे और उनके द्वारा की गयी संस्तुतियों से शासन को अवगत करायें। जब विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् के विचार शासन को ज्ञात होंगे, तब आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालय को दिये जायेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर जांच रिपोर्ट के परीक्षण के लिए विश्वविद्यालय क अनुरोध पर एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गयी है। आशा की जाती है कि मामले में कार्यवाही शीघ्र हो जायेगी।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मन्त्री जी ने जो ब्यान दिया उससे तो ऐसा लगता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बिलकुल शान्ति है, कोई गड़बड़ी नहीं है, मान्यवर, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री

जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जब इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे श्री गोपाल त्रिपाठी और उस समय जब वहां गड़बड़ी की शुरूआत हुई तो ये चीजें सदन में लायी जाती थीं और इस सदन में उसका ठीक उत्तर मिलता था। ठीक वही स्थिति आज है कि विश्वविद्यालय के अन्दर-अन्दर एक आग सुलग रही है और अगर उस आग को हमारे माननीय मन्त्री जी नहीं महसूस करते हैं तो मैं क्या कहूं? नकल करने की बात भी कही गयी। क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी नहीं है कि कम से कम विश्वविद्यालय के १५० अध्यापकों ने अलग से मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग की? और यह भी शिकायत आयी कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता को अपमानित किया गया, उनको ढकेल दिया गया। और तीसरी घटना एक और घटी कि नकल करते हुए जो लोग पकड़े गये कहा यह जाता है कि ऐसों की संख्या केवल २५ है, तो विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े जायं और उपकुलपति उनकी पूछतांछ न करें, तो इससे बढ़कर उनके लिए कोई चीज नहीं हो सकती।

फिर इस तरह से अगर विद्यार्थियों को मेडिकल कालेज में दाखिला मिल जाय जिससे नकल करने की पूरी छूट हो तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर माननीय मन्त्री जी को विचार करना चाहिए। साथ ही एल० एल० एम० के छात्रों का एक संगठन है, उन लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करने के बाद मुख्य मन्त्री को एक ज्ञापन दिया और उनसे इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की कि एल०एल०एम० के विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिकायें हैं, उनको लखनऊ के बाहर भी जांच के लिए भेजा जाय लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि तय यह हुआ है कि सारी पुस्तिकायें लखनऊ में ही जांची जायेंगी। नतीजा यह होगा कि कुछ लोगों के साथ अन्याय होगा और कुछ लोगों के साथ पक्षपात होगा। उन्होंने लिखकर दिया है। क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात नहीं है कि १००-१५० अध्यापकों ने उपकुलपति के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया है और उपकुलपति के खिलाफ तमाम आरोप लगाये गये हैं, जिससे शासन ने इनकार किया है। जैसे पुलिस में कोई रपट आ जाती है कि हमारे थाने में इतनी चोरी की रपट दर्ज है तो उसको घटाकर ही कहते हैं। उसी तरह से यह सरकार भी उस पर नोटिस नहीं लेती। ये सारी की सारी घटनायें जो घटी हैं क्या उनकी जानकारी आपको है, फिर किस आधार पर आपने यह बयान दिया? वहां के १००-१५० अध्यापकों ने प्रस्ताव पास किया और एल०एल०एम० के छात्रों ने मुख्य मन्त्री को ज्ञापन दिया, उसकी जानकारी आपने किससे हासिल की और आपने जो रिपोर्ट दी उसकी बुनियाद क्या है?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन के सेक्रेटरी का एक पत्र है, जो २७ जुलाई, १९७४ का है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे पढ़ कर सुना दूं वह इस प्रकार है:—

DEAR SIR,

I WOULD like to state that you are considering and discussing the poroblem of University examinations in your own way for the last 3 to 4 days in your Association's Meeting on which we have repeatedly appealed our teachers not to disturb the examinations which are smoothly and peacefully going on. We the students respect out teachers sincerely and wish their love and effection at all the stages of life in the University and outside the University. We have further appealed our teachers through New papers that they should not play with the students career. The problems of teachers whatever these may be either with regard tothe favouritism or groupism inside or outside the University may be settled amicably by the

[श्री राजमंगल पान्डेय]

teachers themselves without involving and dragging the students in their politics, and should not try to look-out to the public such matters to avoid criticism from the public in general.

We the students respectfully obey our teachers and will always be ready to accept their advice and further to put themselves for any sacrifice they ask from their pupil. Once again we request not to disturb the present system of examinations which are going on successfully and peacefuly.

With best regards.

We are always ready to support our teachers cause and their intere ts.

इसके बाद मान्यवर, एक पत्र उनके वाइस प्रेसिडेंट का है, अगर आप आज्ञा दें तो उसको भी पढ़कर सुना दूं। यह स्वतः इस बात का द्योतक है कि विद्यार्थी इम्तहान दे रहे हैं और उनको स्वतः इम्तेहान में विश्वास है। अब कुछ लोग जो इम्तहान होने से से परेशान हो रहे हैं तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, मन्त्री महोदय ने अभी एक पत्र पढ़कर सुनाया है। तो मैं मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि क्या ला एसोसियेशन का आपको कोई पत्र मिला है और क्या आप उसको पढ़कर सुनायेंगे कि उन्होंने क्या ज्ञापन दिया है।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, हमारे पास इस तरीके का कोई पत्र नहीं आया है।

आप ला एसोसियेशन के पदाधिकारी का नाम बता दें ?

श्री राम सेवक यादव--

श्री प्रताप नारायण सिंह, ला एसोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, हमारे पास, प्रेसीडेंट, वाइस प्रसीडेंट डीन फैकल्टी आफ ला किसी का पत्र नहीं है जिससे इस बात का आभास मिल सके कि इम्तहान ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, यहां जो इतनी बातें सफाई में दी गयीं तो इनके लिए मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आग अन्दर-अन्दर सुलग रही है। अगर आप अभी इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो विस्फोटक स्थिति आपके सामने जरूर आयेगी। और तब मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ जायगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति को हटा दिया जाय। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अखबारों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित तमाम रिपोर्ट निकल रही हैं आपको इसकी जानकारी है कि नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इसमें कोई विशेष बात की जानकारी नहीं है। जो मामले थे वही एमीकेबली सेटिल हो गये हैं। वैसे हर जगह थोड़ी बहुत पालिटिक्स तो चलती ही है। वहां अब हारमोनियस रिलेशन्स हैं और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं जरूर देखूंगा कि स्थिति बिगड़ने न पाये।

श्री रामसेवक यादव—

मान्यवर, यह समाचार भी देखने में आया है कि ला की कापियां बाहर नहीं जायेंगी उनकी लखनऊ के अन्दर ही जांच की जायेगी। मान्यवर, यह बड़ा भारी मसला है। इसके बारे में मन्त्री महोदय को कोई जानकारी है और अगर है तो यह अन्याय कैसे दूर किया जायगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है। वह कापियां कहां भेजेंगे——यहां जांचेंगे या बाहर भेजेंगे। इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। मान्यवर, जैसा कि विदित है कि अभी भी इम्तिहान चल रहे हैं, कुछ खत्म हो गये हैं। कुछ कारण-वश जो परीक्षायें हैं वह सितम्बर, अक्तूबर तक चलेंगी। यह स्वतः उनकी नेकनीयती है कि कापियां लखनऊ में ही जंचें और जल्दी हो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाये। मान्यवर, अगर इस पर भी एतराज है तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह चीज तो यूनिवर्सिटी की है कि वह कापियां कहां भेजें।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, इससे तो यही होगा कि कुछ तो फर्स्ट क्लास आयेंगे और कुछ बेचारे फेल होंगे। पक्षपात भी होगा।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि विश्वविद्यालय में शान्ति है, तो मैं उनसे कुछ हद तक सहमत हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वह शान्ति किस कीमत पर प्राप्त की है। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस तरह से इम्तिहान हो रहे हैं और जो अव्यवस्था है वह आज पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। अगर आप इस कीमत पर शान्ति चाहते हैं तो जो पढ़ने वाले हैं उनका सत्यानाश होगा। मुझे यह जानकारी है कि मेडिकल कालेज के सुपरिंटेंडेंट का बयान अखबारों में भी छपा है कि हमारे यहां १०० विद्यार्थी जबरन भर्ती कराये गये हैं, इसलिए यह नकल कर सकें।

मान्यवर, अध्यापकों ने और विद्यार्थियों ने उप कुलपति के रिमूवल की मांग की है। उनकी अनेक शिकायतें हैं कि यह रात को कमरे में शराब पीकर जाते हैं। इनको हटाया जाना चाहिए। जो ला एसोसियेशन के लोग हैं उन्होंने भी विश्वविद्यालय के उप कुलपति के खिलाफ कहा है तो क्या मन्त्री जी सारे मामले की जांच करायेंगे ?

दूसरी मांग यह है कि जो यह कुलपति हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, यह ब्यूरोक्रेट हैं, यह नौकरशाही के हैं। इसलिए इनको हटाने की मांग की गयी है।

मेरी जानकारी यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की कापियां जांचने के लिये सेक्रेटेरियट के क्लर्कों को आई हैं। ऐसे अध्यापकों को कापियां जाती हैं कि जिस विषय को वे पढ़ाते नहीं हैं। आप कहते हैं कि शांति है और लड़कों का कहना है कि उनको पास करा दिया जाय। तो उनको पास करा देना चाहिये क्योंकि जिस सूबे में चापलूसी करके वाइस चांसलर होता हो तो कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप स्वच्छ शिक्षा चलाना चाहते हैं तो वाइस चांसलर को तत्काल हटाना चाहिये। अध्यापकों और विद्यार्थियों की राय सुनते और तब सदन को बताते कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शांति है।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, बजाय इसके कि अलग-अलग सेक्शन के विद्यार्थियों से बात करें, यह विद्यार्थियों के नेता रह चुके हैं और यदि इनके पास कोई इत्तिला है तथा श्री राम सेवक यादव जी के पास यदि कोई इत्तिला है तो वह हमें दे दें । मैं उसको आधार मानकर यदि वहां शांति नहीं है तो हम उसको देखेंगे और उसके निराकरण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट है वह अधिकारियों ने दी है । लेकिन बीच में मनमुटाव था किन्तु अब वह दूर हो गया है और वहां शांति है । यदि श्री राम सेवक यादव के पास कोई प्रमाण है कि रिश्ते अभी ठीक नहीं हुए हैं तो मैं उसको आधार मानकर कार्यवाही करूंगा ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, १५० अध्यापकों ने वाइस चांसलर के रिमूवल की मांग की है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है । अगर इस वक्तव्य को ही विषय का आधार मान लिया जाय तब तो वहां शांति है । लेकिन मुख्य मंत्री जी चाहे जितना छिपा लें किन्तु जो वहां हो रहा है वह आपकी शक्ल स जरूर टपक रहा है।

श्री राजमंगल पांडेय--

हमारी शक्ल से क्या टपक रहा है ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आप आइने में देख लें तो मालूम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किस कुलपति को हटा देना चाहिये या किस को वहां ले आना चाहिये, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा । श्री मुस्तफी जब लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनने को थे तो मैं पहला विद्यार्थी था जिसने कहा था कि श्री मुस्तफी को उप कुलपति नहीं बनना चाहिये और आज भी विद्यार्थी वाइस चांसलर को हटाने की मांग कर रहे हैं जो कि तात्कालिक आधार पर सही है । वहां अध्यापकों और विद्यार्थियों के रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहां तनाव की स्थिति हो गई है । पी० ए० सी० वहां रात में रहती है और दिन में बाहर आ जाती है। विद्यार्थियों की तलाशी ली जाती है कि कोई नक्ल करने के लिये चिट तो नहीं रखे हुए है । मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि जिस आदमी ने यह वक्तव्य तैयार किया है उसकी खोपड़ी उल्टी है । इस प्रणाली के अन्तर्गत ऐसी मान्यता घर कर गई है कि प्रश्नों का उत्तर तीन घंटे के अन्दर देना है तो यह प्रणाली जो चलाई जा रही है वह ५० साल पुरानी है । आजकल मंत्री जी यदि कोई जवाब देंगे तो फाइल देखकर देंगे, न्यायाधीश कोई निर्णय देगा तो वह पुस्तकें देखकर देगा ।

सारे कामकाज देख और समझकर चल रहे हैं । लेकिन हिन्दुस्तान का विद्यार्थी जो परीक्षा देता है वह बिना किताबें देखे दे रहा है । तो मेरी धारणा है कि हिन्दुस्तान में बिना किताब देखे इम्तहान का जो पुराना तरीका है वह ठीक नहीं है । आधुनिक समय में किताब रखकर विद्यार्थी को इम्तहान देने का इजाजत मिलनी चाहिये । यदि वह पढ़ेगा नहीं तो किताब रखकर भी उत्तर नहीं लिख सकेगा । तो मैं इस वक्तव्य के आधार पर कहना

चाहता हूं कि पहली अगस्त से विश्वविद्यालय में परीक्षायें होने वाली हैं, अगर आप प्रयोग के तौर पर जो स्नातकोत्तर और विधि की परीक्षायें होने वाली हैं उनमें किताब रखकर इम्तहान देने की इजाजत दे दें तो ६०, ७० प्रतिशत समस्याओं का हल अपने आप निकल आवेगा। मैं अब एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप १ अगस्त से जो परीक्षायें होने वाली हैं, उनके लिये विद्यार्थियों को परीक्षा में किताबें रखकर इम्तहान देने की इजाजत देंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया कि ला का जो इम्तहान हो रहा है उसमें किताबें रखने की इजाजत दी जाय, यह तो डिस्क्रिमिनेशन हो जावेगा । अबतक जो इम्तहान हुए हैं वह किताब रखकर नहीं हुए हैं इसलिये यह अन्याय होगा । इसके बावजूद भी उससे सिर्फ ६० प्रतिशत समस्याओं का समाधान होगा तो ४० प्रतिशत के लिये क्या होगा, तो यह संभव नहीं है । यह नीति की बात है । इस सदन में बैठकर हम और आप कोई ऐसी नीति चुनें कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो जाय और किताबें रखकर विद्यार्थी इम्तहान दें तो यह दूसरी बात है । इस समय चर्चा हो रही है कि यूनिवर्सिटी की जो परिस्थितियां हैं क्या इसलिये हैं कि कुछ लोग किताब रखकर इम्तहान दे रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं । मेरे पास प्रमाण है कि युनीवर्सिटी की हालत ऐसी नहीं है जो चिन्ता का कारण हो । स्थिति नियंत्रण में है और सभी चीजें शांत हैं । फिर भी मलिक साहब और यादव जी के पास कोई प्रमाण हो जिसके कारण सिमरिंग और डिस्कान्टेंट है तो मैं उसके आधार पर कार्यवाही करने को तैयार हूं । आप अखबार को बेस मानकर कह रहे हैं लेकिन मैं तो आपकी बात को मानकर ऐसा कह रहा हूं कि हम कार्यवाही करने को तैयार हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

लखनऊ यूनिवर्सिटी की परिस्थिति इस समय भयानक है । अध्यापकों का अलग संगठन हो रहा है और प्रस्ताव भी पास हो रहे हैं और जो वी० सी० हैं उनसे अलग हैं। तो काफी कशमकश है । मैं जानना चाहता हूं कि जो परिस्थिति है उसको सुलझाने के लिये क्या व्यापक तरीके से जो जांच आपके पास है उसके अलावा आप जांच करायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जहां तक मेरी इत्तला है परेशानी की कोई बात नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने स्वतः इस मामले को सुलझा दिया है । हम लोगों के पास इत्तला है कि परिस्थिति ठीक है । फिर भी आपके पास कोई प्रमाण हो, तो ठीक है, हम उसको आधार मानकर कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ।

श्री राम सेवक यादव--

क्या माननीय मंत्री जी एस०डी० सिंह का प्रतिवेदन है, उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ताकि सभी माननीय सदस्यों को भी जानकारी हो जाय?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, एस०डी० सिंह की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन प्रश्न यह है कि केवल वे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और यूनिवर्सिटी के लड़के हैं । वह आटोनामस बाडी है । तो उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में कहीं कोई कनफ्रन्टेशन न हो जाय, प्रश्न यह है । वैसे कैबिनेट ने जो विचार किये थे, वह उनको बता दिया गया है और कहा गया कि अपनी आख्या दो । लेकिन अगर सदन चाहता है कि एस०डी० सिंह की रिपोर्ट यहां रखी जाय, तो हमें कोई एतराज नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और ६ अगस्त, १९७४ को ११—०० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर मंगलवार, ६ अगस्त, १९७४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ जुलाई, १९७४।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७८ पर]

क्रम० सं०	नलकूप ग्रुप संख्या	नाम तहसील		नाम गांव जहां नलकूप स्थित है ।
१	१	मथुरा	मथुरा	मथुरा (छावनी)
२	२	"	"	मथुरा (छावनी)
३	४	"	"	बाढ़
४	६	"	"	उड़की
५	७	"	"	नवादा
६	८	"	"	तरतूरा
७	९	"	"	मई (मिर्जापुर)
८	१	सादाबाद	सादाबाद	सहमऊ
९	२	"	"	धाधऊ
१०	३	"	"	मडनई
११	४	"	"	मडनई
१२	५	"	"	सादाबाद
१३	६	"	"	गुथहरा
१४	७	"	"	जासऊ
१५	१	मांट	मांट	नौसेरपुर
१६	३	मांट	"	बाजनाशेह पट्टी

अध्यक्ष पटेश्वर मुक्ता

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८३ पर]

तालिका

जिला कानपुर की सहसील घाटमपुर में वित्तीय वर्ष १९७२–७३, १९७३–७४ में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों पर किये गये कार्य का विवरण—

सड़क का नाम	टेस्ट वर्क १९७२–७३ कि०मी०में	टेस्ट वर्क १९७३–७४ कि०मी०में	वित्तीय वर्ष १९७२–७३ तथा १९७३–७४ में किया गया कुल कार्य कि० मी० में	शेष कार्य कि० मी०
१	२	३	४	५
१—घाटमपुर-साढ मार्ग ..	०.३०	..	०.३०	..
२—परास-कोरिया-बरीपाल मार्ग ..	२.५०	..	२.५०	..
३—मूसानगर-गजनेर मार्ग	१.२०	..	१.२०	..
४—सरसौल-साढ़ मार्ग ..	५.००	..	५.००	..
५—मझावन-साढ़ मार्ग ..	२.५०	१.७५	४.२५	५.७५
६—कुढ़नी-भुसाका मार्ग (जिला कानपुर के अन्दर का भाग) ..	१.२०	१.८०	३.००	..
७—साढ़-गोपालपुर ..	..	१.३५	१.३५	१.६५
८—घाटमपुर-गजनेर ..	३.००	०.८	३.८	१०.२
९—रमईपुर-मझावन	..	४.००	४.००	..
१०—नवेड़ी-मकरन्दपुर ..	..	०.६	०.६	७.४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के पत्र संख्या श्रमिक ५८२/७३, दिनांक १-९-७३ में अंकित मांगे जिनके सम्बन्ध में संघ के प्रतिनिधि राज्यपाल से दिनांक १०-९-७३ को मिले ।

१—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण श्रमिक संघ के द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या ५३३/७३, दिनांक १०-८-७३ में लिखित मांगों पर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

२—औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार तथा अध्यक्ष स्थायी संराधन बोर्ड श्रम विभाग के अनुसार पी०डब्लू० डी० में काम करने वाले औद्योगिक मजदूर हैं । अतएव सार्वजनिक निर्माण द्वारा पुल, सड़क, इमारतों के बनाने और रखरखाव में लगे कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी घोषित किया जाय।

३—१९४५ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सब-ओवरसियर पद के लिये सरकारी खर्च पर कुछ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी थी । जहाँ ट्रेनिंग के बाद भी ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिये यह प्रतिबन्ध था कि वह विभाग के बाहर ५ साल तक बाहर की सेवा नहीं कर सकेंगे वहीं ट्रेनिंग लेने वालों के लिये यह भी सहूलियत दी गयी थी कि जो व्यक्ति ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें विभाग में तीन साल की सेवा करने के बाद ओवरसियर के पद पर पदोन्नति कर दी जावेगी। जो व्यक्ति ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनको १०-१० साल की सेवा करने के बाद भी ओवरसियर के पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी है । ऐसे सभी कर्मचारियों को जो इस समय भी विभाग में काम कर रहे हैं उन्हें ओवरसियर के पद पर पदोन्नति दी जाय ।

४—चूंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में केन्द्रीय कर्मचारियों को जिसमें केंद्रीय सरकार के पी० डब्लू०डी० के कर्मचारी आते हैं का निम्नतम वेतन १८५ रु० के बजाय १९६ रु० कर दिया है । जब केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये १८५ रु० की ही सिफारिश किया था। इस प्रकार केन्द्रीय कर्मचारी के वेतन में ११ रु० की वृद्धि और हो गयी है । जब कि सैय्यद अली जहीर वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम वेतन १६५ रु० ही निर्धारित किया गया है। संघ की लगातार मांग रही है कि कम से कम वेतन २५० रु० दिया जाय लेकिन फिलहाल १९६ रु० न्यूनतम वेतन दिया जाय क्योंकि केन्द्रीय सरकार के फैसले के अनुसार केन्द्रीय सा०नि०वि० में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा ।

५—विभाग में काम करने वाले मेट और वर्क एजेंट के वेतन निर्धारण में अली जहीर वेतन आयोग द्वारा की गयी असंगतियों को दूर किया जाय । जिसके विषय में संघ ने अपने पत्र संख्या २४२, दिनांक १२-३-७३ द्वारा सचिव वेतन असंगतियों निवारण का ध्यान पहले ही आकर्षित कर दिया है ।

६—स्टेट ब्रिज कारपोरेशन के मजदूरों को ८.३३ प्रतिशत बोनस तत्काल दिया जाय और ब्रिज कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये संघ की सहमति से नयी सेवा शर्त बनायी जाये ।

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ का उत्तर पीछे ६९२ पर)

सूची

१—काशन बोर्ड की सप्लाई ।

२— " " "

३— " " "

४—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज सड़क के किलो० मी० १३ व १४ पर सोनबालू का एकत्र किया जाना ।

५—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज मार्ग के किलो० मी० १९ पर ४० मि० मी० गेज के पत्थर की मिट्टी एकत्र किया जाना ।

६—पेंट की सप्लाई ।

७—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज सड़क के किलो मी० १२ पर बरी गिट्टी का एकत्र किया जाना ।

८—बेंत की टोकरियों की सप्लाई ।

९—चौपान-कोटाकोन सड़क के किलो मी० १३ से १५ पर सोलिंग कोट की सप्लाई ।

१०—बेंत की टोकरियों की सप्लाई ।

११—चौपान-कोटाकोन सड़क के किलो मी० ९ से १२ पर सोलिंग तथा टाप कोट का एकत्र किया जाना ।

१२—रामगढ़ में परिवार नियोजन के उप केन्द्र का निर्माण ।

१३—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज रोड के किलो मी० १९ पर १-१/२ इंच के गेज की पत्थर की गिट्टी का एकत्रित किया जाना ।

१४—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज रोड के किलो मी० २० पर १-१/२ इंच की गिट्टी का एकत्र किया जाना।

१५—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज रोड के किलो मी० १३ पर-१-१/२ इंच गेज के गिट्टी का एकत्र किया जाना ।

१६—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज रोड के किलो मी० १७ पर मोटी बालू का एकत्र किया जाना

१७—बल्लियों की सप्लाई ।

१८—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज रोड के किलो मी० १ पर रोलिंग कोट के पत्थर की गिट्टी का एकत्र किया जाना ।

१९—चौपान-कोटाकोन रोड के किलो मी०५ के ८ पर टाप कोट पत्थर की गिट्टी का एकत्र किया जाना।

२०—टेबुल लैम्प तथा नवीन औजारों की सप्लाई ।

२१—राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज सड़क पर लकड़ी के टेम प्लेट की सप्लाई ।

२२—ओबरा पर बैरीकेटिंग का निर्माण ।

२३—डल्ला पर बैरीकेटिंग का निर्माण ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९२ पर)

सूची

१—विद्यालय के प्रांगण में प्रबन्धक का निवास।

२—विभिन्न कोषों के धन का दुरुपयोग।

३—छात्रों के लिये क्रीड़ा-स्थल का अभाव।

४—विद्यालय की प्राभूति का अन्य विद्यालयों में हस्तांतरण करना।

५—संस्था के सामान एवं निम्नवर्गीय कर्मचारियों की सेवाओं का प्रबन्धक द्वारा निजी कार्यों में उपयोग किया जना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर)

जिला अधिकारी, गाजीपुर द्वारा प्राप्त सूचना

१---सन् १९७२ का वर्ष, सूखा का वर्ष रहा है जिसमें गोधनी नाले में न तो बाढ़ ही आई थी और न ही कोई सहायता कार्य किया गया था।

२---१९७३ के बाढ़ में गोधनी नाले पर स्थित तहसीलवार बाढ़ ग्रस्त गांव व उनको दी गई सहायता का विवरण निम्न है:---

क्रम सं०	तहसील	गांव की संख्या	सहायता का विवरण
			रु०
१	सैदपुर	७ अदद जलालाबाद हृदयपुर दहिरी कटिया बलीप कटिया कल्यान हरिदास पुरकलां सोनबरसा	(i) आपदा तकावी ४०००रु० (ii) मालगुजारी छूट, ७२९.७८ (iii) विकास कर १३१३.५२ से छूट
२	गाजीपुर	कोई नहीं	कुछ नहीं
३	मोहम्मदाबाद	१५ अदद फतेह सराय रेंगा बेरुकही दुर्गा स्थान सबना सयबाजपुर शेखनपुर फतेहपुर मिर्जापुर उचौरा हबीबपुर खताबपुर सकरपुर कलां सविहार जगदीसपुर	१---गल्ला १६-४४५ क्विंटल २---नमक २ ,, ३---मिट्टी का तेल १६० लीटर ४---दियासलाई १४७ अदद ५---मालगुजारी में १७४०.७३ छूट ६---विकास कर में ३३३०.३ छूट

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०३ पर)

मांगों की सूची

१—राजकीय सेवा या बेसिक शिक्षा परिषद् की सेवा में रहने के संबंध में संबंधित अध्यापकों से मांगा गया विकल्प न मांगा जाय अपितु नियुक्ति की तिथि से उन्हें राजकीय सेवा में लिया जाय ।

२—१९६० में खोली गयी राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में प्रधानाध्यापकों के पद सृजन किये जायं और उन पर नियुक्तियां की जायं ।

३—अध्यापकों का माडल स्कल कैडर में वेतन निर्धारित करके गत अवशेष अविलम्ब प्रदान कर दिये जायं ।

४—अध्यापकों के स्थायीकरण पर विचार कर लगातार तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापकों को विभाग में स्थायी किया जाय और स्थायीकरण के आदेश संबंधित अध्यापकों में प्रसारित किये जायं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०४ पर)

नालों की सूची

क्रम सं०	ड्रेन का नाम			लम्बाई (मी० फ० फी०)
१	मुश्काबाद ड्रेन	..	..	२–४–०
२	डूंडी ड्रेन	..	..	११–६–०
३	दानापुर ड्रेन	..	..	२–५–०
४	धान डीह ड्रेन	..	..	२–६–०
४	कमौती ड्रेन इक्स	..	..	४–०–०
६	तरासीपुर ड्रेन	..	..	२–०–०
७	दरिया बाद ड्रेन	..	..	१–०–०
८	सराही झील ड्रेन	..	..	१–०–०
९	चकमनियापुर ड्रेन	..	..	१–४–०
१०	इमलिया ड्रेन	..	..	२–४–०
११	भंवरिया नाला इक्स	..	..	२–१–०
		..	योग	३३–६–०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०७ पर) ।

जिला बरेली में वर्ष १९७४–७५ में जिन मार्गों का निर्माण किया जायेगा उनकी सूचना निम्नवत है

सड़क का नाम		वर्ष १९७४–७५ में प्रस्तावित व्यय (लाख रु०)	निर्माण का लक्ष्य लम्बाई (कि० मी०)
१—नवतिया पुल से फरीदपुर तक मार्ग	..	२.००	१.००
२—फरीदपुर-बीसलपुर मार्ग	..	२.५०	३.००
३—बहेड़ी–किच्छाद-ऊार मार्ग	..	०.१०	..
४—जहानाबाद-रिछा मार्ग	..	२.५०	२.००
५—बरेली-अल्मोड़ा सड़क का सुधार	..	१.००	..
६—आंवल कुंवर गांव मार्ग	..	०.५०	१.००
७—सिवैला-टांडा-आंवला मार्ग	..	०.१०	..
८—देवचन्द-बलिया मार्ग	..	०.१०	..
९—शाही-शेरगढ़ मार्ग	..	०.१०	..
१०—बरेली-बीसलपुर मार्ग	..	१.००	१.००
	कुल योग ..	९.९०	८.००

संसद विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

उत्तर प्रदेश मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार विधेयक, १९७४

संविधान के अनुकूल मानव-मानव की बराबरी को प्रोत्साहन देने वाले पुरातन साहित्य को छांटने तथा नवीन साहित्य का सृजन कराने तथा उक्त साहित्य का प्रचार तथा प्रसार करने आदि के लिये एक निगम की आवश्यकता है इस लिये:—

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार अधिनियम, १९७४ होगा:—

(२) प्रसार-क्षेत्र—सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश इस अधिनियम का प्रसार क्षेत्र होगा ।

(३) यह अधिनियम होने के तत्काल बाद लागू समझा जायगा ।

परिभाषायें

२—(क) अधिनियम से तात्पर्य मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार, अधिनियम, १९७४ से है ।

(ख) निगम से तात्पर्य मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार निगम से है ।

(ग) सरकार से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

निगम का गठन

३—मानववादी साहित्य के प्रचार तथा प्रसार के लिये सरकार द्वारा एक निगम का गठन किया जायेगा जिसका नाम मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार निगम होगा ।

४—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक करोड़ रुपया राजस्व में से दिया जायगा शेष पूंजी आवश्यकतानुसार ऋण के रूप में लेने का अधिकार निगम को होगा ।

निगम की पूंजी

५—(१) निगम का प्रबन्ध करने हेतु राज संचालन मंडल होगा जिसमें ११ सदस्य होंगे ।

निगम का प्रबन्ध करने हेतु संचालन मंडल

(२)-(क) सरकार द्वारा ११ सदस्य इस प्रकार के योग्य व्यक्ति संचालन मंडल के लिये नामजद किये जायेंगे जो १ बौध, १ईसाई, १ सिक्ख, १ आदिवासी, २ परिगणित (जाति) २ मुसलमान तथा ३ पिछड़े वर्ग के हिन्दू हों ।

३-(ख) संचालन मंडल सरकार के परामर्श से, कार्य करने हेतु, नियम बनायेगा तथा कार्य प्रणाली निश्चित करेगा ।

निगम की गति विधि

६—संविधान के अनुकूल मानव-मानव की बराबरी को प्रोत्साहन देने वाले पुरातन साहित्य को छांटना तथा नवीन साहित्य का सृजन कराना उक्त साहित्य को छापना, प्रचार तथा प्रसार करना, साहित्य गोष्ठियां करना, नाटक तथा फिल्मों के माध्यम से प्रचार कराना, अखबार चलाने का कार्य निगम करेगा ।

७—किसी साहित्य को संविधान के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने के तथ्य पर निगम अध्ययन करके, कारण सहित अपनी रपट सरकार को उस समय देगा जब सरकार किसी विवादग्रस्त साहित्य पर निगम की राय मागेंगी । निगम की राय

८—किसी कानून या आदेश के होते हुये भी सरकार किसी साहित्य लेख या पुस्तक को बिना निगम की राय के प्रतिबन्धित न कर सकेगी । सरकार द्वारा किसी साहित्य लेख, या पुस्तक को निगम की राय से प्रतिबन्धित किया जाना

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

"भारत का संविधान" के स्रष्टा बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की दो पुस्तकें सन् १९६८ में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के हरिजन छात्रावासों एवं हरिजन पुस्तकालयों में रखी गई थीं जिनका नाम "सम्मान के लिये धर्मपरिवर्तन करें" व "जातिभेद का उच्छेद" है । १० मार्च, १९७० को उत्तर प्रदेश की सरकार ने उक्त दोनों पुस्तकें आपत्तिजनक करार देकर सारे प्रदेश के हरिजन छात्रावासों और हरिजन पुस्तकालयों से वापस मांग ली और १२ सितम्बर, १९७० को एक सरकारी आदेश द्वारा "सम्मान के लिये धर्म परिवर्तन करें" पस्तक जब्त कर ली । सरकार द्वारा बाबा साहब डा० अम्बेदकर की पुस्तक की अवैध जब्ती के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पेश हुई जिस पर तीन जजों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि सरकार द्वारा उक्त पुस्तक की जब्ती "भारत का संविधान" के विरुद्ध है । इससे स्पष्ट है कि सरकार को साहित्य के "भारत का संविधान" सम्मत होने के बारे सलाह देने के लिये एक निगम हो, जो संविधान द्वारा अपेक्षित मानव-मानव की बराबरी को लाने वाला उपलब्ध साहित्य प्रकाशित कराने और लोगों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करावे तथा मानववादी साहित्य रचना को प्रोत्साहन दे और उसका पूरी तरह से प्रचार व प्रसार करें । इससे सरकार की मनमानी पर अंकुश लगेगा और मानववादी साहित्य का प्रकाशन व सृजन तेजी से हो सकेगा ।

रणवीर सिंह,

सदस्य, विधान सभा ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७४

उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, १९७० में संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा । यह तत्काल लागू हो जायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१ की धारा ३३ की उपधारा (१) का संशोधन

२—यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ की उपधारा (१) की जगह निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"३३-(१) कलेक्टर अधिकारों का रिकार्ड (प्रमाण) रक्खेगा और इस उद्देश्य के लिये धारा ३२ के अन्तर्गत वर्णित हर दस वर्ष के अन्तराल (इन्टरवल) पर एक संशोधित रजिस्टर तैयार करेगा । इस प्रकार तैयार पंजिका (रजिस्टर) अधिकार पंजिका कहलायेगी ।"

यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१ की धारा ३३ की उपधारा (२) का संशोधन

३—धारा ३३ की उपधारा (२) की जगह निम्नलिखित रक्खा जाये—

"(२) कलेक्टर अधिकार पंजिका में, सभी परिवर्तन और कोई ट्रान्जेक्शन जो अधिकारों और हितों पर प्रभावी हो, अधिकार पंजिका में दर्ज करायेगा और ऐसी गलतियों को जो प्रमाणित हो जायेगी चालू या इसके पूर्व की अधिकार पंजिका में दुरुस्त करायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१ की धारा ३३ की उपधारा (३) का संशोधन

४—धारा ३३ की उपधारा (३) की जगह निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(३) ऐसा परिवर्तन या ट्रांजेक्शन कलेक्टर या जैसा प्राविधान हो तहसीलदार या कानूनगो का आदेश बिना उस व्यक्ति को जिसके अधिकार और हित, परिवर्तन से प्रभावित हो, बिना व्यक्तिगत सूचना दिये और उसकी आपत्ति यदि कोई हो, सुने बिना आदेश नहीं करेगा ।"

यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१ की धारा ३३ की उपधारा (४) का संशोधन

५—यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ की उपधारा (४) को निकाल दिया जाय और उसकी जगह निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(४) हर समय जब धारा ३३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत रजिस्टर तैयार हो जाता है इसकी तैयारी की यथाशीघ्र बाद जिला अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को जो भूमिधर या सीरदार दर्ज है, फोटो सहित पास बुक जो जोत-बही कहलायेगी जिसमें उसकी कुल जोत चाहे अकेले या दूसरे के शिरकत में लिखी होगी, ऐसी कीमत लेकर जो बकाया मालगुजारी की तरह वसूल होगा, जैसा प्रेसकाइब्ड हो, दी जायेगी ।"

व्याख्या सीरदार और भूमिधर के जोतों की कन्सालीडेटेड पास बुक जोत-बही होगी ।

६—धारा ३३ की उपधारा ५ निकाल दी जाय और उसकी जगह निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(६) रजिस्टर में, यदि जोत बही में कोई संशोधन या परिवर्तन हुआ है तो उसे दर्ज करने की जिम्मेदारी जैसा हो कलेक्टर, एस०डी०एम०, तहसीलदार या कानूनगो की होगी ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

विधेयक का उद्देश्य कृषकों को सहूलियत दिलाना और भ्रष्टाचार से रक्षा करना है । जोत-बही मिलने से कृषकों को लाभ हुआ परन्तु कुछ त्रुटियों के रहते पूरा लाभ नहीं मिल पाया। खसरे में कब्जे का इन्दराज लेखपाल के हाथ में नहीं रहा परन्तु खतौनी में एक प्रकार से कब्जे का अधिकार कानूनगो को मिला हुआ है जिसके चलते भारी मात्रा में रिश्वत चल रही है और खतौनी में अनधिकृत व्यक्तियों के नाम इन्दराज हो रहा है । विधेयक में इस अधिकार पर अंकुश लगाया गया है । कृषकों को बैंक आदि संस्थाओं से कर्जा लेने या अदालती या किसी संस्थान में जमानत देने में जोत-बही खतौनी की जगह पर काम जरूर देती है और कृषक खतौनी की नकल लेने और इसकी प्राप्ति में घूस से अवश्य बच जाते हैं, परन्तु व्यक्तियों की तस्दीक को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ती है । जोत-बही में फोटो लग जाने से इस परेशानी का अन्त हो जायेगा ।

विधेयक में जल्दी-जल्दी जोत-बही बदले जाने पर रोक लगाई गई है । कम से कम दस वर्ष जोत-बही न बदले । हर तीन वर्ष या इसके पूर्व जोत-बही बदलने का मतलब विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर काम का अनावश्यक बोझ, राजकोष का व्यय तथा प्रदेश के सभी किसानों को असुविधा और कष्ट है । दस वर्ष के अन्तराल में यदि कृषकों की मिल्कियत में परिवर्तन के कारण उनके अधिकार और हित में कोई परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन अधिकार पंजिका में और जोत-बही में आसानी से लिखे जा सकते हैं । विधेयक उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिये लाया जा रहा है और इसके कानून बनने पर राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय-भार नहीं होगा ।

राम सेवक यादव,
विधायक,
बाराबंकी ।

बेनी प्रसाद वर्मा,
विधायक,
बाराबंकी ।

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० १३६ वि०सभा-(१६६३)-१९७५--८४५ ।